खण्ड-292, अंक-4
मंगलवार, 23 भाद्रपद, शक संवत् 1893
(14 सितम्बर, 1971 ई0)

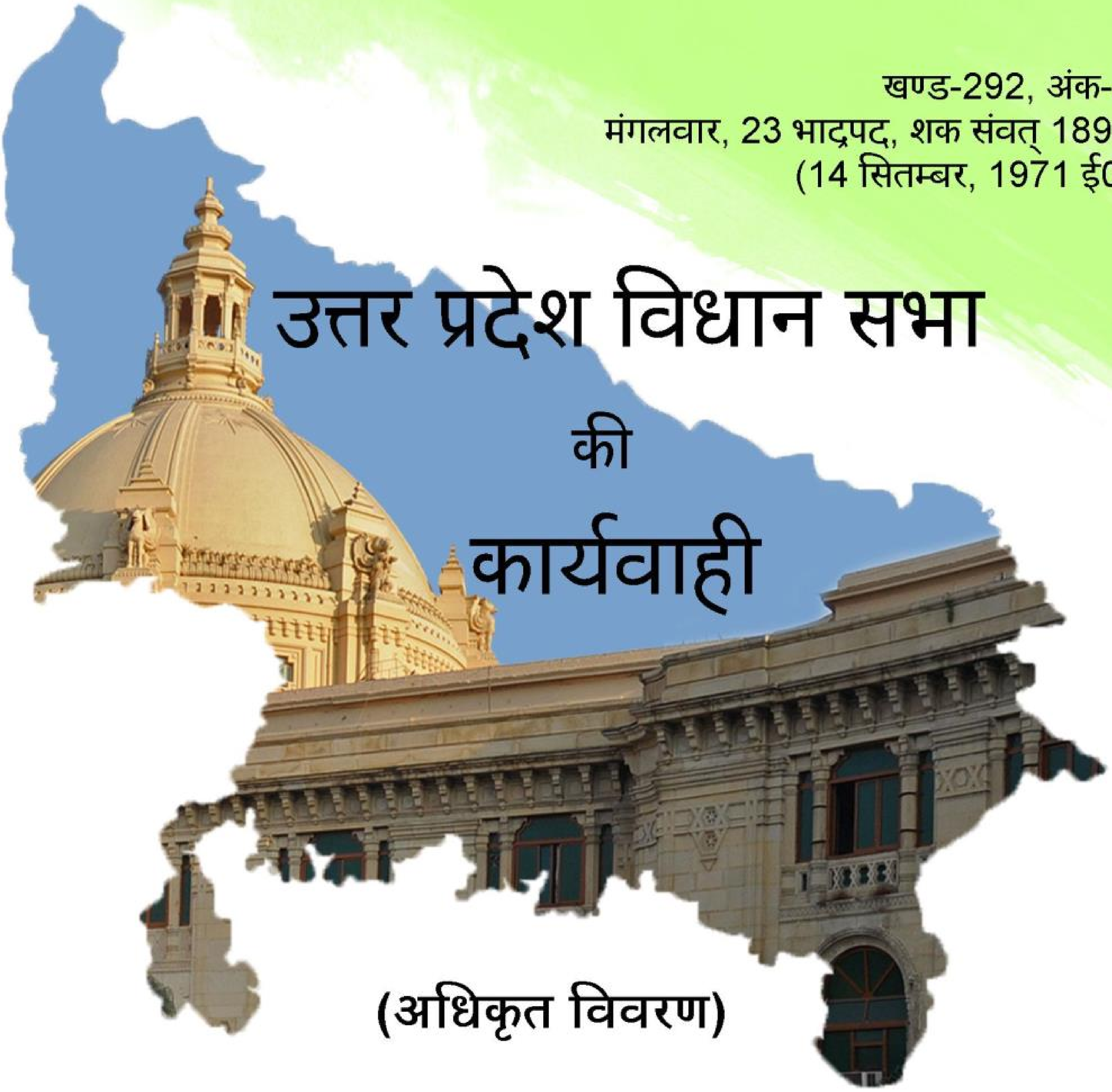

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 292 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. | 227-231 |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. | 231-271 |
| होम्योपैथिक छात्रों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में विधान भवन के सामने किये जा रहे अनशन के संबंध में चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य (जारी) .. | 271-272 |
| शासक दल के 51 सदस्यों द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध दिये गये आरोप पत्र के संबंध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा जानकारी की मांग (जारी) .. | 272-273 |
| नगर प्रमुख, इलाहाबाद के निर्वाचन-स्थगन से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पर स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा कानूनी राय से सदन को अवगत कराने का आदेश .. .. .. | 273-274 |
| शासक दल के 51 सदस्यों द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध दिये गये आरोप-पत्र के संबंध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा जानकारी की मांग .. | 275-276 |
| नगरपालिकाओं के चुनावों में मतदाता सूचियों में नाजायज तरीके से नाम बढ़ाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .. | 277 |
| प्रदेश में मध्यावधि चुनाव कराने के लिये केन्द्र द्वारा दबाव डाले जाने की आशंका का मुख्य मंत्री द्वारा खंडन .. .. | 278-279 |
| नियम 51 की सूचनाओं पर वक्तव्य की मांग .. .. | 280 |
| गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा किये जा रहे अनशन के संबंध में मुख्य मंत्री के ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं (जारी) .. .. .. | 280-281 |
| होम्योपैथिक छात्रों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में विधान भवन के सामने किये जा रहे अनशन के संबंध में चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य .. | 281-282 |
| गन्ना ग्रामसेवकों द्वारा किये जा रहे अनशन के संबंध में मुख्य मंत्री के ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं .. .. .. | 282-283 |
| उत्तराखंड विश्वविद्यालय के स्थान के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य (जारी) .. | 283-284 |
| विविध विषय .. .. .. .. | 284-285 |
| उत्तराखंड विश्वविद्यालय के स्थान के संबंध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य .. | 285-286 |
| भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर अलीगढ़ में कथित गोली चलाये जाने से संबंधित विषय पर श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत उठाया गया विषय .. .. .. | 286-290 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1971 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. | 290 |
| आवाइसन समिति का 34 वां तथा 35 वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये) .. | 291-292 |
| जिला परिषद् सीतापुर के शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध श्री रामलाल राही द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी) .. | 293-294 |
| श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मंजूर अहमद द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के विषय में श्री अध्यक्ष से निर्णय की मांग (जारी) .. | 295 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## मंगलवार, 14 सितम्बर, 1971

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

### उपस्थित सदस्य—373

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जुदेव, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चितर सिंह राजा, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छोगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लालबाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री

बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भौगती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीरसिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीराज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवतीदेवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजवती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजिय वन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री

रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राममूर्ति "अंचल श्री"
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख मिश्र, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री

श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टम्मा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर , श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, बेगम
हरनारायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:--सामुदायिक विकास मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

## प्रश्नोत्तर

---

मंगलवार, 14 सितम्बर, 1971

---

## अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

### प्रदेश में कृषि सेवा केन्द्र योजना

**1--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में कितने कृषि सेवा केन्द्र प्रदेश में किस-किस स्थान पर खोले जा रहे हैं ? क्या कृषि मन्त्री योजना की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 14 जिलों के 32 विकास क्षेत्रों में कृषि सेवा केन्द्र खोले जा रहे हैं। स्थानों का चयन शासन के विचाराधीन है। योजना की मुख्य मुख्य बातें निम्न हैं:--

(1) किसानों को किराए पर कृषि यंत्र एवं ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे,

(2) किसानों के निजी ट्रैक्टर, पम्प एवं कृषि यंत्रों की मरम्मत की जाएगी,

(3) किसानों को कृषि यंत्रों के उपयोग एवं मरम्मत के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 32 ब्लाकों का जो वह चयन करने जा रहे हैं, उसका आधार क्या हैं ? उस पर जरा प्रकाश डाल दें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जिन ब्लाकों का चयन किया जाएगा, उनके लिए 4 बातें रखी गई हैं। वहां का सिंचित और असिंचित क्षेत्र कितना-कितना है ? कृषि उत्पादन का कार्यक्रम किस तरह से हो रहा है ? कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों की संख्या ब्लाकों में कितनी है ? कृषि यंत्र और उसकी मरम्मत की कहां-कहां सुविधा है ? और कहां नहीं है ? इन चीजों पर जब रिपोर्ट आ जाएगी तब विचार किया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या कृषि मंत्री जी बताएंगे कि ट्रैक्टरों के अलावा और कौन से कृषि यंत्र इन कृषि सेवा केन्द्रों पर रखने की वह व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रश्नोत्तर में बताया गया है--ट्रैक्टर्स, पंम्पिग सेट, दवा छिड़कने की मशीन आदि की वहां मरम्मत की जाएगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि पिछले 15-20 वर्षों में जितने ट्रैक्टर्स एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा आबंटित किए गये हैं वे केवल 4-5 जिलों के लिए सीमित कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो जहां पर कोई भी ट्रैक्टर्स आज तक नहीं उपलब्ध कराये गये हैं, वहां पर ऐसे केन्द्र ज्यादा खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रश्न से यह सवाल उठता नहीं है। ट्रैक्टर्स का जब सवाल आया था तो मैंने बताया था कि ट्रैक्टर्स आवंटन की पहली पद्धति पहली अगस्त, 71 से बदल दी गई है। डिवीजन वाइज अब आवंटन किया जाएगा और डिवीजन पर जितनी अप्लीकेशंस होंगी उसी हिसाब से उसका वितरण होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जिन स्थानों पर उन्होंने कृषि सेवा केन्द्र खोले हैं वहां पर वह 16 रुपया प्रति घंटा की दर से ट्रैक्टर्स किराये पर दे रहे हैं, किन्तु कोई उनकी इस सुविधा का प्रयोग नहीं करता, क्या यह उनकी जानकारी में है ? उन्होंने कहा था कि नो प्राफिट नो लास बेसिस पर यह दिए जाएंगे तो 16 रुपये प्रति घंटे ट्रैक्टर्स दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

अभी तक जितने कृषि सेवा केन्द्र खोले गये हैं, वे एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की ओर से खोले गये हैं। कृषि विभाग के द्वारा अब इस प्रकार के पहली बार खोले जा रहे हैं। जो केन्द्र औद्योगिक निगम द्वारा खोले गये हैं वहां से ट्रैक्टर कस्टम्स पर दिये जाते हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जो रेट तय किया गया है उस पर लोग तैयार नहीं हैं, बल्कि उस रेट

पर रुपया अदा करने पर ट्रैक्टर्स नहीं मिल पा रहे है, क्योंकि ट्रैक्टर्स कम हैं, सेवा केन्द्र कम हैं। तो इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो 32 विकास खंड पूरे प्रदेश में लेने की बात है उनमें से पूर्वी रेंज में कितने होंगे और बाकी रेंज में कितने होंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

14 जिले हैं मैं बता दूं। विकास खंडों में नहीं हुआ करते हैं। जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी, इलाहाबाद---ये जिले पूर्वी क्षेत्र के हैं। उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, हमीरपुर, इटावा, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़--ये 14 केन्द्र हैं जहां खोले जायंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया और जौनपुर को इस लिस्ट में शामिल करने का क्या आधार है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

मान्यवर, जो सेवा केन्द्र खोले जा रहे हैं उसका आधार यह है कि जहां छोटी जोत के काश्तकार हों, ट्रैक्टर्स वगैरह हों, इम्प्लीमेंट्स वगैरह हों, लोगों को मरम्मत का साधन उपलब्ध नहीं है। जौनपुर और देवरिया, यहां पर भी छोटे काश्तकारों की संख्या ज्यादा है, 76 प्रतिशत से ज्यादा है। इस तरह से इन सब चीजों का ख्याल करते हुए इन जिलों का चयन किया गया है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

इस प्रदेश में ट्रैक्टरों की मांग ज्यादा है और सरकार खुद मानती है तो सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि ट्रैक्टर फैक्टरियां और प्रदेश में खुलें ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के चेयरमैन, मनेजिंग डाइरेक्टर दोनों जर्मन और रशन फर्म्स से कंटैक्ट बनाये हुए हैं। 25 हार्स पावर, 35 हार्स पावर और 65 हार्स पावर के ट्रैक्टर मैनुफैक्चर करने के लिये तालकटोरा में खोल सकते हैं। लेकिन भारत सरकार से इस सम्बन्ध में अभी क्लियरेंस नहीं मिला है। इसलिए देर हो रही है। उनसे कहा गया है कि यू० पी० में अगर ट्रैक्टर फैक्टरी खोलें तो करीब पांच हजार ट्रैक्टर की प्रत्येक साल आवश्यकता होगी। इसलिए एग्रोइंडस्ट्रियल कारपोरेशन जागरूक है। फारेन फर्म्स से अपना कंटैक्ट बनाये हुए है।

## औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा व्यक्तिगत बिजली उत्पादन

**2---श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या सरकार राज्य में निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपनी स्वयं की बिजली उत्पन्न करने से सम्बन्धित सुविधा देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 30 के अन्तर्गत विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी को एक सप्ताह का नोटिस देकर और इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 44 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की

अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रदेश में कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने परिसर में स्वयं बिजली का उत्पादन करने हेतु प्राधिकृत है। इसलिये शासन की ओर से इस सम्बन्ध में किसी सुविधा के देने के प्रस्ताव पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् का ऐसे मामलों में अनुमति देने का प्रश्न सरकार की नीति से जुड़ा हुआ है, वर्तमान सरकार की नीति ऐसी इकाइयों को बिजली उत्पादन से छूट देने की है या नहीं जब कि पूर्व की सरकारों की नीति ऐसी नहीं रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

उपर्युक्त ऐक्ट्स के आधार पर जिलाधिकारी तथा इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर की अनुमति के लिये प्रतिष्ठान सूचना देंगे और अनुमति मिलने पर वे अपनी बिजली जेनरेट कर सकते थे। उसके बाद विद्युत् परिषद् का जन्म हुआ। उसमें भी यह कर दिया गया कि उसकी भी आज्ञा लेना आवश्यक है।

श्री कृष्णानन्द राय---

पिछड़े इलाकों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये जो नई इकाइयां खुलेंगी उनको बिजली में क्या छूट दी जायगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह सुविधा वहां मिलती है जहां हम बिजली सप्लाई करने में असफल होते हैं, जहां हम दे सकते हैं वहां इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

यह देखते हुए कि बिजली की बड़ी कमी है और पिछली बार कटौती भी की गयी थी क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि कोई प्रतिष्ठान अपना प्लांट लगाना चाहे तो वह उसके लिये उसको सुविधा देगी यानी कोई ड्यूटी इत्यादि हो तो उससे उसको मुक्त रखा जायगा।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसी आधार पर औद्योगिक आस्थान जैसे सीजनल शुगर मिल्स चलती हैं। उनको बिजली की अधिक आवश्यकता होती है तो अपनी आश्वयकता की पूर्ति के लिये वे बिजली को जेनरेट कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि बड़े उद्योगों में बिजली अधिक लगती है इसलिये बड़े उद्योग कम लगाये जायं और छोटे उद्योगों को वह रियायत तथा छूट दी जाय जो बड़े उद्योगों को दी जाती है क्या सरकार इस आधार पर विचार करेगी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

औद्योगिक विकास के लिये औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुविधा देने की आवश्यकता है। बड़े प्रतिष्ठानों को छूट देने तथा अनेक प्रकार की सुविधायें देने का कारण यह है कि उनसे एक्साइज ड्यूटी से बड़ा लाभ होता है और वह कमी उससे पूरी हो जाती है। इस दृष्टिकोण से बड़े प्रतिष्ठानों को यह सुविधा देना कुछ आवश्यक है।

श्री रामधारी शास्त्री( जिला देवरिया)---

बिजली की कमी को ध्यान में रखकर क्या सरकार इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर तथा विद्युत् परिषद् से इजाजत लेने का जो प्रश्न है उसमें कुछ ढील करेगी ताकि बिजली का उत्पादन अधिक हो सके।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

उद्योगीकरण के लिये बिजली की आवश्यकता होगी और जिन उद्योगों को अपना व्यक्तिगत प्लांट लगाने की आवश्यकता है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वहां बिजली सप्लाई नहीं कर सकता वहां उनको यह इजाजत दी जायगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

जो बड़े-बड़े उद्योग हैं उनको बिजली सस्ते दामों पर सप्लाई की जाती है तो क्या सरकार उनको इस बात के लिये मजबूर करेगी कि वह अपने जेनरेटर्स लगायें ताकि वह बिजली किसानों को डाइवर्ट की जा सके?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

लोड पावर ही वह फैक्टर है जिसके आधार पर उद्योगों को दी जाने वाली बिजली का रेट तय होता है। जहां तक बड़े संस्थान हैं उनका लोड अधिक होता है और उसी आधार पर उनको सुविधायें दी जाती हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

सन् 1971 के पहले क्या सरकार किसी एक इकाई को बतलायेगी जिसको अपना निजी प्लांट लगा कर बिजली जेनरेट करने के लिये इजाजत दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह सुविधा उसी को दी जाती है जिसको हम उसकी क्षमता के मुताबिक बिजली सप्लाई नहीं कर सकते और अब भी जिनको यह सुविधा दी जाती है वह इसी आधार पर दी जाती है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मान्यवर, मैंने पूछा कि कितनी सुविधा दी गई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, स्पष्ट कर दिया जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मैं यह पूछ रहा हूं कि आप किसी एक इकाई का नाम बता दीजिये जिसको सन् 1971 के पहले सुविधा दी गई है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जिनको सुविधायें दी गई हैं उस सम्बन्ध में यदि आप चाहें तो मैं सूचना एकत्र कराकर आपको दे दूंगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

श्रीमन्, मैं एक दूसरा प्रश्न कर रहा हूं। क्या माननीय मंत्री जी बिजली की कमी को देखते हुए, यह विशेष सुविधा की बात न करके उन राज्यों से जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश

हरियाणा और पंजाब हैं जहां बिजली अधिक उत्पादित हो रही है, उनसे थोक में बिजली लेने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी

जो हरियाणा और पंजाब राज्य हैं वहां भी बिजली की कमी है केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य ऐसे हैं जहां से हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं और मध्य प्रदेश और दामोदर वैली से बिजली खरीदी जा रही है।

## पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण

**3—श्री गजेंद्र सिंह (जिला इटावा)—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों के पशु चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश हो चुके हैं ? यदि हां, तो उस आदेश का पालन अभी तक क्यों नहीं हुआ ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पशुचिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण का विचार रखती है या नहीं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

शासन के स्तर पर इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है जिसमें प्रदेश के स्थानीय निकायों, जिनमें जिला परिषद् भी सम्मिलित हैं, द्वारा संचालित समस्त पशु चिकित्सालयों का एक साथ प्रान्तीयकरण कर देना निश्चित हुआ हो। शासन की यह नीति अवश्य है कि ऐसे पशु चिकित्सालयों का क्रमशः प्रान्तीयकरण किया जाय और इसके अनुसार अब तक स्थानीय निकायों के 49 पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण किया जा चुका है जसमें से 40 पशु चिकित्सालय जिला परिषद् के थे।

श्री गजेंद्र सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों के पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इस समय प्रदेश में कुल 163 पशु चिकित्सालय जिला परिषदों के हैं और उनका एकसाथ प्रान्तीयकरण नहीं किया जा सकता है। क्रमशः प्रान्तीयकरण किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कब तक होगा।

श्री गजेंद्र सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जिला परिषदों के कितने ऐसे पशु अस्पताल हैं जिनका प्रान्तीयकरण होना है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जैसा कि मैंने अभी बताया कि 163 ऐसे हैं जिनका कि प्रान्तीयकरण होना है।

श्री गजेंद्र सिंह—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि प्रान्तीयकरण का आधार क्या है ? किस नियम से आप उन्हें ले रहे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

स्थानीय निकाय जैसे कि जिला परिषदों के जो अस्पताल चल रहे हैं उनमें दवा वगैरह का न होना, अस्पतालों के भवनों का खराब हालत में होना तथा जिन अस्पतालों की हालत खराब है उन सभी चीजों पर विचार किया जाता है।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या सरकार यह महसूस करती है कि जिला परिषदों द्वारा चलाये जाने वाले पशु चिकित्सालयों में पैसे व औषधियों की कमी है और वहां पर सामान एवं इंस्ट्रूमेंटस नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार उनको नियंत्रण में लेने में क्या कठिनाई समझती है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

मैंने बताया कि उनके राष्ट्रीयकरण में संसाधनों को भी देखना पड़ेगा और उसी के अनुरूप सरकार उस सम्बन्ध में समय-समय पर विचार करती रहती है कि कितने अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। सारे अस्पतालों को एक साथ लेना असम्भव है। वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जैसे-जैसे हमें वे मिलते जायेंगे वैसे-वैसे प्रान्तीयकरण हम करते जायेंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करके कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि सभी अस्पतालों का एक साथ प्रान्तीयकरण नहीं किया जा सकता है, सारा सालाना कोटा मुकर्रर करेंगे ताकि निश्चित रूप से और आसानी से अस्पतालों का प्रान्तीयकरण हो जाय ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

यह तो मैंने पहले बता दिया कि जैसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 8 लिये जा चुके हैं और संसाधनों को देखते हुए प्रतिवर्ष निर्णय किया जाता रहा है।

## अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की आयु सीमा

** 4---श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई योजना बनायी गयी है कि अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की आयु सीमा बजाय 58 के 55 वर्ष निश्चित कर दी जाय जिसके फलस्वरूप बेकारी दूर करने में सरकार को सहायता प्राप्त हो ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

सरकार कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष किये जाने के प्रश्न पर कोई विचार नहीं कर रही है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या सरकार यह बतायेगी कि जो प्रदेश में बेकारी बहुत बढ़ रही है और इस किस्म के हमें कर्मचारी मिल सकते हैं तो 58 से 55 में तब्दील करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

कठिनाई कुछ नहीं है। सरकार उचित समझती है कि 58 साल रहे। माननीय सदस्य की जो राय है, मैंने नोट कर ली। भविष्य में विचार होगा तो उस सलाह को सामने रखेंगे।

[31-8-71 का स्थगित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न]

## लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति

** 1---श्री वीरेन्द्र वर्मा श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद), श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़), श्री मैनेजरसिंह, (जिला बलिया), श्री गोविन्दसिंह नेगी, (जिला टिहरी---गढ़वाल), श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी), श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद), श्री कृष्णानन्द राय तथा

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान चेयरमैन शीघ्र ही रिटायर हो रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि अब तक उक्त आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य को चेयरमन बनाने की परम्परा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पालन करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां। ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य को ही चेयरमैन बनाया जाय। यह नियुक्ति, परिस्थितियों को देखते हुये शासन अपने विवेकानुसार करता है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न संख्या 1, माननीय वीरेन्द्र वर्मा। पहले इस पर काफी सप्लीमेंटरी हो चुके थे। अब चूंकि कृष्णचन्द्र शर्मा जी ने एक जवाब दिया था जो गलत था। उन्होंने कहा कि मैंने सुना दूसरी तरह से था। प्रश्न पूछा गया था कि अभी तक जितने अप्वाइंट हुए हैं स्वराज्य के बाद वह सब सीनियारिटी के बेसिस से हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि वह योग्य नहीं थे---इस तरह का जवाब दे दिया---यानी उपयुक्त नहीं थे। वह यह समझे कि जो अब सीनियर हैं उनको आप क्यों नहीं ले रहे हैं ? तो उन्होंने सोचा कि वह उपयुक्त नहींथे इस वजह से नहीं लिये गये। यह सही है कि शोर हो रहा था। तो मैंने दोबारा उनसे कहा कि आपका जो जवाब है कि पहले जितने हुए वह उपयुक्त नहीं थे, यह कहना कुछ गलत उत्तर है तो इसलिये मैं इसको पोस्टपोन करता हूं। बस यही बात रही थी उस रोज।

श्री कृष्णानन्द राय---

आपको भ्रम हो गया है जरा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)---

इसी प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं और वह यह है कि क्या उनके शासन ने ओथ आफ सीक्रेसी ऐक्ट की जो मान्यता है उसको तिलांजलि दे दी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

ऐसी कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

उसी दिन हुई है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैं अध्यक्ष महोदय, की आज्ञा से उस दुर्घटना की तरफ माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आमंत्रित करता हूं जो 31-8 को इसी सदन में इसी प्रश्न के उत्तर में हुई है और वह इस प्रकार से है। श्री के० सी० शर्मा जी उत्तर दे रहे थे वीरेन्द्र वर्मा जी के प्रश्नों का। मान्यवर, मैंने निवेदन कर दिया है कि सीनियारिटी और सूटेबिलिटी के दृष्टिकोण को देखा गया। श्री वीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं कि जब श्री मित्तल रिटायर होंगे तब कौन चेयरमैन बनेंगे ? मान्यवर, मार्च 1969 में तत्कालीन मुख्य सचिव, श्री बी०बी० लाल ने कहा था कि डाक्टर रामलाल और श्री महमूद अली खां का वरीयता के आधार पर चुनाव होना है तो उनके नाम आ सकते हैं लेकिन जनहित में उनको बताना उचित नहीं होगा। तत्कालीन मुख्य सचिव के सुझाव से तत्कालीन मुख्य मन्त्री पूर्ण रूप से सहमत हुए। इस समय मित्तल साहब जब रिटायर हुए तो सुटेबिलिटी को देखते हुए यह निणय लिया गया।

अब मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह दुर्घटना नहीं हुई है तो क्या मुख्य मंत्री जी इसे दुर्घटना समझते हैं या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, गुप्ता जी जिस चीज को दुर्घटना समझते हैं उसे मैं दुर्घटना न समझूं ऐसी हिमाकत मैं नहीं करता। और यदि वह उसे अनुचित समझते हैं तो उनको अनुभव अधिक रहा है। मैं समझता हूं कि जो गोप्य बातें हैं उन्हें गोपनीय रखना चाहिए। जो उत्तर दिया गया है मान्यवर, ओथ आफ सीक्रेसी लेते हुए यही कहा जाता है कि कोई सूचना हम नहीं देंगे जो जनहित में नहीं होगी। तो उन्होंने उत्तर दिया कि यह किस लिय किया गया है। इतना लम्बा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी और कदाचित् भविष्य में इसका ध्यान रखा जायगा कि जो बातें गोपनीय हैं और जो नहीं आनी चाहिए और जनहित में नहीं आनी चाहिए उन्हें न पेश किया जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, मैं क्या यह जान सकता हूं कि कंटेक्स्ट से बाहर कोई चीज निकाल कर इस सदन में रखना वे उचित समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

क्या चीज ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

यह किस कंटेक्स्ट में बात आयी, चीफ सेक्रेटरी ने लिखा फाइल के ऊपर 1969 में यह मालूम नहीं होता। किसी को चेयरमन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात नहीं थी। किस संदर्भ में यह प्रश्न उस समय के चीफ सेक्रेटरी के सामने या मुख्य मन्त्री जी के सामने आया यह मेरी जानकारी में नहीं है। किसी फाइल पर, किसी विषय प्रश्न पर पूछा गया या कोई जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की गयी हो सरकार या मुख्यमंत्री जी की तरफ से उस सदर्भ में उन्होंने कोई बात लिखी हो, लेकिन यह सेंटेंस पकड़ कर रख देना क्या यह उचित परम्परा है ?

श्री कमलापपति त्रिपाठी--

मैंने निवेदन कर दिया कि संभव है कि जो बातें कही गयी हैं वैसी हों जिन्हें गुप्ता जी समझते है कि वह गोपनीय है और नहीं आनी चाहिये थीं और वह मानत हैं तो मैं उससे विरोध नहीं करता हूं। कंटेक्स्ट के बाहर जो बात कही गयी है उसे हटा देने का आप को अधिकार है। यदि आप स्वयं देख कर समझते हैं कि प्रोसीडिंग में कोई ऐसी बात कह दी गयी है जो कंटेक्स्ट में नहीं है, निकाल देनी चाहिए तो आप निकाल सकते हैं और वह नहीं छपनी चाहिए और आप आवश्यक समझें तो मुझसे पूछ लें या स्वयं अलग कर दें।

श्री अध्यक्ष--

अगर अनपार्लियामेंटरी होगी तो निकाल दूंगा, लेकिन अनपार्लियामेंटरी कोई चीज नहीं है तो मैं निकालने के लिए आज्ञा नहीं दूंगा। जो मूल प्रश्न है वह छपा हुआ है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

31 तारीख को मान्यवर, मैंने जो माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रश्न पूछा था उसी के संदर्भ में जो उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह दिया है कि ऐसी कोई परम्परा नहीं है, तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान 29 जुलाई, सन् 1969--जबकि माननीय गुप्त जी मुख्यमंत्री थे और माननीय वर्तमान मुख्य मन्त्री उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे तो उस दिन की कार्य-

वाही का ही हवाला देते हुए, माननीय गुप्त जी ने 29 जुलाई को कार्यवाही में यह कहा था, यह रेलवेंट है इसलिय इसको पढ़ना उचित समझता हूं, "चौधरी साहब के एक बड़े लेफ्टीनेंट वर्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति में पक्षपात किया गया।" यह उन्होंने कहा था। गुप्त जी ने जो उत्तर दिया वह इस प्रकार था कि "अभी तक 15–16 साल से यह पद्धति रही है कि जो मेम्बर पब्लिक सर्विस कमीशन का सीनियर मोस्ट होता है वही चेयरमैन बनता है। पहले श्री नफीसुल हसन साहब सीनियर मोस्ट मेम्बर थे, वे चेयरमैन बने। इसके बाद श्री राधाकृष्ण अग्रवाल सीनियर मोस्ट मेम्बर थे, वे उसके चेयरमैन बने, फिर रामधर जी सीनियर मोस्ट मेम्बर थे, वे उसके चेयरमैन बने और अब जो यहां पहले इंजीनियर थे, उनका नाम श्री मित्तल हैं, वे सीनियर मोस्ट मेम्बर थे इसलिये उनको चेयरमैन के पद पर नियुक्त कर दिया गया।" तो मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने कहा कि पिछले 15-16 साल से सीनियर मोस्ट मेम्बर को चेयरमैन बनाने की परम्परा रही है और मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि परम्परा नहीं है तो कौन सी बात सही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर गुप्ता जी ने जो कहा वह कोई असंगत बात नहीं है। हमारे यहां ऐस लोग भी चेयरमैन हुये हैं जो जूनियर रहे हैं या बाहर के रहे हैं और सीनियर मेम्बर नहीं बनाये गये हैं। यों तो सरकार की परम्परा है और सब जगह यह परम्परा है कि जो सीनियर मोस्ट है उसका ध्यान रखा जाय और 90 प्रतिशत ऐसा होता है जब तक मालूम न हो जाय और जो सीनियर मोस्ट है वह किसी कारण से प्रशासन की दृष्टि से योग्य नहीं है तब जूनियर बनाया जाता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाय वह सीनियर मोस्ट मेम्बर ही बनाया जाय कहीं ऐसी धारा नहीं है। संविधान लागू होने के पहले एक बार या दो बार बाहर के व्यक्तियों को बनाया गया, जूनियर भी बनाये गये हैं। प्रशासन की दृष्टि से सरकार ने उचित समझा, साधारण परम्परा के रहते हुए भी प्रशासन के हित में और जनहित में उचित समझा वर्तमान चेयरमैन को चेयरमैन बनाया जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, उस दिन मुख्य मंत्री जी उपस्थित नहीं थे। जो प्रश्न पूछा था उसको दोहराना चाहता हूं। मैंने यह पूछा था कि आजादी के 24 साल में इस प्रदेश में 11 सरकारें बनी हैं और 6 पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने हैं तो क्या आजादी के बाद इस परम्परा का उल्लंघन किया गया ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

आजादी के बाद 1947 से बाहर के रह चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, यह पहले का जिक्र कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद बतायें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

15 अगस्त, 1947 को ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। 1947 के बाद क्या हुआ है उसको बता रहे हैं। धैर्य से सुनिये।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

15 अगस्त, 1947 के बाद श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव चेयरमैन हुये जो दो मेम्बरों से जूनियर थे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

वह 1947 में नहीं थे।]

श्री ओमप्रकाश सिंह---

श्रीमन्, गोपीनाथ जी श्रीवास्तव 27-2-1948 से 6-12-1948 तक चेयरमैन रहे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावीजन नहीं है। हो सकता है मैंने पढ़ा न हो। लेकिन यदि संविधान में कोई प्राविजन नहीं होता है तो अच्छी परम्परा डाली जाती है या ऐसे नियम बनाये जाते हैं जिनका दुरुपयोग न हो। इस समय जो बात हुई है उससे मन पर प्रभाव पड़ता है कि अगर सीनियर मोस्ट मेम्बर को चेयरमैन नहीं बनाया गया तो भय है कि पोलिटिकल प्रेशर इस्तेमाल हो और सरकार अपने पद का दुरुपयोग करे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि एक अच्छी परम्परा डाली जाय, संविधान में ऐसा प्रावीजन न होते हुये भी, क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि सीनियर मोस्ट मेम्बर को ही चेयरमैन नियुक्त किया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इसका मैं उत्तर दे चुका कि परम्परा तो यही है कि सीनियारिटी के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं त्रिपाठी जी सरकार में रह चुके हैं, उनको अनुभव भी प्राप्त है कि वरिष्टता के आधार पर ही पदोन्नति की जाती है। लेकिन अक्सर प्रशासन के हित में ऐसी कोई व्यवस्था न रहते हुए परम्परा के बाहर चले जाना पड़ता है। जब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के स्थान के लिये विचार हुआ तो यह मान लेना चाहिये कि इन तमाम पहलुओं पर विचार कर लिया गया था। प्रशासन और जनहित के दृष्टिकोण से ही ऐसा निर्णय लिया गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कभी-कभी लिखित कानून के मुकाबले में अलिखित परम्परायें ज्यादा महत्व की होती हैं। इसके अनुसार जब तक कोई कम्पेलिंग कारण न होता, अभी तक जो परम्परा चली आ रही थी, उसको क्यों तोड़ा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अभी बताया गया कि आजादी के बाद दो व्यक्ति ऐसे हैं जो इस परम्परा के बाहर नियुक्त किये गये थे कि श्री गोपीनाथ जी का नाम लिया गया और दूसरा डाक्टर अमरनाथ झा का नाम लिया गया। ऐसी भी परम्परा रही है। लेकिन यह मैं मानता हूं कि साधारणतः परम्परा यही रही है कि सीनियर मोस्ट व्यक्ति को ही शासन में पदोन्नति दी जाती है। जब कभी हमारे सामने ऐसा प्रश्न आता है जो शासन के हित तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए अन्यथा निर्णय लिया जाता है। इसके बारे में और अधिक कहना गोपनीयता के भंग होने की बात हो जायगी। सब बातों पर विचार करते हुये और यह भी विचार करते हुये कि संविधान या कोई और धारा उसके विरोध में नहीं है, तथा पहले भी ऐसी परम्परा रही है, इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैं इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में कुछ बात साफ कर देना चाहता हूं और आप के द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो उत्तर दिया है उसको और माननीय शर्मा जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, उन दोनों में अन्तर है। [ * * * ]

---

[ * * * ] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष---

इसके बारे में श्री कृष्णचन्द्र शर्मा जी ने मुझे एक पत्र लिखा है कि उन्होंने उस प्रश्न को समझा कि आजकल जो मेम्बर सीनियर हैं उनको चेयरमैन न चुन कर दूसरे को क्यों चुना गया है। यह समझ कर उन्होंने उत्तर दिया था कि जो सीनियर थे वे उपयुक्त नहीं थे, यह जवाब दे दिया। शोर होने की वजह से वे ठीक से सुन नहीं पाये। पुराने आदमी तो उपयुक्त भी हो सकते हैं और सीनियर भी हो सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि वह गलत उत्तर हो गया, उनको निकाल दिया जायगा। यह दूसरा उत्तर तो उनका आ ही गया कि वह सीनियर भी हो सकते हैं और उपयुक्त भी हो सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि सीनियर मोस्ट कोई होगा लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से और योग्यता के आधार पर बाहर के किसी आदमी को बना सकते हैं। उन्होंने श्री अमरनाथ झा की भी चर्चा की। मेरी जानकारी यह है कि वह सन् 1946 से पेश्तर ही थे। श्रीवास्तव साहब पेश्तर ही थे। खैर, छोड़िये इसको। मैं यह जानना चाहूंगा कि डाक्टर रामलाल जी जो सीनियर मोस्ट थे, एम० ए०, बी० टी०, साहित्यरत्न और पी० एच० डी० भी थे तो इतनी योग्यता रखते हुये और सीनियर मोस्ट होते हुये भी क्या वह पिछड़े वर्ग से थे इसी कारण उनको प्रशासनिक दृष्टि से योग्य नहीं समझा गया ?

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता लेकिन इन्होंने प्रश्न पिछड़ी जाति का उठा दिया इसलिये आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह तो एक आरोप लगाने की बात हो गयी और मैं समझता हूं कि अनुचित है इस प्रकार का प्रश्न करना।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

यह बता दें कि क्या अयोग्यता थी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

श्री शम्भूनाथ चौधरी।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

मैं खड़ा होते-होते थक गया और आप ने मुझे मौका ही नहीं दिया। मेरा इसमें नाम है।

श्री अध्यक्ष--

नाम तो बहुत हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

आप हमेशा डांटते रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता क्यों ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मुख्य मन्त्री जी को यह पता है कि ज्येष्ठता का प्रश्न उच्च न्यायालय में भी गया था और वहां से तय पाया कि श्री रामलाल ज्येष्ठतम मेम्बर हैं और जब आप यह कहते हैं कि ज्येष्ठतम और योग्य दोनों थे तो फिर क्या वजह है कि उन को हटा कर पांडेय जी को कर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

डाक्टर रामलाल जी की ज्येष्ठता को तो कोई इंकार कर नहीं रहा है। अगर अदालत ने तय किया कि वह ज्येष्ठतम हैं तो हम तो पहले से ही माने बैठे हैं। नियुक्ति किस कारण से दूसरे व्यक्ति की गई और इनकी नहीं की गई उसके सम्बन्ध में मैंने बड़ी नम्रता पूर्वक यह निवेदन किया कि प्रशासन के हित को सामने रखते हुये इस बात को आवश्यक समझा गया कि नियुक्ति इस प्रकार से कर दी जाय और वह कर दी गयी।

श्री गोविन्द सिंह--

मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह परम्परा रही है कि वरिष्ठतम सदस्य को चेयरमैन मनोनीत किया जाय और उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ प्रशासनिक कारण और जनहित की वजह से पुरानी परम्परा को छोड़ दिया गया है। तो वह कौन-कौन से प्रशासनिक कारण हैं और वह कौन-कौन से तथ्य हैं जिनको वह जनहित में समझते हैं जिन कारणों से इस परम्परा को छोड़ा गया ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो उन्होंने बता दिया कि वह गोपनीय है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को और इस सरकार को केन्द्रीय सरकार ने मजबूर किया कि इनको चेयरमैन बनाया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह सरासर गलत और निराधार है।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

### बलिया नगरपालिका क्षेत्र में अतिवृष्टि से आवागमन मार्ग अवरुद्ध होना

*1--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बतायगी कि अगस्त, 1971 में बलिया नगर पालिका क्षेत्र के कई मुहल्लों में बरसात और नालियों का गन्दा पानी का जमाव इतना अधिक हो गया है कि संबंधित सड़कों पर आवागमन रुक गया है और उन क्षेत्रों में बाढ़ सा दृश्य उपस्थित हो गया है। यदि हां, तो सरकार इस प्रकार पानी के जमाव को रोकने और पानी के निकास के लिये कौन-सा स्थायी प्रबन्ध कर रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

यह सत्य है कि अगस्त, 1971 में अति वृष्टि के कारण बलिया नगर के कई मुहल्लों में बरसात और नालियों का पानी भरने के कारण आवागमन में रुकावट हो गयी है।

पानी के जमाव को रोकने एवं निकास के लिये स्थायी प्रबन्ध करने के लिये 5.604 लाख रुपये की योजना बनाई गयी है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नगरपालिका इस सम्बन्ध और ऋण नहीं लेना चाहती।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण नहीं बल्कि प्रतिवर्ष वहां पर इस प्रकार की घटना होती है। इसका कारण यह है कि बलिया शहर में अभी तक कोई पानी की नालियां नहीं बनी हैं। तो क्या सरकार उस गन्दे पानी को निकालने के लिये कुछ सोच रही है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह सत्य है कि बलिया नगर के कई मुहल्लों में मुख्य नालियों से संबंधित करने के लिये नालियां नहीं बनाई गईं। उसी के लिये यह योजना उनको भेजी गई थी और उनसे कहा गया था कि 5 लाख रुपया ऋण ले लें उस योजना को पूरा कर दिया जाय लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री महोदय को पता है कि बलिया नगरपालिका ने एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है कि मेला ददरी से 2-3 लाख रुपया की जो आमदनी होती है उसको सरकार अपने हाथ में ले ले और उन तमाम नालियों को बनवा दे। तो सरकार ने इस पर क्या विचार किया?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यदि ऐसा है तो उस मेल को नगरपालिका स्वयं ही अपने हाथ में क्यों न ले ले। सरकार क्यों उसको ले। वह उस आमदनी को लेकर सरकार को लिखे कि हम ऋण लेने को तैयार हैं और सरकार ने जो योजना बनाई है वह ऋण लेकर उस योजना को पूरा करने के लिये तैयार हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

सरकार को इसमें क्या दिक्कत है कि उस मेले से आमदनी अपने कर्मचारियों के द्वारा वसूल कराये और उस आमदनी से उस अपने ऋण को वसूल कर ले?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

वह नगरपालिका का स्वयं का साधन है। नगरपालिका स्वयं उस कार्य को करे। शासन उसको कैसे कर सकता है।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

नगरपालिका, बलिया वह ऋण लेने को तैयार नहीं और सरकार उनको देने को तैयार है। इस बात का खतरा है कि गन्दा पानी जमा होकर वहां पर बीमारी फैल जाय तो सरकार इस पर विचार करेगी कि उस नगरपालिका को सुपरसीड करके सरकार खुद प्रबन्ध करे?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

अभी हमने अपने विशेषज्ञ वहां पर भेजे हैं और उस नगरपालिका ने यह परामर्श दिया है कि वह इस योजना को स्वीकार करे। बाद में यदि वास्तव में ऐसी स्थिति बनी रही तो इस पर सरकार विचार करेगी।

## चेयरमैन, टाउन एरिया कमेटी, सहावर के विरुद्ध हरिजनों की भूख हड़ताल

*2—श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहावर टाउन एरिया के मौजदा चेयरमैन, जमीर अहमद खां के सगे भाई मुशीर अहमद खां एक्स एम०पी० द्वारा किये गये अत्याचारों के विरोध में

दिनांक 20 जुलाई, 1971 को वहां के हरिजनों ने भुख हड़ताल कर रखी है ? हड़ताल का नोटिस जिलाधीश, एटा तथा राज्य सरकार को भी दिया गया है । यदि हां, तो अत्याचार करने वालों के खिलाफ अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की? और यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह बतायगी कि हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं उसकी रिपोर्ट थाना में तथा शासन को दिनांक 23 जुलाई, 1971 व 5 अगस्त, 1971 को भेजी है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

चेयरमैन टाउन एरिया कमेटी, सहावर के विरुद्ध हरिजनों ने भूख हड़ताल करने की नोटिस 7 जुलाई, 1971 को जिला मजिस्ट्रेट, एटा को दी जिसमें 25 जुलाई से जगदीश सरन वाल्मीकि द्वारा भूख हड़ताल करने की सूचना थी । राज्य सरकार को कोई भूख हड़ताल की नोटिस नहीं प्राप्त हुई । जिला मजिस्ट्रेट ने इस शिकायती पत्र पर जो नोटिस के रूप में दिया गया था, परगनाधिकारी, कासगंज को तुरन्त जांच करने और एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के लिये आदेश दिये । इसी बीच हड़ताल कर दी गई । हरिजनों द्वारा थाने में की गयी रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय पुलिस जांच कर रही है । जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट गोपनीय है, अतः उसे सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा ।

श्री तिरमल सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह परगनाधीश जो जांच के लिये गये थे उनकी रिपोर्ट क्या थी और 9-7-71 को हरिजनों ने जो रिपोर्ट की थी उस को क्या मंत्री जी सदन के समक्ष पढ़कर सुनायेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

हरिजनों ने जो थाने में रिपोर्ट की थी उसमें चेयरमैन और परगनाधीश पर यह आरोप लगाये गये थे कि उन्होंने अपृश्यता का व्यवहार किया और उनको बुरे शब्दों से अपमानित किया । यही रिपोर्ट लिखाई थी ।

श्री तिरमल सिंह--

क्या सरकार इन परगनाधीश, चेयरमैन और उनके भाई पर अनटचेबिलिटी ऐक्ट के मातहत कोई मुकदमा चलाये हैं और क्या उनके खिलाफ वारन्ट जारी किया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

इस प्रकार की रिपोर्ट थाने में लिखाई गई थी लेकिन डी० जी० सी०, एटा का कहना है कि इस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता यानी जो रिपोर्ट लिखाई गई है उसके आधार पर ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 7 जुलाई को जो उन्होंने भूख हड़ताल की वह कितने दिनों तक जारी रही और किस आश्वासन के आधार पर वापस हुई थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

शासन के पास विधिवत् तो कोई भूख हड़ताल की सूचना नहीं है लेकिन हमारी जानकारी है कि थाने के पास कुछ लोग बैठे थे और उस पर जिलाधीश ने प्रयास किया कि कोई समझौता हो जाय, उन्होंने उन को उन के प्रतिनिधियों को, चेयरमैन वगैरा को बुलाकर बातचीत की लेकिन एक सज्जन, श्री बच्चन सिंह थे जिन्होंने वह समझौता नहीं होने दिया ।

श्री शम्भनाथ चौधूरी—

जो रिपोर्ट थाने में लिखाई गई थी उसके आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जो रिपोर्ट उन्होंने लिखाई है उस पर जांच कराई जा रही है और सूचना आने पर ही उस पर कार्यवाही होगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट दी गई है उसमें गवाहों में नाम किस का है ? मुलजिम कौन है और रिपोर्ट के अनुसार कोई अधिकारी भी उस से संबंधित है ? और जांच में किस का साक्ष्य लिया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह रिपोर्ट चेयरमैन, टाउन एरिया व परगनाधीश के खिलाफ लिखाई गई थी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जो रिपोर्ट थाने में लिखाई गई है उस पर मुकदमा इसलिये नहीं चल सकता, रिमूवल आफ अनटचेबिलिटी ऐक्ट में क्यों कि यह जुर्म दस्तन्दाजी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हरिजनों के साथ ज्यादती हो रही है जो कि संविधान में वर्जित है क्या मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध उच्च अधिकारी से जांच करा के संविधान के प्रतिकूल आचरण करने पर उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिस प्रकार की रिपोर्ट लिखाई गई थी और जिलाधीश ने शासन को जो अपनी जांच रिपोट भेजी है उसके अनुसार यह दोनों दोषी नहीं पाये जाते ।

जब इन लोगों को समझौते के लिये बुलाया गया, तब कहीं अस्पृश्यता का प्रश्न उठता नहीं था । उन दोनों पार्टियों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन जो एक वकील उन लोगों में लीडर बने हुए थे व नाराज हो गये और उन्होंने थाने में जाकर रिपोट लिखा दी । चेयरमैन और जो हरिजन कर्मचारी हैं इन दोनों को बुलाकर कोई समझौत कराने का प्रयास कराते हैं तो इसमें अस्पृश्यता का कहां प्रश्न है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारे संविधान में निर्देशात्मक अधिकारों में यह कहा है कि स्टेट कानून इस प्रकार बनायेगी कि अनटचेबिलिटी दूर हो जाय । लेकिन उसका विरोध हो रहा है । यह दो फिरकों में समझौते का बन रहा है मामला, क्या आप इसे इत्तिफाक रखते हैं ? अगर सरकार यही समझती है तो आप क्या इतनी आसानी से इसे रफा कर देंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इसमें अनटचेबिलिटी का कहां प्रश्न आया है । बराबर बैठकर बातें की हैं । कहीं जाने और बात करने से उन्हें रोका गया । इसमें कहीं संविधान के नियमों के उल्लंघन का प्रश्न नहीं है । वहां दलबन्दी और पार्टी बन्दी है इसलिये यह आरोप लगा दिये गये हैं ?

(व्यवधान)

श्री तिरमलसिंह---

मान्यवर, मंत्री जी का कहना यह है कि वहां पर झगड़ा चला । मैं यह पूछना चाहता हूं कि झगड़ा किस बात पर चला और 9-7-71 को जो रिपोर्ट थाने में की उसमें कितने सुअर, भैंस और बकरी और मवेशी थे । वे चेयरमैन ने कहां करवा दिये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

चेयरमैन का यह कहना है कि हमने उन लोगों को कहा कि सफाई किया करो दोनों वक्त । उन्होंने दोनों वक्त सफाई करने से मना कर दिया । इस पर चेयरमैन ने कहा कि अगर दोनों वक्त सफाई नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करेंगे । इस पर नाराज होकर उन्होंने हड़ताल कर दी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा । झगड़ा जब बढ़ा तथा जानवरों का प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा उसके संबंध में शासन को जो जानकारी है वह इस प्रकार है कि ये जानवर खेतों में चर रहे थे । उनको वहां के कुछ लोगों ने कांजी हाउस भेज दिया जो बहुत समय तक वहां रहे । जो अवधि थी उससे भी अधिक समय तक वे वहां रक्खे गये । कई बार इसका प्रयास किया गया कि छुड़वा लिया जाय । जब अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी वे नहीं छुड़ाये गये तो नियम के अनुसार उनको नीलाम कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों का समय समाप्त ।

*3---श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री राम प्यारे शुक्ला, श्री राम बचन यादव, श्री बैजनाथ सिंह तथा श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*4---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## तेजबहादुर सप्रू अस्पताल की नर्सों का सेवा से त्याग-पत्र तथा सिक्योरिटी सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*5---श्री इन्द्रलाल, (जिला नैनीताल), श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद), तथा श्री सेवाराम (जिला खीरी)---

वित्तीय सत्र 1971 के पहले मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, इलाहाबाद से किन नर्सों एवं स्टाफ नर्सों ने सेवा से त्याग-पत्र सिविल सर्जन, इलाहाबाद को दिया ? तथा कितने प्रार्थना-पत्र 1969-70 तथा 1970-71 में प्रशिक्षण एवं सेवा अवधि में जमा की गई सिक्योरिटी की धनराशि वापस करने हेतु प्राप्त हुये ? क्या सरकार उन नर्सों तथा स्टाफ नर्सों की सिक्योरिटी वापस करने के हेतु शीघ्र आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

---

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

## बागों को सीलिंग एरिया से मुक्त करना

*6—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 जुलाई, 1971 को नेशनल बाटनिकल गार्डेन आडीटोरियम में प्रांतीय कृषि निदेशक, श्री राम किशन ने वेजीटेबिल सीड्स सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रांत के लिये फ्रूट प्रोसेसिंग एन्ड मार्केटिंग कारपोरेशन की आवश्यकता है जो कि अधिकारियों के बीज का प्रयोग का प्रोग्राम भी बागों के साथ अपने हाथ में लेकर प्रांत की उन्नति करेगी और चूंकि बागों की सीमा घटती चली जा रही है इसलिए सरकार को लेन्ड सीलिंग ऐक्ट में बागों के संबंध में छूट देगी ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या विचार कर रही है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । परन्तु प्रदेश में फ्रूट प्रोसेसिंग एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन की स्थापना का कोई प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन नहीं है । जहां तक बागों को लैंड सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत छूट देने का प्रश्न है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 6 के अनुसार 1 मई, 1959 को विद्यमान बागों को सीलिंग एरिया से मुक्त रखा गया है ।

*7—श्री भानु प्रताप सिंह—

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तगत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री तेजनारायण—

[6वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*2—3—श्री सच्चिदानन्द तथा श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*4—श्री राम सिंह—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

[दिनांक 14 सितम्बर, 1971 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

## इलाहाबाद मेडिकल कालेज में टेलीविजन

*1—श्री राम गोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज के आंख विभाग में टेलिविजन सेट लगवा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

## इलाहाबाद के तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय तथा टी० बी० अस्पताल में शैय्यायें

*2—श्री रामगोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर में स्थित श्री तेजबहादुर सप्रू चिकित्सालय एवं टी०बी० अस्पताल, तेलियारगंज में कितने बेड्स वित्तीय वर्ष 1971-72 में बढ़ा रहे हैं ? यह बेड्स कब तक चालू हो जायेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

1971-72 में न तो कोई बेड्स श्री तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय में बढ़ाने का प्रस्ताव है और न टी0 बी0 अस्पताल, तेलियारगंज में ही। अतएव उनके चालू होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## ग्राम पनेरगांव, जिला अल्मोड़ा में पेयजल योजना

*3--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1970 के 2रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के संदर्भ में जो ग्राम पनेरगांव, जिला अल्मोड़ा के लिये पेयजल योजना को बनाने का कार्य जनता के कष्टों के निवारणार्थ कब से प्रारम्भ करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

## स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ में पांच वर्ष से अधिक एक स्थान में काम करने वाले कर्मचारी

*4--श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कितने लिपिक या विभाग के प्रधान 5 वर्ष से अधिक से एक स्थान तथा एक सेक्शन पर कार्य कर रहे हैं ? उनका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

## जिला परिषद् कर्मचारियों के लिये पेंशन व ग्रेच्युटी

*5--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या पंचायती राज मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् कर्मचारियों के लिये पेंशन तथा ग्रेच्युटी आदि के नियम दिनांक 1 जनवरी, 1971 से स्वीकृत हो गये हैं। यदि हां, तो इन नियमों की विज्ञप्ति कब घोषित की गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

जिला परिषदों के कर्मचारियों के पेंशन तथा ग्रेच्युटी के नियम आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने के लिये भेज दिये गये हैं।

*6--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[13 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## गन्ना विकास परिषद्, जिला सीतापुर द्वारा पुलिया निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान का प्रयोग

*7--श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास परिषद्, महोली, जिला सीतापुर को वर्ष 1968-69 में पक्की पुलिया निर्माण हेतु जो धन सरकार के सघन विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था, वह धन पूर्ण रूप से जनता के हित में प्रयोग हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—

सघन विकास योजना के अन्तर्गत देय अनुदान की सहायता से वर्ष 1968–69 में गन्ना विकास परिषद् महोली द्वारा 11 पक्की पुलियों का निर्माण कराया गया है । इनमें से कवल तीन पुलियों के निर्माण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी गन्ना आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है । जांच पूरी होने तक निश्चित रूप से अनुदान के पूर्ण रूप से जनता के हित में प्रयोग होने के संबंध में सूचना देना संभव नहीं है ।

*8—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास परिषद महोली, जिला सीतापुर ने वर्ष 1968–69 में बासरा ग्राम की एक पक्की पुलिया निर्माण कराने हेतु सरकार से 5,000 रुपये का अनुदान प्राप्त किया था ?

डाक्टर सीताराम—

गन्ना विकास परिषद महोली, जिला सीतापुर, को वर्ष 1968–69 में बासरा ग्राम की एक पक्की पुलिया निर्माण कराने हेतु 3750 रु० सरकार से अनुदान में तथा 1250 रु० लाभ-ग्राही संस्थाओं से अर्थात् कुल 5,000 रुपया प्राप्त हुआ था ।

## नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के भवन निर्माण के लिये धन

*9—श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु अलीगंज स्कीम में नगर महापालिका द्वारा प्रदत्त 40 एकड़ भूमि जिसकी की लागत लगभग 21 लाख 75 हजार 5 सौ रुपये है, के भुगतान में बिलम्ब क्यों हो रहा है ? भवन निर्माण में कितना समय लगेगा ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत भूमि अभी प्राप्त नहीं हुई है । इस विषय पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है । यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी आवश्यकताओं को देखते हुए 10 एकड़ भूमि से काम चल जायेगा । भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद ही यह निश्चित हो सकेगा कि भवन निर्माण में कितना समय लगेगा ।

*10—श्री राम सागर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकर कालेज, लखनऊ को एक उच्च-स्तरीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का रूप देने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसे कितने समय के अन्दर सरकार कार्यान्वित करगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

जी हां ।

चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजनाकाल में इसे क्रमिक रूप से कार्यान्वित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

*11–12—श्री राम निहोर राय—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## जनपद गोंडा के तुलसीपुर गन्ना विकास परिषद् की जीप तथा रेलवे स्टेशन से गन्ना कांटा तक सड़क

*13—श्री दीपनारायण बन (जला गोंडा) श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) श्री शीतला प्रसाद सिंह (गोंडा), श्री संतराम (गोंडा), श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद) तथा श्री डी०पी०बोरा (जिला लखनऊ)

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि माह अक्तूबर, 1970 से फरवरी, 1971 के बीच किन्हीं तिथियों में जनपद गोंडा के तुलसीपुर गन्ना विकास परिषद् की जीप शक्कर मिल के भुगतान कार्य के लिये पचपेड़वा गई थी तथा उसी दिन पचपेड़वा-बढ़नी सड़क पर दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त जीप की मरम्मत में परिषद् का कितना पैसा व्यय किया गया था ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं । माह अक्तूबर, 1970 से फरवरी 1971 के बीच किन्हीं भी तिथियों में जनपद गोंडा की गन्ना विकास परिषद् तुलसीपुर की जीप शक्कर मिल के भुगतान कार्य के लिये पचपेड़वा नहीं गई थी । अतः उक्त अवधि में पचपेड़वा-बढ़नी सड़क पर परिषद् जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने तथा जीप की मरम्मत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

*14—श्री दीपनारायन बन, श्री गंगा प्रसाद, श्री शीतला प्रसाद, श्री संत राम, श्री प्रियदर्शी जेटली तथा श्री डी० पी० बोरा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के तुरलसीपुर गन्ना विकास परिषद् द्वारा 1969-70 के सीजन प्रारम्भ होने के पूर्व गैसंडी क्रय-केन्द्र पर गन्ना तौलने की सुविधा प्रदान करने हेतु गैसंडी रेलवे स्टेशन से गन्ना कांटा तक सड़क का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य में कितना रुपया व्यय किया गया था ?

डाक्टर सीताराम—

जनपद गोण्डा के तुलसीपुर गन्ना विकास परिषद् द्वारा वर्ष 1969-70 के सीजन प्रारम्भ होने के पूर्व गैसड़ी क्रय-केन्द्र पर गन्ना तौलने की सुविधा प्रदान करने हेतु रेलवे स्टेशन से गन्ना कांटा तक सड़क का कोई निर्माणकार्य नहीं बनाया गया । अतः व्यय का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*15—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[19-7-1971 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

*16-17—श्री लालसा तथा श्री छांगुर राम—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## मोदीनगर नोटीफाइड एरिया में मनोनीत सदस्य

*18—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मोदीनगर नोटीफाइड एरिया में अधिकांश सदस्य मनोनीत किये जाते हैं ? क्या सरकार मनोनीत सदस्यों के स्थान पर जनता के द्वारा चुने हुये सदस्यों को लाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां, मोदीनगर नोटीफाइड एरिया कमेटी में अधिकांश सदस्य मनोनीत किये जाते हैं। मनोनीत सदस्यों के स्थान पर जनता द्वारा चुने हुये सदस्यों को लाने का कोई विचार नहीं है।

*19--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## गोंडा जनपद के कृषि विभाग में अस्थायी अमीन व चपरासियों की सेवा समाप्ति

*20--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि गोंडा जनपद के कृषि विभाग में जुलाई, 1971 में कितने तकावी अमीन एवं चपरासियों को जिनकी वसूली कम है, निकाला जा रहा है? उनका कार्यक्षेत्र असामयिक वर्षा से प्रभावित था या नहीं? वसूली स्थगन के आदेश सरकार द्वारा कब जारी किये गये हैं?

डाक्टर सीताराम--

जुलाई, 1971 में गोंडा जनपद में कृषि विभाग के 20 अस्थायी अमीनों और 26 अस्थायी चपरासियों की सेवाएं आवश्यकता न होने के कारण समाप्त कर दी गयीं। उनका कार्यक्षेत्र असामयिक वर्षा से प्रभावित था। वसूली स्थगन के आदेश सरकार द्वारा जून, 1971 में जारी किये गये थे।

*21--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह--

क्या यह सच है कि अमीन के साथ चपरासी भी निकाले जा रहे हैं?

डाक्टर सीताराम--

जी हां।

## राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर, बुलन्दशहर व झांसी में 8 वर्ष से अधिक कार्यरत अध्यापन

*22--श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपया करेगी कि राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर, बुलन्दशहर और चिरगांव (झांसी) में कितने अध्यापक ऐसे हैं जो एक ही जगह लगातार आठ साल से कार्य कर रहे हैं?

डाक्टर सीताराम--

राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर तथा राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर में क्रमशः 1 तथा 2 अध्यापक एक ही जगह पर आठ वर्ष या उससे अधिक समय से हैं। राजकीय कृषि विद्यालय, झांसी में कोई अध्यापक एक ही पद पर आठ वर्ष से नहीं है।

## विकास खण्ड बेहटा, जिला सीतापुर में ग्रामसेवकों द्वारा गबन

*23--श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड बेहटा के दो ग्राम सेवक धारा 409/420 के मुल्जिम हैं जिन्होंने किसानों का हजारों रुपया गबन किया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

हां, यह ठीक है कि कथित विकास खण्ड के दो ग्राम सेवक धारा 409/420 के अन्तर्गत मुलजिम हैं। दोनों ग्राम सेवकों के विरुद्ध खण्ड विकास अधिकारी, बेहटा, सीतापुर द्वारा थाना तम्बौर में एफ० आई० आर० दर्ज कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त दोनों ग्राम सेवक निलम्बित भी किये जा चुके हैं।

*24--श्री मनफूल सिंह तथा श्री आशाराम इन्दु--

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशक श्री डी० एन० शर्मा की पुनः नियुक्ति

*25--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशक श्री डी० एन० शर्मा ने सवेतन नौकरी से अवकाश ग्रहण करते हुए अपना प्राविडेन्ट फन्ड का रुपया भी सरकारी खजाने से वापिस ले लिया था? यदि हां, तो इनकी उक्त पद पर पुनः नियुक्ति का आधार क्या है और क्या यह बात सत्य है कि उनको इस पद पर और 5 वर्ष तक रखने के लिए सरकार कोई उनके साथ अनुबन्ध कर रही है जब कि उनका कार्य काल आगामी दिसम्बर, सन् 1971 को समाप्त हो रहा है। यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

डाक्टर डी० एन० शर्मा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशक ने सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश दिनांक 1 अगस्त, 1970 से मांगा था जो शासन द्वारा उन्हें स्वीकृत कर दिया गया था। डा० शर्मा ने अपने सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखा से अन्तिम निष्कासन महालेखाकार से प्राप्त कर लिया था। उन्होंने दिनांक 16 अप्रैल, 1971 को शासन से अनुरोध किया कि वह अवकाश पर न रह कर कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं। शासन ने डा० शर्मा के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपना पद ग्रहण करने की अनुमति दे दी। डा० शर्मा को इस पद पर और 5 वर्ष तक रखने के लिये सरकार उनके साथ कोई अनुबन्ध नहीं कर रही है।

*26--श्री जयराम यादव--

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## मेरठ मेडिकल कालेज में काम करने वाले झांसी मेडिकल कालेज के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*27--श्री मोहन लाल कपूर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मेडिकल कालेज का स्टाफ जो मेरठ मेडिकल कालेज में कार्य कर रहे हैं कब तक झांसी के लिये स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इस कालेज के कुछ स्टाफ को मेरठ मेडिकल कालेज से झांसी स्थानान्तरित कर दिया गया है और शेष स्टाफ को भी अवश्यकतानुसार यथा समय झांसी स्थानान्तरित कर दिया जायगा।

*28--श्री गोपाल दत्त ओझा तथा श्री हरनारायन (पीलीभीत)--

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*29--श्री हरिवंश सहाय तथा भाभी यादव--

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*30--श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा--

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*31--श्री श्याम लाल कनौजिया--

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक संघ का मांग-पत्र

*32—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इसी वर्ष आयुर्वेद तथा चिकित्सा संघ का मांग-पत्र मिला ? यदि हां, तो उस मांग-पत्र में क्या-क्या मांगे थीं ? क्या सरकार उन को पूरा कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

शासन को राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक संघ, उत्तर प्रदेश के कई मांग-पत्र प्राप्त हुए हैं। संघ की 13 मांगें हैं जो संलग्नक में दी हुई है। उक्त मांगें शासन के विचाराधीन हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 470 पर)

## जिला नैनीताल तथा अल्मोड़ा की नोटीफाइड एरियाओं का नगर-पालिका में परिवर्तन

*33—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्यपाल महोदय के 20 दिसम्बर, 1967 की विज्ञप्ति संख्या 8(8) (1)/67—न० पा० (क)—ह० प्र० स०—221, के अनुसार जिला अल्मोड़ा तथा जिला नैनीताल की कौन-कौन सी नोटीफाइड एरिया कमेटी, को चतुर्थ श्रेणी की उन नगरपालिका बनाने की घोषणा की थी ? उनमें कौन-कौन चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका बन चुकी हैं ? और कौन नहीं बन पाई है ? न बन पाने के कारण क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

20 दिसम्बर, 1967 को जारी की गई तीन विभिन्न शासकीय विज्ञप्तियों द्वारा क्रमशः नोटीफाइड एरिया भवाली (जिला नैनीताल) नोटीफाइड एरिया जसपुर (जिला नैनीताल) तथा नोटीफाइड एरिया बागेश्वर (जिला अल्मोड़ा) को चतुर्थ श्रेणी की म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तित करने के प्रस्तावों के सम्बन्ध में, म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा 4(1) की अपेक्षानुसार, सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं। उनमें से जसपुर तथा बागेश्वर की नोटीफाईड एरियाओं को म्युनिसिपैलिटियों में परिवर्तित कर दिया गया था परन्तु प्रशासनिक दृष्टिकोण से नोटीफाइड एरिया, भुवाली को म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तित नहीं किया गया।

## फर्रुखाबाद जिले के आलू उत्पादकों को सुविधा देने पर विचार

*34—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार उत्तर प्रदेश के विशेष कर फर्रुखाबाद जिले में आलू उत्पादक किसानों को शीत गृहों से उत्पन्न कठिनाईयों तथा रेन्ट कन्ट्रोल आदि के विषय पर निर्णय लेकर सुविधा प्रदान करने के लिये क्या किसी उच्चस्तरीय समिति को गठित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उस समिति का गठन किया जायेगा ? और समिति में कितने सरकारी व कितने गैरसरकारी सदस्य होंगे ?

डाक्टर सीताराम—

सरकार को उत्तर प्रदेश के विशेष कर फर्रुखाबाद जिले में आलू उत्पादक किसानों को शीत गृहों से उत्पन्न कठिनाइयों तथा रेट कन्ट्रोल आदि के विषय पर निर्णय लेकर सुविधा प्रदान करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। इस पर अभी शासन द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। समिति में कितने सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य होने का प्रश्न नहीं उठता।

## श्री राजबहादुर लाल श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट इंजीनियर यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप

*35—श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्द शहर) तथा श्री रघुनाथ सिंह (जिला आगरा)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजबहादुर लाल श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट इन्जीनियर के खिलाफ यू० पी० एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के लाखों रुपयों के घोटाले के आरोप हैं जिसकी जांच कोई बोर्ड आफ डाइरेक्टर के चेयरमैन को करीब 6 माह से दी गयी है ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही कीगई ?

डाक्टर सीताराम—

श्री राजबहादुर लाल श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट इन्जीनियर यू०पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के खिलाफ कतिपय वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। इन आरोपों की प्रारम्भिक जांच हो चुकी है। इस समय विस्तृत जांच निगम के प्रबन्ध निदेशक कर रहे हैं। इस जांच की समाप्ति पर ही वित्तीय हानियों की वास्तविक स्थिति का पता चल पायेगा।

*36—37—श्री नौनिहाल सिंह—

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*38—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*39—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## कृषि विभाग गोंडा के अन्तर्गत निलम्बित कर्मचारी

*40—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले में कृषि विभाग के अन्तर्गत मार्च, सन् 1970 से 30 जून, 1971 तक कितने कर्मचारी निलम्बित किये गये और निम्लम्बित किये गये कर्मचारियों के निलम्बन के क्या-क्या कारण हैं ?

डाक्टर सीताराम—

गोंडा जिले में उक्त अवधि में 19 कर्मचारी निम्नलिखित कारणों से निलम्बित किये गये :

| कर्मचारियों की की संख्या | निलम्बन का कारण |
|---|---|
| 8 | स्थानान्तरण के फलस्वरूप कृषि बीज भंडार के चार्ज देने में हीलाहवाला करने एवं उनके स्टाक में गोलमाल के संदेह पर। |
| 4 | स्टाक में गोलमाल पाए जाने के कारण। |
| 3 | चार्ज न देकर फरार होने के कारण। |
| 2 | चोरी की झूठी रिपोर्ट देने के कारण। |
| 1 | आदेशों की अवहेलना के कारण। |
| 1 | कर्मचारियों की देय धनराशि को समय से भुगतान न करवाने एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत तथा पेन्शन के मामलों के निस्तारण में उदासीनता बरतने के कारण। |

## जिला परिषद् कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग

*41---श्री महरम सिंह---

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1971 में जिला परिषद् के कर्मचारियों ने हड़ताल करके सरकार के समक्ष मांग-पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें जिला परिषद् कर्मचारियों को सरकारी घोषित करने की मांग की गई थी ? उस मांग-पत्र पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जिला परिषद् कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र में सरकारी घोषित करने की कोई मांग नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*42-43---श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त---

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*44---45--श्री जगदीश गांधी---

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*46---श्री मनफूल सिंह---

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*47-48---श्री राम देव (प्रतापगढ़)---

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*49---श्री गोपाल दत्त ओझा, श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी---

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*50-51---श्री राजितराम पांडेय---

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*52---श्री मंजूर अहमद---

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*53-54---श्री कल्याण सिंह---

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*55---श्री हरी सिंह विष्ट (अल्मोड़ा)---

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*56---श्री जंग बहादुर यादव---

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*57---श्री रामधारी शास्त्री--

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*58—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*59—श्री भगवती सिंह विशारद—

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## पी० एम० टी० मेडिकल कालेजों का परीक्षाफल

*60—श्री भानु प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० एम० टी० मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये संयुक्त परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित होने में बिलम्ब क्यों हो रहा है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

परीक्षाफल अगस्त मास के दूसरे सप्ताह में प्रकाशित हो चुका है ।

*61—श्री भानु प्रताप सिंह—

क्या सरकार को सूचना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने अधीनस्थ मेडिकल कालेज में भरती करने के लिये अगले साल से अलग से परीक्षा लेने का निर्णय किया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बजपेयी—

सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

*62-63—श्री छेदालाल चौधरी—

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*64-65—श्री सच्चिदानन्द—

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*66—श्री जयराम यादव—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*67—श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित—

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## जिला परिषद् के कार्य अधिकारियों के पद का सेन्ट्रल ट्रांसफेरेबिल कैडर

*68—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जिला परिषदों के कार्य अधिकारियों के पद का ट्रांसफरेबिल केडर बना दिया गया है और यह नियम भी लागू कर दिया गया है कि वे जिस जिले के निवासी हैं उन जिलों में उनकी नियुक्ति न रह सकेगी ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी सदन के पटल पर उन कार्य अधिकारियों की सूची रखने की कृपा करेंगे जो जिन जिलों के रहने वाले हैं और वहीं पर आज भी कार्य कर रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषदों के कार्य अधिकारियों के पदों का सेन्ट्रल ट्रांसफरेबिल केडर बना दिया गया है । यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वे जिस जिले के निवासी हैं उन जिलों में उनकी नियुक्ति न रह सकेगी । फिर भी इसे सामान्य सिद्धान्त मान कर कार्यवाही की गई है और की जा रही है । प्रश्न गत सूची प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 472 पर)

*69-70--श्री शिव लाल--

(11वें मंगलवार के लिये स्थगित)

## जिला अधिकारी, सीतापुर द्वारा जिला परिषद् की जमीन को बेचने की स्वीकृति

*71--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री वीरेन्द्र वर्मा, श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि श्री मजूमदार जिलाधिकारी, सीतापुर ने अभी तबादला पर जाते जाते एक जिला परिषद् की जमीन जो कि 15 बीघा है और इंडस्ट्रियल स्टेट के पास है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये है, खैराबाद और सीतापुर के बीच में है मन्त्रि परिषद् के एक सदस्य की लिखित सिफारिश पर केवल 500 रुपये में दे दी तथा एलाटमेंट इनके भाई को हुआ है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

श्री मजूमदार, जिला अधिकारी सीतापुर ने जिला परिषद की तीन एकड़ आराजी को नेशनल स्पिनिंग एवं वीविंग इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी लि० इन्डस्ट्रियल स्टेट को केवल 561 रु० में देने की स्वीकृति प्रदान की थी। मंत्री परिषद के किसी सदस्य की कोई लिखित सिफारिश न थी। किसी विशेष व्यक्ति के नाम एलाटमेन्ट नहीं किया गया।

*72-73--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*74-75--श्री श्री कृष्ण बाजपेयी श्री किशन लाल तथा श्री मोहम्मद असगर अहमद--

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*76--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री सर्वसुख सिंह--

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## दंडित कर्मचारी श्री यदुवीर शर्मा की नियुक्ति तथा वेतन का भुगतान

*77--श्री डी० पी० बोरा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय आदेशों के अन्तर्गत श्री यदुवीर शर्मा, दंडित कर्मचारी अल्प सिंचाई ने 13 मई, 1971 को अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन), खीरी के कार्यालय में कार्य करने गये लेकिन उनको अभी तक न तो नियुक्ति ही की गई है और न ही 13 मई, 1971 के बाद से वेतन का भुगतान ही किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम--

श्री यदुवीर शर्मा, अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) खीरी के कार्यालय में मई 13, 1971 को कार्य करने गये परन्तु अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), खीरी के समक्ष कुछ वैधानिक कठिनाइयां होने के कारण उन्होंने शासन के आदेश चाहे थे। शासन से श्री शर्मा को पदारूढ़ करने के आदेश अगस्त 18,1971 को दिये गये और श्री शर्मा ने अगस्त, 20 1971 को अपना पद ग्रहण कर लिया है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मई, 13, 1971 से वेतन नहीं दिया गया है।

*78--श्री डी० पी० बोरा--

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश 40-3-71, दिनांक 1 ई, 1971 एवं अधीक्षण अभियंता (अल्प सिंचाई) मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के 6 मई, 1971

के आदेशों के बावजूद भी श्री शर्मा की नियुक्ति अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन), श्री मोहन सिंह शर्मा, खीरी अभी तक नहीं कर रहे हैं ? क्या श्री शर्मा ने इस संदर्भ में मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को लिखित रूप से अवगत कराया है ? यदि हां, तो क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

डाक्टर सीताराम—

श्री यदुवीर शर्मा ने अब 20 अगस्त, 1971 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी हां। उन्हें 20 अगस्त को पदारूढ़ कर दिया गया है।

## सामुदायिक विकास विभाग में कार्यरत स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों में हरिजन

*79—श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियोजन विभाग, गोंडा के कार्यालय में कुल कितने लिपिक कार्य कर रहे हैं उनमें से कितन स्थायी ह तथा कितने अस्थायी हैं तथा उनमें हरिजनों की संख्या कितनी-कितनी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस जनपद में सामुदायिक विकास विभाग के बजट पर इस समय कुल 129 लिपिक कार्यरत हैं। इसमें से 49 व्यक्ति स्थायी हैं और 80 व्यक्ति अस्थायी हैं। उपरोक्त लिपिकों में से 2 हरिजन वर्ग के हैं जिनमें 1 स्थायी तथा एक अस्थायी है।

*80—श्री राम बचन यादव—

[11 वें मंगरलवार के लिये स्थगित]

*81–82—श्री सतीश चन्द्र—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित[

*83–84—श्री राम किशोर शुक्ल—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*85—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*86—श्री सजीवन लाल—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*87—श्री श्याम लाल कनौजिया—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*88—श्री दल सिंगार यादव—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*89—श्री वीरेंद्र वर्मा—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*90—श्री शेषनारायण शुक्ल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*91—श्री राम कुमार दीक्षित—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*92—श्री चेतराम गंगवार—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## अतारांकित प्रश्न

### उन्नाव जिले में परिवार नियोजन केन्द्रों के भवन

1—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष सन् 1971–72 में परिवार नियोजन केंद्रों के कितने भवन बन कर तैयार हो गये हैं ? तथा कितने और बनना अभी प्रस्तावित है ? और वह कहां-कहां पर बनेंगे ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

उन्नाव जिले के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष सन् 1971–72 में अभी तक परिवार नियोजन के 2 केंद्रों तथा 9 उपकेंद्रों के भवन बन कर तैयार हो गये हैं तथा 1 केन्द्र का भवन निर्माण हो रहा है । इनके अतिरिक्त 13 केंद्रों और 71 उप केंद्रों का भवन और बनना प्रस्तावि है । जहां जहां पर ये केंद्र व उप केंद्र बनाये जान का प्रस्ताव है उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 473 पर)

### विकास खंड झींझक तथा रसूलाबाद में नसबन्दी तथा लूप

2—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खंड झींझक और रसूलाबाद में 1 जनवरी, 1970 से 15 जून, 1971 तक परिवार नियोजन के अन्तर्गत कितनी नसबन्दी हुई और कितने लूप लगाये गये ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

कथित अवधि में विकास खंड, झींझक में 78 पुरुष नसबन्दी और 1 महिला नसबन्दी की गई तथा 70 लूप महिलाओं को लगाये गये । उसी अवधि में रसूलाबाद विकास खंड में 78 पुरुष नसबन्दी और 3 महिला की नसबन्दी की गई तथा 58 महिलाओं को लूप लगाये गये

### टाउन एरिया राबर्ट्सगंज को म्युनिसिपिल बोर्ड बनाने का प्रस्ताव

3—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) को म्युनिसिपल बोर्ड बनाने की वर्ष 1970 में कोई राजाज्ञा जारी हुई थी ? यदि हां, तो किन कारणों से उसे रद्द कर यथावत् चुनाव कराया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

टाउन एरिया राबर्ट्सगंज को एक म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को म्युनिसिपलिटीज एक्ट की धारा 4(1) के अपेक्षानुसार सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के उद्देश्य से दिसम्बर, 1970 में विज्ञापित किया गया था । उस विज्ञप्ति को रद्द नहीं किया गया था परन्तु चूंकि चुनाव होने के समय तक शासन इस टाउन एरिया को म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तित करने के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं ले सका था अतः उक्त टाउन एरिया

का चुनाव करा दिया गया । अन्त में शासन ने इस टाउन एरिया को म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को उसकी आय कम होने के कारण समाप्त कर दिया ।

4—श्री सुरेंद्र विक्रम

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

5—श्री नौनिहाल सिंह—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## कैराना नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी की अस्थायी नियुक्ति

6—श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा कैराना (जिला मुजफ्फरनगर) की नगरपालिका में श्री एम0ए0 काजमी, एक्जीक्यूटिव, आफिसर के तबादले के बाद कोई दूसरा एक्जीक्यूटिव आफिसर कैराना नगरपालिका में नहीं भेजा गया ? क्या शीघ्र ही किसी अधिकारी को सरकार भेजने का कष्ट करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

कस्बा कैराना की नगरपालिका में श्री एम० ए० काजमी, अधिशासी अधिकारी, के तबादले के बाद श्री उसामा बिन फाजिल की नियुक्ति अधिशासी अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से कर ली गयी है ।

7—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[11वें मंगलवार क लिये स्थगित]

8—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

9—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[11वें मंगलवार के लिए स्थगित]

10—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा) तथा श्री दीपनारायण बन—

[11वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## ब्लाक प्रमुख का चुनाव

11—श्री हिम्मत सिंह, श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री उमा नाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में ब्लाक दानपुर के ब्लाक प्रमुख का देहान्त हुये लगभग दो वर्ष हो गये और अभी तक ब्लाक प्रमुख का चुनाव नहीं कराया है ? यदि हां, तो अब तक न कराने के क्या कारण हैं ? तथा कब तक करा देंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

प्रमुख पद का चुनाव 2 वर्ष से न कराने का यह कारण है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 12(2) के प्रतिबंधात्मक खंड के अनुसार यदि क्षेत्र समिति का कार्यकाल शेष होने में छः माह से कम की अवधि रह जाय तो प्रमुख पद पर हुई रिक्ति,

नहीं भरी जायगी। यह प्राविधान 30 अप्रैल, 1969 से लागू हुये थे और तब से क्षेत्र समितियों का कार्यकाल छः माह की अवधि से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया गया। अतः उपनिर्वाचन कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षेत्र समितियों के अब सामान्य निर्वाचन फरवरी--अप्रैल, 1972 में कराये जायेंगे उसी समय दानपुर में भी निर्वाचन हो जायेगा।

12---श्री हिम्मत सिंह, श्री रामबचन यादव तथा श्री उमानाथ सिंह---

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

13----श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

## भूतपूर्व सदस्य, श्री द्विजेन्द्र नारायण पाण्डेय के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष----

अब शोक प्रस्ताव होंगे पहले।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, बड़े दुःख के साथ आप से और आपके द्वारा माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इसी विधान सभा के एक पुराने सदस्य, दरियाबाद, जिला बाराबंकी के रहने वाले, श्री द्विजेन्द्र नारायण पाण्डेय जी का अभी 12 सितम्बर को देहान्त हो गया। वे बाराबंकी जिले के एक लोकप्रिय, मृदुल भाषी और जनसेवा की प्रवृत्ति वाले कार्यकर्ता थे। राजनैतिक दृष्टि से उनका सम्बन्ध जनसंघ से था और सन् 62 से 67 तक वे यहां सदस्य थे। मुझे स्वयं भी उनसे मिलने का अवसर मिला था और कई बार उनके साथ बातचीत करने का और यहां सदन में उनके साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था, अवस्था उनकी अधिक नहीं थी। पहले स्कूल के प्रधानाचार्य थे, बाद में उन्होंने उस पद को त्याग करके जनसेवा का व्रत लिया था। उनका एक लम्बी बीमारी के बाद जिसमें उनका लीवर और फेफड़े खराब हो गये थे, देहान्त हो गया है। किसी जनसेवी का अपने बीच से उठ जाना मान्यवर, दुख की बात होती है और ऐसे जनसेवी का जो जनता में प्रिय हो, सदैव निष्ठा से जनता और देश की सेवा करता हो, उठ जाना सार्वजनिक जीवन में बड़ी भारी क्षति होती है। इस अवसर पर श्रीमन्, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना और उनके दुःख में हमारा दुःख आप व्यंजित कर दें और भगवान से हम प्रार्थना करें कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)---

नेता सदन ने जो यह दुखद प्रस्ताव हमारे सामने रक्खा है उससे मैं अपने आपको और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से यह प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को हमारी संवेदना प्रेषित कर दें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री ने श्री द्विजेन्द्र नारायण पाण्डेय के सम्बन्ध में जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री पाण्डेय सादा जीवन व्यतीत करने वाले मृदुल स्वभाव के नवयुवक कार्यकर्ता थे। वह एक अच्छे जन-सेवी थे और जनता में बड़े प्रिय थे। ऐसे कार्यकर्ता का उठ जाना बड़े दुःख की बात होती है। उनके निधन से बाराबंकी जिले को बड़ी क्षति पहुंची है और उस क्षति की पूर्ति करना संभव नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी और मेरे दल की भावनायें उनके दुखित परिवार के पास कृपया पहुंचा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता भारतीय क्रान्ति दल ने जो भावनायें श्री पाण्डेय के प्रति व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, 1962 से 1967 तक वह हमारे साथ भारतीय जनसंघ के एक सदस्य थे। बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे, बड़े मृदुभाषी, सरल स्वभाव के और लोक प्रिय थे। वह अध्यापन कार्य करते थे और उसको त्यागकर जनसेवा में आये थे। उनके यहां जनता की भीड़ रहा करती थी और वह सभी का कार्य कराने का प्रयत्न करते थे। हम उनके निधन से बड़े दुखी हैं और उससे जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करना संभव नहीं प्रतीत होता है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हमारी भावनायें दुखित परिवार तक पहुंचा दें और परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, श्री पाण्डेय जी हमारे जिले के थे और उनके निधन से मैं बहुत दुखी हूं। नेता सदन ने और विभिन्न दलों के नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने आप को सम्बद्ध करते हुये आप से निवेदन करता हूं कि आप मेरी संवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मैंने श्री पाण्डेय के बारे में जो भावनायें व्यक्त की गई हैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप संतप्त परिवार को सान्त्वना का सन्देश दे दें।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो संयुक्त प्रस्ताव किया है मैं उससे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और मेरी प्रार्थना है कि मेरी सम्वेदना उस दुखी परिवार तक पहुंचा दी जाय।

*श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)---

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन तथा नेता विरोधी दल ने जो विचार माननीय द्विजेन्द्र नारायण पाण्डेय जी के बारे में एक प्रस्ताव के रूप में रखे हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय पाण्डेय जी हमारे बाराबंकी जिले के दरियाबाद के रहने वाले थे। वे एक साधारण परिवार से थे और 15 वर्षों तक उन्होंने पहले अध्यापन का कार्य किया। वे एक जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक थे। मुझको भी गर्व है कि उन्होंने मुझको भी हाई स्कूल तक की शिक्षा दी। माननीय पाण्डेय जी ऐसे साधारण परिवार के थे फिर भी उन्होंने जन-सेवा को अपना लक्ष्य ही रखा। उनकी मृत्यु अस्पताल में हुई। जब मैं उनसे मिलने गया तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि जो लोग उनकी सेवा करने के लिये आये थे उनको वे भोजन भी करवा सकें। उन्होंने मुझसे कहा कि जो दो एक लोग हमारे साथ रहते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कर दो। इस समय उनका पूरा मकान गिर गया है। वे 4 लड़कों तथा एक लड़की को छोड़ कर गये हैं। माननीय पाण्डेय जी साहसी, कर्मठ, जनसेवी कार्यकर्ता थे एक छोटी-सी सर्विस करके उन्होंने जनसेवा की भावना से प्रेरित होकर विधान सभा का चुनाव लड़ा और विधान सभा के सदस्य हुये। सन् 1962 से 1967 तक वे यहां रहे। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस संयुक्त प्रस्ताव के साथ ही साथ वे उनकी कुछ सहायता करने के बारे में भी अवश्य विचार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल तथा अन्य पार्टियों के नेताओं ने माननीय द्विजेन्द्र नारायण पाण्डेय जी के स्वर्गवास पर अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट किया है। इन भावनाओं से मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। प्रत्यक्ष रूप से मुझे उनसे कोई सम्पर्क नहीं था परन्तु वास्तव में वे एक सच्चे कार्यकर्ता थे, ऐसा सभी लोग कहते हैं। वे ऐसे कार्यकर्ता थे जो निराभिमान थे और देश सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने गरीबी में ही जिन्दगी बिताई और गरीबी में ही उनका अन्त हुआ और बहुत थोड़ी ही उम्र में वे चले गये जिससे यह एक और दुख की बात है। मैं आपकी तथा सदन की भावनायें उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। उनके प्रति जो सहानुभूति प्रकट की गई है उस सम्बन्ध में मैं भी यह कहूंगा सारे सदन को उनके कुटम्बियों के प्रति सहानुभूति है और उनके दुख में हम सभी दुखी हैं। अब हम दो मिनट के लिये खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये।)

## लखनऊ में बाढ़ के प्रकोप के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना तथा नियम 51 की सूचना के बारे में श्री बांकेलाल द्वारा वक्तव्य की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)----

श्रीमन्, नियमावली का नियम 25.....

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)----

श्रीमन्, आपने स्वीकार किया था.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)----

मान्यवर....

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग एक-एक करके बोलिये, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आयेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि नियम 251 देखें। इसमें नियमावली के संशोधन की प्रक्रिया है और उसमें आपको ध्यान होगा कि नियम समिति ने संशोधन किया है। श्रीमन्, इसमें नियम है 315-सापेक्ष अग्रता और उसमें संशोधन किया गया है। यह जो कार्य-स्थगन के प्रस्ताव हैं उनको अग्रता मिलेगी। मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आपके सामने रखा। मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी की इस बात से सहमत हूं कि सारे प्रदेश में बाढ़ है। सारे प्रदेश की बाढ़ पर जो हम लोग विचार करेंगे ही। श्रीमन्, दो प्रकार के प्रकोप हैं--एक तो दैवी प्रकोप और दूसरे हैं जिसके अन्दर मनुष्य का हाथ है। सन् 1960 से जब कि गोमती में बाढ़ आयी थी और लखनऊ शहर को खतरा पैदा हो गया था, इस शहर के अन्दर 6 करोड़ रुपया--जैसा कि के0 एल0 राव साहब ने भी कहा है----लगा दिया जाता, कुकरैल बांध वगैरह में जो कसर रह गयी उसमें लगा दिया जाता तो जो स्थान-स्थान पर यह योजना पूरी न होने के कारण जो हानि हुई है, वह न होती।

श्रीमन्, यह बात ठीक है कि प्रश्नोत्तर काल बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन कार्य-स्थगन के महत्व को भी देखिये। देश के जितने बड़े-बड़े समाचार-पत्र हैं, दस दिन तक सबकी प्रमुख

लाइन इसी गोमती और लखनऊ की बाढ़ पर रही, रेडियो के समाचार की पहली पंक्ति भी उस दिन तक इसी की रही। हम उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बैठने वाले क्या अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जायेंगे अगर इस पर अलग से विचार नहीं करते? आपने एक दिन बाढ़ के लिये दिया, वह ठीक है, लेकिन लखनऊ उसके अन्दर ही वह जायगा या अलग से विचार नहीं होगा? श्रीमन्, जब देवरिया का बांध टूटा था तो मैंने निवेदन किया था कि इसको बाढ़ के साथ मत जोड़िये। इसी तरह से इस लखनऊ के अन्दर जो दुर्घटना हुई है इस पर विचार करने के लिये अलग से अवसर दे दें। मैं यह नहीं कहता कि अभी करायें, शाम को या कल करा दें, लेकिन इस बाढ़ के साथ इसको न जोड़ें। हमारे प्रदेश के लाखों लोग लखनऊ नगर में रहते हैं। माननीय कृष्णानन्द जी उठ रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--

आप उनको दबा नहीं सकते।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं प्रदेश की बाढ़ को मिनीमाइज नहीं करना चाहता। उस पर भी पूरा विचार हो। लेकिन लखनऊ की दुर्घटना के लिये जिसकी जिम्मेदारी हो उस जिम्मेदारी को फिक्स किया जाय और जिनका दोष है उनको दंडित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप रिपीट क्यों करते हैं?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं रिपीट नहीं करता हूं, इसको अलग से ले लें। मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

श्री बांके लाल के बारे में मैंने कहा था।

श्री बांके लाल--

मैंने 31 अगस्त, 1971 को बुद्धा डिग्री कालेज के छात्र श्री प्रभाकर तिवारी के कत्ल के बारे में प्रस्ताव दिया था और आपने यह कहा था कि गृह मन्त्री का वक्तव्य 14 सितम्बर, 1971 को निश्चित रूप से दिलवा देंगे, लेकिन मान्यवर, आज मुझे यह पता चला कि उसको उपाध्यक्ष ने अस्वीकृत कर दिया है। आपने स्वीकृत किया और उपाध्यक्ष महोदय ने अस्वीकृत किया, इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो यह समझा था कि 14 सितम्बर 1971 को गृह मन्त्री का वक्तव्य जरूर दिलवा देंगे। आप वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

चूंकि हम उठ गये थे....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

बांके लाल जी ने कहा कि वह अस्वीकृत कर दिया गया है। इस पर आप कृपया अपनी व्यवस्था दें। जब आपने एक मर्तबा एक आदेश दिया था कि वह लिया जायेगा और गृह मंत्री को वक्तव्य देने का मौका दिया तब फिर उपाध्यक्ष महोदय उसको कैसे रद्द कर सकते थे और एक दूसरा आदेश दे सकते थे। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने बाद में ऐसा किया था, क्योंकि उसमें गलती थी। मैं जानता था कि सदन तो बैठने वाला नहीं है और इसलिये वक्तव्य की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। उन्होंने मेरे आर्डर को कैन्सिल नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्री नित्यानन्द स्वामी ने लखनऊ के बारे में जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में आप अपनी व्यवस्था दे दें। मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से कहता हूं। मैं भी फ्लड के बारे में बात करते हुए कहूंगा। देहात की बड़ी आवश्यकता है उस पर आप ध्यान दें, लेकिन यहां स्थिति विचारणीय है जहां हमारे मुख्य मन्त्री, पी० डब्लू० डी० व इर्रीगेशन विभाग के इन्जीनियर तथा हाईएस्ट आफिसर रहते हैं। यहां पर सेक्रेटरीज रहते हैं। केवल 500 ही की नहीं बल्कि हजारों की हत्यायें देश में हुयी हैं। इस सरकार की फ्लड की नीति बड़ी गलत रही है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं देहात को मिनिमाइज नहीं करता हूं, मगर मैं यह कहता हूं कि लखनऊ के विषय में आप जरूर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष---

नित्यानन्द जी चाहते हैं कि इसके ऊपर अलग से विचार हो और कुछ थोड़ी सी बहस हो जानी चाहिये उस आम बहस से अलग जो कि बाढ़ के ऊपर हो रही है। जो कामरोको प्रस्ताव उन्होंने दिया है उसको मैं नामंजूर करता हूं।

श्री बांकेलाल---

आपने कहा था कि गृह मन्त्री का वक्तव्य दिलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष---

उसके लिये मैं आपको जवाब दूंगा, आप बैठिये।

मैं यह कहा रहा था और मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा कि अगर इस पर आपको बहस करनी है तो मैं इसके लिये 1 घन्टे का समय दे दूंगा। हम इससे भी ज्यादा बैठ जायेंगे।

श्री बांकेलाल---

जैसा नित्यानन्द जी कहते हैं....

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष महोदय....

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

यह 4 बजे से पहले नहीं लिया जायेगा।

श्री राम बिलास पाण्डेय---

मान्यवर, लखनऊ में गोमती नदी में बाढ़ आयी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि श्री नारायणदत्त तिवारी हेलिकाप्टर से गये थे और उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ में सेना तनात करनी चाहिये। आजमगढ़ खतरे में है। बराबर 4 दिन तक आल इन्डिया रेडियो से यह आता रहा। उसी दिन बांध टूटा जब माननीय उदित नारायण शर्मा वहां पर थे। अधिकारी लोग उनके स्वागत में लगे थे। कलेक्टर का चूंकि ट्रांसफर हो चुका था, लिहाजा

वे एक दूसरे को चार्ज लेने-देने में लगे थे। जनता को बाढ़ से बचाने की फिक्र किसी को भी नहीं थी। तो माननीय नित्यानन्द जी का यह कहना कि केवल लखनऊ में ही यह बात हुई है, ऐसा नहीं है। आजमगढ़ की ओर भी देखना चाहिये जहां पर कि 22 छोटी-छोटी नदियां हैं और कई तालाब हैं। मैं मांग करता हूं कि आजमगढ़ के लिये 2 घंटे की बहस का समय दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बाढ़ के विषय में बहस होगी, अपने-अपने जिले के विषय में माननीय सदस्य कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

लखनऊ के लिये आपने आज्ञा दे दी, लेकिन आपको ग्रामीण अंचलों को भी देखना चाहिये जहां सहायता तक नहीं पहुंची। हमारे यहां 173 गांवों में पानी भरा है। बहुत सी जगह तो प्रकृति के कारण बाढ़ आयी, लेकिन हमारे यहां शाहजहांपुर में नानक सागर से जो पानी छोड़ा गया उसके कारण बाढ़ आयी। इसलिये उस इलाके को अकाल-ग्रस्त घोषित करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

लखनऊ को तो एक नमूने के तौर पर लिया गया क्योंकि यहां पर सभी बड़े-बड़े अधिकारियों के होते हुये बाढ़ आ गई। अब हर जिले के बारे में जनरल बहस जो बाढ़ पर होगी उसमें माननीय सदस्य बोल सकेंगे। (व्यवधान) यह सेन्टर है लखनऊ, यहां अगर कोई गलती होती है तो यह सबसे ज्यादा कन्डेमनेशन की बात होगी। (व्यवधान) अब हर एक को अलग-अलग समय नहीं दिया जा सकता।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। यहां पर कुछ त्रुटियों के कारण इतनी भयंकर बाढ़ आयी और लोगों को इतना कष्ट हुआ। बहुत सी सरकारों का ध्यान यहां की ओर रहा है ....

श्री बांकेलाल--

इतनी-इतनी तो बाढ़ हम रोज देखते हैं। इतना हल्ला यह लोग मचाते हैं जैसे कोई प्रलय हो गया हो। आज हजारों लाखों गांव डूब गये हैं, उसकी यहां कोई चर्चा नहीं करता है। देवरिया जिले को देखें नारायणी के किनारे का हिस्सा बाढ़ से साफ हो गया है।

श्री कृष्णानन्द राय--

बांकेलाल जी ने जो विचार प्रकट किये हैं। पिछले डेढ़ महीने से उत्तर प्रदेश में हजारों गांव डूबे हुये हैं, वहां पर पशुओं के लिये न चारा है और न मनुष्यों के लिये भोजन। जाने किस तरह वहां लोग आधा पेट खाना खाकर जिन्दा रह रहे हैं। लेकिन देश के सारे अखबार आज यहां की बाढ़ का वर्णन कर रहे हैं, इस तरह से जैसे कोई बंगला देश जैसा आक्रमण हो रहा है। मैं अभी अपने क्षेत्रों के गांवों में घूमकर आया हूं, वहां के लोग जब सुनते हैं कि सारा राहत कार्य, सारी फौज, सारी पी०ए०सी० वहीं पर केन्द्रित है तो उसे बड़ी बेचैनी होती है और वे सोचते हैं कि हम लोगों के जानवर चारे बिना मर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के देहाती क्षेत्र में अनाज बांटने का प्रयास हेलीकाप्टर से किया गया है, लेकिन वहां की जनता डेढ़ महीने से अन्न के दाने दाने के लिये मर रही थी। वहां पर खाने के पैकेटस लेने में 5 आदमी स्टैम्पेड में मर गये। वह इस

[श्री कृष्णानन्द राय]

बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किसी तरह का राहत कार्य नहीं किया गया है। किसानों के पशु भूखे मर रहे हैं। गांवों की इस तरह की उपेक्षा की जायगी तो हम लोग जो गांव के रहने वाले हैं उन्हें यह सह नहीं होगा। मैं आपसे मांग करता हूं कि ग्रामीण अंचलों की हालत पर विचार करने के लिये आप 2 घंटे का अलग से समय दे दें और नहीं देंगे तो हम लोग उस बात को नहीं सह पायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रस्ताव लाइये इसके लिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में कोई भी राहत कार्य नहीं किया गया, इस पर दो घंटे के विवाद का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

दो घंटे और दिये जायेंगे, लेकिन....

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 2 घंटे की मांग ग्रामीण अंचलों के लिये और एक घंटे की मांग लखनऊ के लिये है, तो और कल में हम क्या करेंगे, क्या मूसल कूटेंगे? 12 घंटे क्या करना है, क्या चुपचाप बैठे रहेंगे?

श्री अध्यक्ष—

वही तो मैं भी कह रहा हूं।

## कतिपय सदस्यों द्वारा प्रश्नों तथा पहले दी गई नियम 49 व 51 के अन्तर्गत सूचनाओं को अस्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, यहां पर हमार पास दो कागज हैं, एक तो विधान सभा की 30-8-71 की कार्यवाही का है और दूसरा आपके सहायक सचिव का पत्र है, जो उन्होंन मुझे भेजा है। पत्र से मालूम होता है कि आप यहां बैठकर जो निर्णय लेते हैं उसको हमारे उपाध्यक्ष जी बदल देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाऊं आपने 30—8—71 को तारांकित प्रश्न संख्या (2) के बारे में यह निर्णय दिया गया था कि आप हमको आधे घंटे की चर्चा का मौका नियम 49 में देंगे। लेकिन आज सुबह सुबह आपके सचिव बता रहे हैं लेकिन आप पहले मेरी सुन लें, जब कि आपका एक पत्र मेरे कमरे में गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जिसमें लिखा है कि आपके 30—8—71 के पत्र के सन्दर्भ में आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि आपके 30—8—71 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 49 की चर्चा की मांग को माननीय उपाध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया।" माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने स्वीकार नहीं किया। "मान्यवर, आप को स्मरण होगा, मैंने कहा था, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है या तो आप आध घंटे की चर्चा का समय देंगे या सदन नहीं चलने देंगे। और आपने कहा कि आप लिख कर दे दें दफा 49 में हमको आश्वासन दिया था। आपकी कार्यवाही में लिखा है—आप भेजते क्यों नहीं, जब कि आपसे कहा था। मान्यवर, मैंने आपसे कहा था, लिखा हुआ है, आपको स्मरण होगा, मैं लगातार तीन चार दिन से

प्रश्न कर रहा हूं। आपने एक सवाल में आध घंटा स्वीकार कर लिया उसका नतीजा यह हुआ कि मैं एक सवाल ही कर पाया। आप इस पर आध घंटे चर्चा करवा दें। इस पर आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप भेजते क्यों नहीं। आपकी आज्ञानुसार मैंने लिख कर दे दिया। मैं जानता था कि आज आध घंटे का समय देंगे लेकिन श्रीपति जी की आज चिट्ठी मिली। मालूम होता है कि अध्यक्ष से ज्यादा उपाध्यक्ष की ताकत है। आपका अधिकार ज्यादा है या उपाध्यक्ष का जो आपके आदेशों को काट सकें ? और क्या हमारा गुस्सा शान्त करने के लिये या जोश कम करने के लिये आश्वासन दे दिया करते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आश्वासन नहीं दिया था। यह कहा गया था कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आप नियम 49 में दीजिये हम देख लेंगे। आश्वासन नहीं दिया था। अगर किसी प्रश्न के ऊपर कोई बहस मेरे कमरे में आकर करता है और यह कहता है कि उत्तर ठीक नहीं मिला, मैंने कहा कि नियम 49 में दे दीजिये। जवाब ठीक है तो भी सैटिस्फाइड नहीं हैं तो इजाजत हम नहीं देंगे।

श्री शिवकुमार पांडेय---

क्या उस दिन के उत्तर से आप संतुष्ट थे ?

श्री अध्यक्ष---

वहां पर मेरे कमरे में आकर देख लीजिये।

श्री शिवकुमार पांडेय---

कमरा बड़ा खतरनाक होता है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष---

माननीय शिवराजसिंह...

(कई सदस्य खड़े हुए। श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद शोर के बीच कुछ कहने लगे।)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

आपकी नजर सामने रहती है, नजर उठा कर नहीं देखते।

श्री अध्यक्ष---

आप हरदम बोलते हैं। आप कई दफा बोल चुके हैं। कैसे कहते हैं कि आपको मौका नहीं दिया जाता ? चलिये, आप बैठिये।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ के सम्बन्ध में.....

(श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी, श्री शिवराजसिंह के साथ-साथ कुछ कहने लगे।)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मैं चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें। जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय तो आपको बन्द कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

आपका नाम लेंगे। आप बैठिये कृपा करके।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

मैं दस दफा खड़ा हो चुका हूं। आप कृपया पीछे भी देखा करें।

श्री अध्यक्ष---

पीछे मेरे आंख नहीं है, आपके होगी। उनको बोलने दीजिये।

श्री शिवराज सिंह यादव---

अध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ के वातावरण में एक बहुत महत्वपूर्ण दुखद कटाव की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इस कटाव की मरम्मत आप किस प्रकार करेंगे? प्रश्नोत्तर के बाद दिन प्रति दिन, मुतवातिर इस नियमावली के नियमों का खंडन इस सदन में होता चल आ रहा है।

मान्यवर, कोई इस घंटे को चनाजोर गर्म घंटा कहता है तो कोई इसको गड़बड़ घोटाला घंटा कहता है। यह बड़ी दुखद बात है कि आज जैसा अनुभवी तथा योग्य अध्यक्ष भी इस कटाव को जो दिन व दिन बढ़ता चला जा रहा है, चौड़ा होता चला जा रहा है, नहीं रोक पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे इस कटाव की मरम्मत हो सके।

श्री अध्यक्ष---

आपका कहना सही है लेकिन थोड़ी सी लाचारी हो जाती है।

(श्री इन्द्रमणि का नाम पुकारने पर)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

मुझे यह निवेदन करना है। मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं लेकिन मुझे इजाजत नहीं दी गयी।

श्री अध्यक्ष---

मैं इन्द्रमणि जी को बुला चुका हूं। आप सब लोग बोलना शुरू कर देंगे तो कोई नहीं बोल सकेगा। अगर एक-एक करके खड़े होंगे तो सबको मौका मिलेगा।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मुझे श्रीपति सहाय, सहायक सचिव का पत्र मिला है कि मेरे प्रश्न पर उपाध्यक्ष महोदय ने पुनर्विचार करके स्वीकृति नहीं दी। 31 तारीख को हम और बांकेलाल जी आपसे मिले थे आपके कमरे में जाकर और आपने स्वीकार किया था कि 14 तारीख को गृह मंत्री का वक्तव्य दिलवा देंगे। प्रभाकर त्रिपाठी एक छात्र था बुद्ध डिग्री कालेज, कुशीनगर, देवरिया का। उसकी हत्या हो गयी। कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अब यह कह कर उसे अस्वीकार कर दिया गया कि अब यह अविलम्बनीय महत्व का नहीं रह गया है। अब वहां के लोग क्षुब्ध हैं। पुलिस के बारे में उनको आशंका हो गयी है कि पुलिस तथा कप्तान दोनों मिले हुए हैं। जो छात्र मारा गया उसकी लाश पानी में डाल दी गयी। इसके लिये हम वक्तव्य मांग रहे हैं, काम रोको नहीं। अब हमने इसे आज नियम 51 में दिया है और मेरी प्रार्थना है कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 की सूचनाएं शाम को आयेगी तो शाम को ही इसका जवाब दिया जायगा, अभी नहीं।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

मैंने नियम 301 के अन्तर्गत एक प्रश्न दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कमरे में मिल लीजिएगा। मैं इसकी इजाजत यहां इस समय नहीं दूंगा। आपको शाम को सूचना मिल जायगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

अध्यक्ष महोदय, पिछले सेशन में मैंने नियम 51 तथा 52 में एक सूचना दी थी। बलिया जिले के एक ग्राम में जहां एक राज्य मंत्री रहते हैं वह खलील अहमद नामक व्यक्ति के मकान को बर्बाद करना चाहते हैं। उसने और मैंने सूचना मुख्य मंत्री को दी थी। शार्ट नोटिस क्वेश्चन देने के लिये मुझसे कहा गया और कहा गया कि वक्तव्य नहीं हो सकेगा। जब मैंने शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया तो उपाध्यक्ष महोदय ने उसे भी अस्वीकृत कर दिया। आपने कहा फिर दे दो और 14 को इस पर वक्तव्य दिला दिया जायगा अथवा अल्पसूचित प्रश्न करवा दिया जायगा। मगर यह भी नहीं हुआ, यह क्या न्याय है? आज 14 तारीख हो गई है उसमें क्या हुआ उसमें मंत्री जी की बाढ़ आ गई है। उसका मकान ढहा दिया गया है। सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया सिविल कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर वह शार्ट नोटिस क्वेश्चन कब आयेगा। अपने आदेशों का पालन आप खुद ही क्यों नहीं करते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में मैं क्या व्यवस्था दूं। मेरे सामने यह प्रश्न इस समय नहीं है....

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

यह प्रश्न पहले दिया जा चुका है...30 और 31 अगस्त को मंजूर किया गया था....

(व्यवधान)

(बहुत से माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

एक साथ उठेंगे तो गड़बड़ हो जायेगा। एक-एक करके आप बोलें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मेरा पूछना है कि आखिर वह प्रश्न कब तक आयेगा? जो श्री खलील, जिला बलिया के एक गांव के रहने वाले के मकान बर्बाद करने के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कमरे में आयें मैं आपको बता दूंगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह अविलम्बनीय लोक महत्व के कौन-कौन से प्रश्न हैं, उनकी क्या सीमा है, उनकी क्या रूपरेखा है, कितने स्वीकार किये जायं, कौन-कौन से अस्वीकार किये जायं? श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 31 अगस्त को जब श्री बांकेलाल जी ने यह कहा था कि श्री प्रभाकर त्रिपाठी नामक एक लड़के की

[श्री रामधारी शास्त्री]

निर्मम हत्या बिहार–गोरखपुर सड़क पर की गई उस समय यह स्पष्ट कहा गया था कि यह प्रश्न स्वीकार कर लिया गया है। वह प्रश्न 14 तारीख को आने वाला था। जब मैंने आज की कार्य-सूची देखी तो पता चला कि वह प्रश्न आज के एजेन्डे में नहीं है। इसी सदन में इस बात की घोषणा की गई थी कि वह प्रश्न 14 तारीख को लिया जायेगा। बाद को यह मालूम हुआ कि वह प्रश्न अस्वीकार कर दिया गया है तो क्या मैं यह जानने की धृष्टता कर सकता हूं कि जिस प्रश्न के सम्बन्ध में इस सदन में पहले एक बार घोषणा कर दी जाती है कि वह स्वीकार हो गया है और बाद में माननीय उपाध्यक्ष अथवा आपके उप-सचिव का यह लिखना कि वह अस्वीकार किया गया है, कहां तक उचित है। मैं समझता हूं कि उसे अस्वीकार किया जाता। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 31 तारीख को यह वरीयता प्राप्त करने वाला प्रश्न था। इस तरह से एक लड़के की निर्मम हत्या करके उसकी लाश सड़क के किनारे थोड़े से पानी में डाल दी गई। दरोगा ने उसकी लाश को देखते हुये कहा कि लगता है कि इस आदमी ने आत्महत्या कर ली है। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट की कोई परवाह नहीं की गई। वहां के दरोगा यह भी कहते हैं कि लगता है कि केंकड़े उसके कान खा गये हैं और इसने स्यूसाइड किया है। इस प्रकार जिस विषय की एक ओर सदन में घोषणा हो जाती है और दूसरी ओर दूसरे अधिकारी उसको नामंजूर कर देते हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह घोषणा सही है? 14 तारीख की कार्यसूची में इस प्रश्न को स्थान क्यों नहीं मिला?

श्री अध्यक्ष––

मैं उसे देख लूंगा।

(श्री सुखलाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पांडेय––

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नाम सुखपाल है। सुखलाल तो दूसरे आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष––

"पाल" ही सही। आपकी टोपी लाल है।

श्री सुखपाल पांडेय––

वह तो मैनेजर सिंह जी ने छीन ली है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 4 जो आज के एजेन्डे में था जो कि संयोग से उस पर विचार न हो सका क्योंकि उसका उत्तर सदन में न आ सका। यह प्रश्न स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित था। यह प्रश्न 26 जून 1971 को सरकार को चला गया था। इस सम्बन्ध में यह सूचना दी गई कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि 2 माह 18 दिन हो गये स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से यह सूचना एकत्रित न हो सकी। तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि "फिर से सूचना एकत्रित की जा रही है" यह बात तो खत्म हो गयी। अब तो . . .

श्री अध्यक्ष––

ऐसा वह जवाब दे सकते हैं।

श्री सुखपाल पांडेय––

वह तो टालू मिक्सचर वाला जवाब है ही। जिससे असली तथ्य सामने न आवे और भ्रष्टाचार का किस्सा सामने न आ सके।

श्री अध्यक्ष––

आप व्यवस्था चाहते हैं, मैंने दे दी कि ऐसा उत्तर आप दे सकते हैं।

श्री सुखपाल पांडेय--

भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तो आपको व्यवस्था देनी चाहिए कि प्रश्न का उत्तर मिले।

श्री अध्यक्ष--

उसके बाद वह आयेगा जब सदन में फिर तो उसका उत्तर मिलेगा आपको...

श्री सुखपाल पांडेय--

आप तो फिर सदन बन्द कर देंगे।

श्री अध्यक्ष--

आज बाढ़ के ऊपर बहस होगी। क्या यही सब चलता रहेगा? यह चीज अच्छी नहीं है। आप काफी बोल लिये।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये एक ऐसी चीज माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने लाना चाहता हूं जिससे उनकी आंखें खुल जायंगी कि वाकई में गरीबों के लिए यहां क्या होता है। एक माननीय इस्लाम अहमद आई0 जी0 पुलिस के सामने एक दादा वकील साहब हैं जिन्होंने वहां की जमीन 5-6 आने गज ली थी और छोटे-छोटे प्लाट बना कर बेच दिये, मुफ्त में उनकी कोठी तैयार हो गयी। उन्होंने वहां नीचे बांध काट कर चरी बोई और जिस दिन पानी आया है इस्लाम अहमद, आई0 जी0 ने कहा कि यहां बोरे लगाने दो तो उस शख्स ने बोरे नहीं लगाने दिये। नतीजा यह हुआ कि 5-6 फिट की नदी तैयार हो गयी। जब वहां से पानी आने लगा तो मिलिटरी के कैप्टन शर्मा आये और इंक्वायरी की तो वह भाग लिये, लेकिन वहां 6 फिट पानी बह रहा था। तो उस सम्बन्ध में नियम 51 में मैंने दे रखा है। मैं यह दिखाना चाहता हूं...एक आदमी क्रिमिनल आफेंस करता है उसको सजा देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

वह ठीक है...आप बाढ़ के संबंध में बोलेंगे....

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह--

मैंने नियम 51 में इसलिए दिया कि यहां पर क्या अन्याय है, यह बाढ़ के बारे में नहीं....

श्री अध्यक्ष--

अभी क्या उसको यहां बुलाया जाय और फांसी दी जाय, यह चाहते हैं आप?

कुंवर चन्द्र प्रतापनारायण सिंह--

मैं वक्तव्य चाहता हूं कि आखिर एक आदमी जो करता है तो कार्यवाही नहीं होती है। आप कृपा करके...

श्री अध्यक्ष--

आप यहां पर कहेंगे तो कार्यवाही होगी ही। मैं आपसे कहता हूं कि आपका भाषण होना है इस पर।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मेरा निवेदन यह था कि अभी आपने व्यवस्था दी है। सही है यहां पर लखनऊ के बारे में बहस कर लीजिये, देहात के बारे में, सारी बाढ़ के बारे में बहस कर लीजिये, लेकिन देखिये कि

[श्री गोविन्दसिंह नेगी]

आपका सूबा बह रहा है, बाढ़ के खिलाफ लड़ाई हो रही है। मुख्य मंत्री यहां पर बैठे हैं। यह अधिकारी यहां पर बैठे हैं और 5 रोज तक बैठे रहेंगे, जब तक क्या हाल हो जायगा सूबे का? आप आज यहां काफी बहस करा लीजिये, उसके बाद सदन की बैठक स्थगित कर दीजिये। नवम्बर में कांस्टीटयूशन अमेंडमेंट बिल आ जायगा। इस बीच में मंत्रियों को भी मौका मिलेगा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को देखने का और अधिकारियों को जिनको यहां बुला लेते हैं प्रश्नों के संबंध में उनको भी मौका मिलेगा और आज के दिन सदन चला करके कल से इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी का ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहता था। आज 14 सितम्बर है। आज के ही दिन हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा और सूबे की राज्यभाषा बनाया गया था। मुख्य मंत्री जी हमारे काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष हैं। मेरा भी साहित्य सम्मेलन का बहुत ही निकट का संबंध है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास अनेक पत्र आज भी डी0 एम0 और कमिश्नर, इलाहाबाद के अंग्रेजी में आते हैं, मेरा सर लज्जा से झुक जाता है। एक तरफ मैं माननीय मुख्य मंत्री का यह वक्तव्य पढ़ता हूं कि प्रदेश की सारी कार्यवाही हिन्दी में होगी और जो भी अधिकारी, राजपत्रित या कैसे भी अंग्रेजी में काम करेंगे उन्हें दण्ड दिया जायगा और आज से 7 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री का शुक्ला जी का एक अभिनन्दन समारोह इलाहाबाद में किया गया तो उनका अंग्रेजी में ही निमंत्रण मेरे पास आया और मेरे पास ही नहीं हजारों नागरिकों के पास आया है और हमने साहित्य सम्मेलन के कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय किया है कि अगर किसी समारोह का निमंत्रण अंग्रेजी में आयेगा तो हम जायेंगे नहीं। मैं आज मुख्य मंत्री से घोषणा चाहता हूं कि हम सब सदस्य चाहे वह जिस जिले के हों, इधर के या उधर के, इस पद पर राजर्षि टंडन बैठा करते थे...मैं मुख्य मंत्री जी को सुनना चाहता हूं कि उनकी क्या नीति है और वह क्या...

श्री अध्यक्ष—

वह समझ गये, बस काफी हो गया।

श्री रामगोपाल संड—

अगर अंग्रेजी में काम करेंगे तो क्या उन्हें दण्ड देंगे? हिन्दी....

श्री अध्यक्ष—

आप कुछ कहना चाहते हैं मुख्य मंत्रीजी, इसके विषय में?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

एक दूसरा प्रश्न उठा दिया हिन्दी के सम्बन्ध में। आज मसला बाढ़ का था। हिन्दी के प्रति सरकार की नीति तो बिल्कुल स्पष्ट है। यदि कहीं कोई कार्य हुआ है तो मैं कृतज्ञ हूंगा, माननीय सदस्य उसे मेरे पास भेज दें। कम से कम उसका जवाब तलब तो किया जाय कि ऐसी कार्यवाही क्यों की जा रही है?

## संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने वाले प्रस्तावित उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र, उक्त विधेयक एवं तद्-विषयक सदन की कार्यवाहियों सहित, उत्तरप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 182 (1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1791

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1971 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 27 अगस्त, 1971 को पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 30 अगस्त, 1971 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अगस्त, 1971 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1971 का उत्तर प्रदेश का 25 वां अधिनियम बन गया।

## पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्तुत प्रतिवेदन के सम्बन्ध में, उसकी सिफारिशों के संबंध में बहुत संक्षेप में कुछ बातें निवेदन करना जरूरी समझता हूं। प्रशासनिक नियमावली अपनी विज्ञप्ति के 6 महीने 16 दिन बाद इस सदन के पटल पर रखी गयी। मान्यवर, इस प्रकार संबंधित प्रशासनिक विभाग ने इस नियमावली को इस सदन के पटल पर रखने में निश्चित रूप से विलम्ब किया। समिति ने सिफारिश की है कि शासन नियमावली को जब सदन सत्र में हो तो 7 दिन के अन्दर और जब सदन सत्र में न हो तो अनुवर्ती अधिवेशन के उपवेशन में नियमावली को सदन के पटल पर रखेगा। दूसरे यह कहा गया है कि मूल नियमावली में जितने संशोधन किये जायं क्रमाणिक संख्यांकन (सीरियल नम्बरिंग) किया जाय। मूल नियमावली में जितने संशोधन किये गये हैं उनका इस प्रकार कोई संख्यांकन नहीं किया गया है। इसके अभाव में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जितने संशोधन मूल अधिनियम में किये गये हैं उनकी लिस्ट ही नहीं बना पाया।

मान्यवर, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्र के न्याय आयोग की सिफारिश के अनुसार नियमावली सदन के पटल पर 14 दिन के बजाय 30 दिन के अन्दर रखा जाय।

मान्यवर, केन्द्र के माध्यम से एक निर्वचन अधिनियम पारित किया जाय और संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार यह सदन इस प्रकार का एक प्रस्ताव पास करे जिसके माध्यम से संसद इस प्रकार का अधिनियम बनाने के लिये प्राधिकृत हो जाय। इस विभाग के माध्यम से संशोधन नियमावली 31-12-57, 20-4-61 तथा 7-4-70 को विज्ञप्ति की गई थीं वह आज तक सदन के पटल पर नहीं रखी गई हैं। समिति ने यह सिफारिश की है कि यह जो नियमावलियां सदन के पटल पर नहीं रखी गई हैं, उनको सदन के पटल पर रखा जाय। इन शब्दों के साथ में प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

## सदन के कार्य-क्रम के संबंध में कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को सूचना देता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी 13 सितम्बर, 1971 की बैठक में सदन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(2) दिनांक 14 व 15 सितम्बर, 1971 को बाढ़ पर विवाद हो और दिनांक 15 सितम्बर, 1971 को 1971-72 का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाय और उस पर सामान्य

---

†छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष]

विवाद और मतदान हो तदुपरान्त सदन की अनुमति से तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा पारण के प्रस्ताव लिये जायं।

अब यह दो रोज चलेगा बाढ़ के ऊपर।

(2) 16 व 17 सितम्बर, 1971 को संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 के अनुसमर्थन का संकल्प लिया जाय।

(3) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 23 (1) के अनुसार शुक्रवार 17 सितम्बर, 1971 को 2 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाना है, किन्तु उस दिन असरकारी सदस्यों का कार्य न लिया जाय और संविधान के 24वें संशोधन के अनुसमर्थन के संकल्प पर विवाद जारी रहेगा।

(4) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 25 स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16–16 सदस्यों प्राक्कलन समिति के 25 सदस्यों तथा लोक लेखा समिति के 21 सदस्यों के निर्वाचनार्थ नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय 17 सितम्बर, 1971 के अपराह्न 4 बजे तक और मतदान 20 सितम्बर, 1971 को दिन के 11 बजे से ५ बजे अपराह्न तक रखा गया था। अब नामों की वापसी दिनांक 16 सितम्बर, 1971 को अपराह्न 3 बजे तक हो और मतदान यदि आवश्यक हुआ तो 18 सितम्बर, 1971 को दिन के 11 बजे से 5 बजे अपराह्न तक विधान मंडल पुस्तकालय में होगा।

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम को स्वीकार करता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई मंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव आये उसे स्वीकार कर लिया जाय किन्तु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपने जो कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव को सदन में रखने का आदेश दिया है, उस दिन यह निश्चित हुआ था कि 20 तारीख के बाद तक सदन चलेगा और 20 तारीख को चुनाव का कार्यक्रम निश्चित किया गया था। हम लोगों के दिमाग में यह था कि बजट के बाद दूसरे काम किसान मजदूरों के हित के होने हैं वे आयेंगे और हम लोग अपना मत व्यक्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं गैर सरकारी सब दिवसों को सरकार ने खा लिया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के बजट पर तथा सरकार के प्रस्तावों पर ही हम लोग हां या न करने के लिये बैठे हुये हैं या अपनी इच्छा को लिये बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के लाखों लाखों गन्ना किसानों का मामला सरकार के सामने है और उसकी कीमत का मामला सामने है। इस पर इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यह सरकार 12 मिलों की मालिक बन गयी है। यह भी किसानों का उसी प्रकार से शोषण कर रही है जिस प्रकार से पूंजीपति करता था।

दूसरी बात यह है कि किसानों की उत्पादन लागत बढ़ गयी है लेकिन यह सरकार इस बात की तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है कि किसान किस प्रकर से पैदा करता है और उस उसकी क्या लागत आती है और सरकार उस लागत को किस प्रकार से कम किया जाय, इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। क्या प्रदेश की 80 फीसदी जनता के नुमायन्दे हम लोग यहां केवल हां और ना करने के लिये ही बैठे हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रस्ताव को पुनः आप कार्य-मंत्रणा समिति के सामने भेज दें कि वह उस पर पुनः विचार करे। यह

सदन 17 तारीख को उठ रहा है, उसके बाद के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करें हर इसी प्रकार से हर महीने बाढ़ के संबंध में चर्चा करने के लिये यह सदन बैठेगा। अगर यह सदन हर महीने नहीं बैठेगा तो यह सरकार तो वैसे ही बैनकेल हो गयी है, यह कुछ भी न करेगी। जनता जान गयी है कि यह सरकार जो कुछ कर रही है उसके करने से उसको राहत नहीं मिलने वाली है। उसको केवल आप के ऊपर और अपोजीशन में बैठने वाले माननीय सदस्यों के ऊपर रह गया है। इसलिए अगर हर महीने इसी प्रकार यह सरकार अपनी कारगुजारी पेश करती रही तो आफीसरों को डर रहेगा वरना तानाशाह हो जावेंगे। इसलिये कार्य-मंत्रणा समिति इस पर पुनः विचार करे क्योंकि यह सरकार तो केन्द्रीय सरकार की ओर से तानाशाह होती जा रही है। अब तो साफ नारा केन्द्रीय सरकार के बारे में लगने लगा है कि "शुक्ला, याक और तिवारी, जायेंगे सब बारी बारी"। अगर यह विधान सभा स्थगित कर दी गयी तो बड़ी गड़बड़ हो जायेगी। इसलिये इसको फिर से कार्य-मंत्रणा समिति के पास भेज दिया जाय और वह सोच विचार कर इस बारे में फिर से निर्णय लें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, आज समस्त उत्तर प्रदेश बाढ़ से पीड़ित है। हमारे इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि उनके सब इलाके में बाढ़ की स्थिति है। ऐसे समय में बजाय इसके कि हम अपने क्षेत्रों से दूर रहें हमें जनता के बीच म रहना चाहिये। जिस जनता ने हमें यहां चुन कर भेजा है, हमें उसके दुख के समय उसके बीच होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आज और कल बैठकर इस सदन को स्थगित कर दिया जाय और उसके बाद जब सरकार और विरोधीपक्ष को सुविधा हो, तब सदन बैठे। इस समय बिलकुल मुनासिब नहीं है कि सदन को चलाया जाय। चलाना तो आज भी मुनासिब नहीं है लेकिन चूंकि आज और कल बाढ़ पर चर्चा चल रही तो उसको चलाकर सदन उठ जाय। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को पुनः कार्य-मंत्रणा समिति के पास भेज दिया जाय। उसमें सभी पक्ष के माननीय सदस्य हैं, मेरा तो प्रतिनिधित्व उसमें है नहीं, वे पुनः उस पर विचार करें। जिस समय प्रदेश के करोड़ों लोग बाढ़ में डूबे हुए हैं इस सदन की कार्यवाही चलायी जाय, यह मुनासिब नहीं है। इसलिये इसको कार्य-मंत्रणा समिति को वापस किया जाय ताकि कल के बाद से सदन स्थगित हो जाय।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

व्यवस्था का प्रश्न है। जो रिपोर्ट आयी है यह इतनी गलत छपी है कि इसमें जो मेरे क्षेत्र में प्रभावित गांव हैं उनका कोई एक का भी जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

वह इस समय नहीं है। प्रस्ताव के ऊपर दो संशोधन आए हैं। एक तो कल्पनाथ सिंह जी का है कि 20 तारीख के बाद भी बैठा जाय.....

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने यह कहा है कि मुख्य मंत्री जी यह घोषणा कर दें कि वह फिर कब बैठने जा रहे हैं। फिर आप चाहे 17 को समाप्त कर द या कल ही कर दें।

श्री अध्यक्ष---

और मैनेजर सिंह जी का यह है कि यह कार्य-मंत्रणा समिति को वापस कर दिया जाय और कल तक हम लोग बैठे और उसके बाद उठ जाएं। प्रश्न यह है कि सिंह जी के इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## इलाहाबाद जिला परिषद् के बी० टी० सी० अभ्यर्थियों के चयन कीअनियमितताओं के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)†

शिक्षा उप मंत्री (श्री सोहन लाल धुसिया)—

जिला परिषद इलाहाबाद में बी0 टी0 सी0 अभ्यर्थियों के चयन में जो त्रुटियां थी वे सूची के अंतिम रूप दिये जाने के पहिले ही सामने आ गई थीं एवं अंतिम सूची बनाते समय उनका सुधार कर लिया गया था ऐसा मैं दिनांक 27 अगस्त, 1971 को सदन को बता चुका हूं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

इनके वक्तव्य की कापी नहीं मिली है।

श्री सोहन लाल धुसिया—

जो शिकायतें नियम 51 के अन्तर्गत दी गई नोटिस में बतायी गयी थीं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली गई है। बी0 टी0 सी अभ्यर्थियों का चयन 9 अगस्त, 1971 को नहीं हुआ था बल्कि चुनाव की तिथियां 26, 27, 28 मई थी। 5,000 दरख्वास्तें अस्वीकृत नहीं हुई है। केवल 2,558 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे एवं 2,092 अभ्यर्थी चुनाव हेतु उपस्थित हुए थे। चुनाव राजाज्ञा के आधार पर शैक्षिक योग्यता एवं प्राप्तांक की वरीयता को ध्यान में रखकर किया गया था। संपूर्ण सूची मेरिट के आधार पर ही तैयार की गई थी न कि सिफारिश, जातिवाद तथा पक्षपात के आधार पर। इस चुनाव के प्रति किसी प्रकार के असंतोष की कोई शिकायत जिला परिषद इलाहाबाद के कार्यालय में नहीं प्राप्त हुई है। ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है कि जो अभ्यर्थी द्वितीय श्रेणी में इन्टर पास थे और 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे उनके स्थान पर 45—46 प्रतिशत वाले ऊंचे वर्ग के लोगों को ले लिया गया हो। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का कोटा 18 प्रतिशत निर्धारित है। पुरुषों के चयन में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित 18 प्रतिशत का कोटा पूरा रहा, परन्तु महिलाओं के संबंध में अनुसूचित जाति की अर्ह अभ्यर्थिनियों के अभाव के कारण कोटा पूरा न हो सका। प्रशिक्षण की शर्तों को पूरी करने वाली अनुसूचित जाति की सभी अभ्यर्थियों को चुन लिया गया था।

उपर्युक्त चुनाव संबंधित नियमों तथा सिद्धान्तों के अनुसार ही किया गया था।

श्री रूपनाथ सिंह यादव

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि उनको एक शिकायत इलाहाबाद जिला परिषद् के अभ्यर्थी लाल बहादुर की मिली है जिसमें उन्होंने यह चार्ज लगाया है कि उनके 48 फी सदी मार्क्स थे और द्वितीय श्रेणी थी और वह नहीं लिए गए और उनके एवज में 45 फीसदी वाला लड़का ले लिया गया? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई?

श्री सोहन लाल धुसिया—

ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि 48 को छोड़कर 45 वाले को लिया गया। अगर शिकायत लिखकर दे दें तो जांच करा ली जायेगी।

---

†27 अगस्त, 1971 की कार्यवाही से।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

यह जो नम्बर देखे जाते हैं वह एटेस्टेड होती हैं। उनमें अक्सर ऐसा होता है कि 50 नम्बर हैं तो उनको 55 कर दिया जाता है या 45 है तो उनको 48 कर दिया जाता है। क्या ऐसी व्यवस्था भविष्य के लिये की जायेगी कि ओरिजिनल कागज को देखकर ही सही केस माना जाय ?

श्री सोहन लाल धुसिया---

अभी तक ऐसा था कि एटेस्टेड कापी को ही सही माना जाता है। अगर जब कोई खास केस रेफर किया जाय तो उसको देख लिया जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अगर ओरिजिनल पेपर रखे जाएं तभी निर्णय लिया जाय और अटेस्टेड को न माना जाय तो ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर दे दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या शिक्षा मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अंतिम सूची बनाते समय जो त्रुटि रह गई थी उनको ठीक किया गया और नियम 51 देने के बाद उन त्रुटियों को ठीक किया गया तो जिन्होंने पहले त्रुटियां रखीं और बाद को ठीक की उन पर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री सोहन लाल धुसिया---

बहुत सी ऐसी बातें रही हैं जैसी कि एज का प्रारंभ में नहीं था लेकिन उन्होंने बाद को जब सर्टीफिकेट मांगा तो उसमें देखा और उसको ठीक कर दिया।

श्री रूप नाथ सिंह यादव---

हरिजनों के लिए 18 प्रतिशत सीट सुरक्षित हैं लेकिन संविधान के 15(4) में यह दिया है कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनके लिये भी व्यवस्था होगी तो क्या सरकार पिछड़े लोगों के लिये कोई कोटा रखेगी ?

श्री सोहन लाल धुसिया---

शिड्यूल कास्ट के लिए यह संरक्षण दिया गया है लेकिन बैकवर्ड के लिये कोई संरक्षण नहीं है। यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि उनको अलग से संरक्षण रखा जाय।

## उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७१

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)---

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 474 पर)

## प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

इसके बाद नियम ५१ के प्रस्ताव तो मैंने स्वीकार नहीं किये हैं । अब बाढ़ पर विवाद होगा । राजस्व मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा जारी रहेगी ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो राजस्व मंत्री जी ने अपना लेटेस्ट वक्तव्य सदन में बांटा है उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रयास करने पर भी उनकी मशीनरी से उनको सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके । यह बिलकुल असत्य है ।

श्री अध्यक्ष--

यह स्वीकार कर लिया जाय कि जो वक्तव्य बांटा गया है वह भी उसी का पार्ट है जो पहले बट चुका है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

यह बिलकुल असत्य है जो उनका वक्तव्य है ।

श्री अध्यक्ष--

यह स्वीकार कर लिया जाय कि वक्तव्य जो बाटा गया है वह उसका पार्ट होगा.....

श्री कृष्णानन्द राय--

कौन सा वक्तव्य माने, यह मोटी किताब भेजी है, बहुत सी चिट्ठियां भेजी हैं उन सबको ही हम माने लेते हैं ....

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो यह लेटेस्ट वक्तव्य १४ सितम्बर का है उसमें यह बिलकुल सही लिखा है कि उनके पास कोई मशीनरी नहीं है जिससे मालूम हो सके कि बाढ़ की सही स्थिति क्या है और वह उसके अनुसार यहां कोई सही स्थिति रख सकें । मेरा निवेदन है कि इस राजस्व मंत्री के वक्तव्य को कूड़े खाने में फेक दें क्योंकि यह बिलकुल असत्य है और वास्तविकता से परे है और प्रदेश की बाढ़ की भयंकर स्थिति का इससे सही अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । आप किसी भी समाचार-पत्र को ले लें । चाहे आज का नेशनल हेराल्ड या पायनियर कोई भी पत्र ले लें । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि आप माननीय राजस्व मंत्री के ऐसे वक्तव्य पर यहां चर्चा करायेंगे तो वह प्रदेश की बाढ़ की वास्तविक स्थिति पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि वह स्वयं सब जगह की स्थिति के आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हैं और न दिए

---

†31 अगस्त, 1971 की कार्यवाही से ।

ही हैं। मेरा कहना यह है कि आप किसी दिन का भी कोई समाचार-पत्र "आज" "नेशनल हेराल्ड" और "पायनियर" रख दें तो आप को बाढ़ के उनसे सही आंकड़े मालूम हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप व्यवस्था क्या चाहते हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

यह जो आंकड़े दिये गये हैं वह केवल इतने ही हैं कि जिलाधीश को जितनी बाढ़ अपने बंगले के पास दिखाई पड़ गई वही रिपोर्ट आ गई कि इतना ही नुक्सान हुआ है..

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

उनका कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है ? यह उनका व्याख्यान का प्रश्न जरूर सामने है।

श्री कृष्णानन्द राय—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपके राजस्व मंत्री जी का जो यह वक्तव्य है इसको कूड़ेखाने में फेंक दें और किसी भी आज के समाचार-पत्र को सदन के पटल पर रख दें क्योंकि उनमें सही आंकड़े बाढ़ के दिये गये हैं। उसके ही बारे में मैं उदाहरण दे रहा था। उनके अभी तक चार वक्तव्य आए हैं और उन चारों में गाजीपुर जिले के बारे में....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, फिर भी उनका कोई व्यवस्था का प्रश्न हमारे सामने नहीं है। राजस्व मंत्री जी का आशय केवल इतना है कि जो आंकड़े दिये गये हैं वह उनके पास जो दो दिन पहले रिपोर्ट आयी है, वह छपी हैं और तब बटी है लेकिन बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण बदल रही है उसको ही देखकर माननीय राजस्व मंत्री जी ने सही बात कही है कि परिस्थिति बदल रही है इसलिए वक्तव्य में कुछ न कुछ कमी बेशी हो सकती है। यही उन्होंने स्वीकार किया है यहां तो सवाल इतना ही है कि एक साधारण बहस यहां हो जाय और माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र के और अन्य जो वाकयात मालूम हैं और जहां कहीं हमारी कमियां हैं उनके संबंध में अपने सुझाव दें और उनको हम दूर करें और जिन घटनाओं का हमें भी पता नहीं है उनको आपके माध्यम से हम यहां जनाना चाहते हैं और जहां तक हो सकेगा हम कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब वक्तव्य को आप कूड़ेखाने में तो फेंक ही देंगे इसे कोई लाइब्रेरी में तो सजायेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यह मान लिया गया कि जो वक्तव्य दिये वह सब उसका पार्ट हो गये।

(राजस्व मंत्री का यह नवीनतम वक्तव्य जो पहले दिये गये वक्तव्य का पार्ट तथा पढ़ा हुआ माना गया तथा अन्य विवरण जो इस नवीनतम वक्तव्य के भाग माने गये, के संबंध में

देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 476 पर)

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

मेरी प्रार्थना है कि जो लोग पिछली बार बोल चुके हैं उनके अलावा दूसरे लोगों को आप मौका दें।

श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

अध्यक्ष महोदय, यों तो सारा उत्तर प्रदेश ही आज बाढ़ग्रसित है लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिस का आधा भाग पानी में डूबा हुआ है, वह ६ सितम्बर को एमर्जेन्सी डिक्लेयर होने की बात कही गई थी।

[श्री सच्चिदानन्द]

लेकिन ६ ही तारीख को होम सेक्रेटरी साहब ने प्रेस काफ्रेंन्स की और उसमें सूचना दी कि कोई भय नहीं है और यह सूचना एमरजेन्सी डिक्लेअर करने के लिये कही गई तो यह गलत है और बाढ़ का पानी कम होने लगेगा। लेकिन सात तारीख को जो सूचना अखबारों में निकली उस सात तारीख को ही पानी घटना तो दूर पानी एकदम से बढ़ गया और उसी दिन बीरबल साहनी मार्ग का जो बांध टूटा उससे निशातगंज, हैदराबाद और महानगर का पानी १२–१३ फीट के लगभग आ गया। वहां के रहने वाले लोगों को अगर पहले सूचना दे दी गई होती कि एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है और १२–१३ फीट पानी आ जायेगा तो लोग अपना-अपना सामान निकाल लेते। लेकिन उन लोगों को शंका नहीं थी क्योंकि होम सेक्रेट्री ने कह दिया था कि बाढ़ का पानी नहीं आयेगा।

(इस समय १ बजकर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

अचानक पानी आ जाने से करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई और यही हाल बटलर कालोनी का रहा। लोग सामान नहीं निकाल सके और लोगों की लाखों रुपयों की संपत्ति वहां पर नष्ट हो गई। इसका पूरा उत्तरदायित्व सरकार पर आता है। अगर उस क्षेत्र के अधिकारियों या नागरिकों को यह बता दिया होता कि बाढ़ का पानी आ रहा है और आप लोग अपने-अपने सामान को निकाल लीजिये तो वहां के नागरिक कम से कम अपना अपना सामान तो निकाल लेते। उस क्षेत्र में तो हर घर में हर बंगले में जानवर मरे और सामान सड़ा पाया गया। इस सबका उत्तरदायित्व सरकार पर आता है। हमारे लखनऊ में अर्जुनगंज मार्टिनपुरवा, डालीगंज क्षेत्र में और चौक के निचले क्षेत्र हुसैनाबाद में तमाम बाढ़ का पानी आ गया है जिससे करोड़ों रुपयों की संपत्ति का हनन हुआ है। साथ ही साथ सरकार के माध्यम से जो सामान वितरण की प्रणाली थी वह भी सुन्दर नहीं थी। अगर मिलिटरी ने सहायता नहीं दी होती तो लखनऊ की करीड़ों रुपयों की संपत्ति और नष्ट होती और जन-जीवन के नष्ट होने का प्रश्न भी पैदा हो जाता। तो ऐसी हालत में मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो बाढ़ पीड़ितों में सामान वितरण की प्रणाली बनाई गई है—जैसे काल्विन कालेज में ही आठ हजार पीड़ित लोग हैं। वहां मैंने सुना है कि पन्द्रह हजार रुपये का सामान दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे वहां पर भारतीय क्रान्ति दल के भी दो-दो शिविर वहां काम कर रहे हैं इसलिए हम लोगों को यह सूचना मिली है कि यह सूचना गलत है कि सरकार द्वारा वहां इतना सामान बांटा गया है। ट्रकें जरूर आती हैं वहां पर पूड़ियों से भरकर—लेकिन वे पूड़ियां कहां पर बांट दी जाती हैं यह नहीं मालूम। हम लोग जब अपने शिविरों से वहां सहायता कार्य हेतु कुछ बांटना चाहते हैं तो जिलाधीश वहां भोजन नहीं बांटने देते कहते हैं कि यहां आवश्यकता नहीं है, यहां सरकार के माध्यम से बटेगा। जब उन लोगों के शिविरों में जाकर देखा तो पता लगा कि शिविरों में उन लोगों को भोजन नहीं दिया गया है। सामान वितरण की जो प्रणाली है वह ठीक नहीं है। क्योंकि जो वास्तव में शरणार्थी हैं उन लोगों तक सामान पहुंचा भी है या नहीं, यह भी अज्ञात है।

साथ-साथ में यह बता देना चाहता हूं कि लखनऊ क्षेत्र में बहुत बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं। यहां के तमाम नागरिक बाढ़ पीड़ितों को सहायता दे रहे हैं लेकिन अर्जुनगंज क्षेत्र में जहां चारों तरफ जल ही जल है जनता जहां जा नहीं पाती। मैं सरकारी नाव से तीन मील तक गया, मुझे कैप्टेन ले गया। वहां परकई झब्बे पूरियों के बांटने के लिये आये थे लेकिन वहां पांच-पांच, छः छः तारीख तक सामानबांटने के लिये नहीं आये ऐसा लोगों ने मुझे बताया। मेरी मुख्य मंत्री से प्रार्थना है कि उस ओर ध्यान दें। मैं आपके माध्यम से यह भी प्रार्थना करूंगा कि आलमबाग क्षेत्र में वर्षाक कोरण छः छः और सात सात फुट पानी भरा हुआ है और तमाम क्षेत्र जो नगरमहापलिका में मिला दिया गया है उनकी तरफ से वहां के लोगों में जो सुधार होना चाहिये था, जो सहायता उनको दी जानी चाहिये थी चाहे वह बिजली के बारे में हो, चाहे पानी के बारे में हो, या सफाई या नालियों के बारे में हो, वे उन खेड़ों में नहीं दी गई है। आलमबाग के पूरे क्षेत्र में हस्तिनापुर तक में वह सुविधा नहीं दी गई है।

[श्री सच्चिदानन्द]

बाढ़ निकल जाने पर भरे हुये पानी के भी निकल जाने की आवश्यकता होगी। आलमबाग क्षेत्र में जहां हजारों की संख्या में जनता रहती है 6 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। जब तक मशीनों से यहां नहीं निकाला जावेगा यह निकल नहीं सकता है। इसलिये पानी निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिये। लखनऊ क्षेत्र में बहुत से मैं ऐसे स्थानों को जानता हूं जहां कि सम्पत्ति की क्षति हुई है लेकिन उनको सहायता नहीं मिली है। इस बाढ़ में करोड़ों रुपये की क्षति हुई है और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है और सरकार इस क्षति की पूर्ति करे और जनता को सहयोग दे। बाढ़ के पानी से घिरे हुये लोगों के लिये सरकार ने प्रोग्राम बनाये हैं लेकिन जानवरों के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है इसका भी प्रबन्ध होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकारी मशीनरी सुचारुरूप से बाढ़ पीड़ितों में कार्य करे।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे समय बोलने का अवसर दिया जबकि लखनऊ जिला खासतौर से मेरा लखनऊ का पश्चिमी क्षेत्र बाढ़ से घिरा हुआ है। इस भाग के अधिकांश लोग बाढ़ की चपेट में आ गये हैं और सैकड़ों की तादाद में मकान गिर गये हैं। मैं सरकार का ध्यान उन भागों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर कि बावजूद सरकारी मशीनरी जो कि कार्यरत है, अभी तक सहायता नहीं पहुंची है। एक स्थान ऐसा है जहां पर कि अर्धव्यास बन गया है और चारों ओर इतना पानी भरा है कि जाना सम्भव नहीं है। वहां पर 475 घर थे लेकिन अब 32 घर रह गये हैं। इस धैला गांव की 4 हजार आबादी थी लेकिन अब वहां 30, 32 घर ही रह गये हैं। लोग घरों की छतों पर 5, 6 दिनों से बैठे हुये हैं और बहुत से लोग तो पेड़ों पर चढ़ गये हैं। जब मैं जिला अधिकारियों से वहां पर जाने के लिये कहा तो बतलाया गया कि वहां पर जाने में खतरा है लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर गये और लोगों की सहायता की। इतना मैं मानता हूं कि सरकारी मशीनरी सतर्क थी क्योंकि जब घनपुरवा और खदरा में रहने वाले दो लोग मर गये तो उसके 40, 45 मिनट के बाद मिलिटरी बुला ली गई। अगर ऐसा न किया गया होता तो बहुत सी जानें चली जाती। मेरी जहां तक जानकारी है इन दो मौतों के अलावा और कोई मौत लखनऊ में बाढ़ के कारण नहीं हुई है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस बाढ़ की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने बांध को बनाने में रुकावट डाली है। इसकी पूरी जांच की जानी चाहिये कि 1960 से 1971 तक यह कान्सट्रक्शन पूरा क्यों नहीं हो सका। जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं उनका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये। यदि सरकार के मंत्री इसके लिये जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिये और उनके कार्य की भर्त्सना करना चाहिये।

मुझे यह कहना है कि यदि आज वह बांध बन गया होता तो इस समय जो 50, 60 हजार व्यक्ति जो गोमती की बाढ़ से प्रभावित हो गये हैं, बेघरबार हो गये हैं उनको वह नहीं होना पड़ता। सन् 1960 के समय भी मुझको बाढ़ के समय काम करने का मौका मिला था। उस समय वह एक नेचुरल कलेमिटी थी जिसकी जानकारी जैसे ही सरकार को मिली उसने पूरा प्रबन्ध करने की चेष्टा की थी। इस बार भी सरकार और मिलिट्री के जवानों रातों दिन काम करके इसकी भीषणता को रोकने का प्रयास किया है। मैं रात में 3 बजे भी आई० जी० और जनरल भगत के साथ कुकरैल के बांध पर गया हूं। मैंने देखा है कि उस समय भी पी० ए० सी०, पुलिस तथा होमगार्ड्स के जवान वहां पर काम कर रहे हैं उसके कटाव को रोकने. सीपेज को रोकने के लिये लगे हुये हैं। यह ठीक है कि कुछ ऐसे स्थान जरूर हैं जहां पर सरकार का ध्यान समय पर नहीं जा पाया था। मैं श्री जलील अब्बासी, राज्य मंत्री जी के साथ उन स्थानों पर गया। वह है कुकरैल का घना जंगल का एरिया। वहां पर लोगों ने पचासों हजार की संख्या में जानवरों को जमा कर दिया है। इतने अधिक जानवरों के एक साथ इकट्ठा हो जाने के कारण वहां पर उनमें बीमारी फैल गई है और उन जानवरों की बीमारी को रोकने का कोई प्रबन्ध नहीं हो पाया था।

[श्री डी० पी० बोरा]

आज सबेरे भी मैं वहां पर गया था और वहां का कुछ फोटोग्राफ भी मैंने लिये हैं। मुख्य मंत्री जी को जब पता चला तो उन्होंने तुरन्त ही वहां पर जानवरों के डाक्टरों को भिजवाने का प्रबन्ध करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इसके लिये आदेश भी दे दिये। कल वहां पर एक डाक्टर अवश्य पहुंचा था परन्तु आज सबेरे तक कोई डाक्टर नहीं पहुंच पाया है। कल वाले डाक्टर ने पहले तो कुछ जानवरों को इन्जेक्शन लगाये परन्तु बाद में वह उस काम के लिये रुपया मांगने लगा। जब मुख्य मंत्री जी को इस बात की इत्तिला दी गई तो उसी समय उन्होंने उस डाक्टर की गिरफ्तारी के लिये आदेश दिये हैं। ऐसी आशा है कि आज काफी संख्या में वहां पर वेटरीनरी सर्जन और डाक्टर वहां पर पहुंच जायेंगे। उन पीड़ित जानवरों को समय पर दवा मिल जायेगी।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि निशातगंज, महानगर, पेपर मिल आदि जिन स्थानों पर पानी बढ़ गया है वहां पर मैं आज प्रातः साढ़े 11 बजे गया था। वहां पर जो पानी निकालने के लिये पम्पिंग की व्यवस्था की गई है वह बहुत ही कम है। वहां पर सैकड़ों की संख्या में इस तरह के पम्प लगाये जाने चाहिये ताकि जहां पर वाटरलागिंग हो गई है और पानी रुका हुआ है उसको निकालने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो सके। गन्दगी की भी एक भयानक समस्या है। इसी बीमारी के होने का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है जो सभी स्थानों में फैल सकती है। मैंने यह भी देखा है कि जो सब्जी वाले हैं वे उसी गन्देपानी से उसको धोकर दुकानों में लगा रहे हैं। इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिये कि वे ऐसा न करें। मैंने इसको अपनी आंखों से इसको देखा है और वहां पर प्रेस वाले भी थे। मान्यवर, सन् 1960 की बाढ़ के समय प्राइवेट संस्थाओं ने इतना अधिक काम नहीं किया था जैसा कि आज 1971 की बाढ़ के समय में किया है। आज पी०ए०सी०, होमगार्डस, तथा पुलिस के जवान हर तरह से लोगों को सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर केवल दोषारोपण करना चाहते हैं उन्होंने शायद फील्ड आपरेशन में जाने की कोशिश नहीं की है। मेरा 80 फीसदी क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है। मैं और हमारे कांग्रेस दल के लोग पीड़ित लोगों के घर-घर जाकर उनकी तकलीफ के बारे में पूंछ रहे हैं और उनको दूर करने के लिये लगे हुये हैं। उनको आवाज दे देकर उनकी सुविधाओं की चीजों को वहां पहुंचा रहे हैं। इस बात को कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है या कर पा रही है गलत है। जो लोग यह कहते हैं कि सरकार ने कोई राहत कार्य नहीं किया, मैं समझता हूं वह ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उस क्षेत्र में जाकर वहां की जनता की बात नहीं की है। आप कैम्पस में जाकर देखिये। इसके बावजूद कि लोगों को तकलीफ हुई है, मकान बरबाद हुये हैं, उनका मारेल बहुत ऊंचा है।

सन् 1960 की बाढ़ के समय लोग डरे हुये थे लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लोगों को घर-घर जाकर, आवाज देकर निकालने की कोशिश की गयी है। यह बात सही है कि शुरू में नावों की कमी थी। लेकिन तीन-चार दिन बाद इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी से सरकार के माध्यम से नावें आयीं। लोगों का मारेल इतना ऊंचा है कि आप महानगर, पेपर मिल कालोनी में जाइये तो लोग अपने घरों में ऊपर रह रहे हैं। उनको सहूलियतें दी जा रही है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि लखनऊ की एक भी सड़क ऐसी नहीं बची है जो टूटी न हो। लखनऊ में एक लाख से अधिक घर तबाह हो गये हैं। मोहिनीपुरवा, लोधपुरवा जैसे तमाम गांव में घर गिर गए हैं। उनको घर बनाने के लिये सहूलियतें दी जानी चाहियें। लखनऊ का यह हिस्सा जो गोमती के किनारे है, उसमें कुछ ऐसा भी हिस्सा है जो बहुत नीचा है। उसको ऊपर करना चाहिये। जैसे खैरा का इलाका है। उनको मशकगंज के इलाके में स्थान दिया जा सकता है। मेरे क्षेत्र में 80 प्रतिशत जनता प्रभावित थी। जिन संस्थाओं ने इस मौके पर काम किया है मैं उन सब संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि महानगर, निशातगंज, पेपर मिल कालोनी, बादशाहनगर कालोनी में जो गन्दा पानी है और जिस महामारी फैलने का डर है, वहां अधिक से अधिक पम्प लगाकर उस पानी को निकालने की व्यवस्था करें। जो गरीब हल्के नदी के किनारे बसे हैं उनको अधिक से अधिक सहूलियत मिलनी चाहियें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप

अपनी मशीनरी जो अब तक सुचारु रूप से चल रही थी, उसको और कई गुना बढ़ा दें क्योंकि पानी घटता है तो बीमारी की आशंका और बढ़ती है। इन शब्दों के साथ श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, लखनऊ की चर्चा अभी हुई। यह सही बात है कि लखनऊ तबाह हो गया है। फौज ने आकर कंट्रोल किया। एक चीज निवेदन करना चाहता हूं, जहां बटलरपैलेस कालोनी में बड़े-बड़े आफीसर्स रहते हैं वहां पर एक-एक अफसर को एक-एक नाव दी गयी है, उनके नौकरों को अच्छे खाने दिये जा रहे हैं लेकिन देहात के गरीब, निरीह किसान को सड़ा चना दिया जाता है। वह मेरी जेब में मौजूद है। मैं आपको दिखा सकता हूं। सड़ा गेहूं पीस कर आटा दिया जा रहा है। लोग सोचते हैं कि इस सड़े गेहूं की खपत इस बाढ़ के जमाने में नहीं की जायगी तो फिर कभी नहीं हो सकती है। उसको पीस कर उन निरीह लोगों को खिलाया जा रहा है और बटलर पैलेस में उनको अच्छे खाने दिये जा रहे हैं। इस तरह की बात इस लखनऊ शहर में हो रही है। सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये।

देहात के बाढ़ में बाढ़ के प्रश्न पर हम यहां सदन में चर्चा करने की कोशिश करते रहे हैं, मगर ये कहते रहे कि आजमगढ़ में बाढ़ नहीं है। यह सरकार वहां पर बाढ़ मानने को तब तक तैयार नहीं रही जब तक कि इनके पास वहां से रिपोर्ट्स नहीं आयीं। आजमगढ़ की यहां पर कोई चर्चा नहीं हुयी। वहां पर टोन्स का बान्ध टूट गया और टेलीफोन का सम्बन्ध भी टूट गया। लखनऊ से वहां के कलेक्टर से बात नहीं हो सकी। सारी बसें रोक दी गयीं, कलेक्टोरेट बन्द कर दिया गया और सारे स्कूल बन्द कर दिये गये। आजमगढ़ एक टापू जैसा बन गया है। इतना होने पर सरकार ने महसूस किया कि आजमगढ़ में बाढ़ है। जब श्री नारायणदत्त तिवारी हेलिकाप्टर से वहां गये थे तो उन्होंने महसूस किया था कि वहां पर फौज की जरूरत है। लाल डिग्गी बान्ध आज भी भगवान की कृपा से बचा हुआ है। अगर वह टूट गया होता तो मैं समझता हूं कि आजमगढ़ का 1/4 हिस्सा तथा 1/4 जनसंख्या शायद ही बच पाती और सारा शहर बर्बाद हो जाता। आजमगढ़ की ही बात नहीं है, उत्तर में घाघरा है और दक्षिण में टोन्स है और इन दोनों नदियों में 18 छोटी नदियां मिलती हैं। इनके साथ ही साथ 4—4, 6—6, 8—8 मील लम्बे तालाब हैं। पम्प कैनाल लगायी गयी हैं। बैसाख के महीने में सिंचाई के लिये पानी दिया जाता है। उन तालाबों का पानी गंगा, घाघरा तथा छोटी सरयू नदियों में आया हुआ है। वहां पर सारा क्षेत्र जलमग्न हो कर समुद्र जैसा बन गया है। मैं अपनी कांस्टीटुएन्सी घोसी में नाव पर बैठकर जाता हूं। 12 मील तक नाव से जाना पड़ता है। 15 मील के रेडियस में पानी ही पानी हो गया है। वहां पर शिवपुर गांव है, पद्मी गांव है तथा ऐसे पचासों गांव हैं जो कि पानी में टापू बन गये हैं। जब मल्लाह अपना रुख दूसरी तरफ करते हैं तब नाव पर बैठी हुयी औरतें पाखाना करती हैं। यह दशा है और आप कहते हैं कि बाढ़ नहीं है। मैं 4 रोज तक नावपर बैठकर इस क्षेत्र में रहा हूं। जिस गांव में मैं रहा उसके चारों तरफ 15 फिट तक पानी था। ये गांव पटाई पर बसाये गये हैं। 5 आदमियों को सर्प ने काट लिया जिसमें से 2 की मृत्यु हो गयी और 3 को अस्पताल में बचाया जा सका। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर सर्प न हो। घर-घर में रोज 10-15 सर्प मारे जाते हैं। सर्प द्वारा काटने से केवल 15 मौतें दिखायी गयी हैं जबकि 2-3 मौतें रोज हर गांव में हो रही हैं सर्प के काटने से और मकानों के गिरने से। हमारे पहुंचने से 4 घन्टे पहले बहुत सी बकरियां मर गयी थीं। आजमगढ़ समुद्र जैसा हो गया है। आजमगढ़ की ही ऐसी हालत नहीं है बल्कि बलिया, देवरिया तथा गोरखपुर की भी वैसी ही हालत है।

जब लखनऊ में बाढ़ आयी तब कहीं जाकर यह सरकार चेती और तब इसने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ आयी है। आजमगढ़ में बाढ़ आयी नहीं है बल्कि लायी गयी है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर सरकारी अधिकारियों ने बन्धों की हिफाजत की होती तो बाढ़ न आती। कर्मचारियों ने मुस्तैदी से कार्य नहीं किया। आजमगढ़ का जो नक्शा है उसे आप

[श्री राम विलास पांडेय]

देख रहे हैं। राजस्व मन्त्री टेलीफोन से बात नहीं कर पा रहे हैं। 5-9-71 को राजस्व मन्त्री आजमगढ़ गये थे। सारे जिले के कर्मचारी इनके प्रोग्राम को बनाने में लगे थे। इंडीकेट के अध्यक्ष मिश्रा जी वहां डाक बंगले में जब गये तो वहां लोगों ने उनसे कहा कि क्या मंत्री जी को वहां का मोटा रसगुल्ला खिलाने आये हो। यह हो रहा था उस समय। सारे अधिकारी उनके स्वागत में लगे थे। पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, एस0डी0एम0 सभी उनके साथ लगे थे। उसी बीच डी0 एम0 का ट्रान्सफर हुआ, दूसरा डी0 एम0 चार्ज ले रहा था, एक चार्ज दे रहा था। उसी बीच दो डिप्टी कमिश्नरों का भी ट्रान्सफर किया गया। तहसीलदार का भी ट्रान्सफर किया गया। आज भी तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नर यहां दारुलशफा में अपना ट्रान्सफर रुकवाने के लिये आये हुये हैं। वहां बांध की देखभाल और जनता को सहायता पहुंचाने का किसी को खयाल नहीं है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि हर जिले में एक अतिरिक्त जिलाधीश की नियुक्ति की जाय जो केवल मंत्रियों के स्वागत के लिये ही रिजर्व रहे।

मान्यवर, बनारस में एक मीटिंग हो रही थी। माननीय सिंचाई मंत्री वहां उसी समय गये। सिटी मैजिस्ट्रेट उनके साथ रवाना हो गये। थोड़ी देर बाद माननीय मुख्य मंत्री भी पहुंच गये। ए0 डी0 एम0 (जे0) उनके साथ हो गये। इस प्रकार कई अधिकारी इन लोगों के साथ लग गये। जैसा कि इन्दिरा गांधी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश बाढ़ से तबाह हो गया है, मैं इसलिये नहीं आ रहा हूं कि सारी मिलीट्री और सारे अधिकारियों का ध्यान बाढ़ के काम से हट कर हमारे स्वागत आदि में लग जायेगा जो ठीक न होगा। इसीलिये यह जरूरी है कि ऐसे समय से मंत्रियों को दौरा नहीं करना चाहिये। अगर मंत्रियों का दौरा होगा तो अधिकारी स्वस्थ दिमाग से काम नहीं कर पायेंगे। (लाल बत्ती होने पर) दो मिनट और दे दें।

इस बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से सारी फसल सड़ गयी है। उसे फौरन फिकवा देना चाहिये। अगर वह नहीं फिकवायी जायेगी तो उससे बहुत बीमारी फैलने का डर है।

आजमगढ़ में जो सहायता दी जा रही है वह नहीं के बराबर है। उसे बढ़ाना चाहिये। इतना बड़ा इलाका जब कि बाढ़ से प्रभावित है, आपने केवल दो बोरा गेहूं या चना भेजा है। इससे जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। मवेशियों के लिये चारे का भी आपने कोई प्रबन्ध नहीं किया है। चारे के अभाव में आज हजारों मवेशी मर रहे हैं। 15 दिन तक लोगों को नमक तक नहीं मिला। जब हमने नावों का प्रबन्ध किया तब जाकर वे लोग नमक आदि ला सके। मैंने कोशिश करके 25 नावें दिलवायीं तब जाकर कुछ राहत मिली। आप जाकर मान्यवर, स्वयं देख लें कि हमारे यहां की हालत कितनी खराब है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वहां अधिक सहायता दी जाय।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम निर्देशित)---

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया है। पहले तो·····

एक सदस्य ---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में भी बाढ़ आई हुई है। मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं भी अपने विचार प्रकट करूं, लेकिन आपने मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने प्रयास नहीं किया। पिछली बार आपका नाम था, मैंने आपको तलाशा था, पर आप दिखाई नहीं दिये। आज भी नाम है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है।

श्री ए० सी० ग्राइस—

उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं सारे मिलेटरी को, पुलिस व पी० ए०सी० को तथा सिविलियन अथारिटीज को जिन्होंने इस बाढ़ के समय में बड़ा भारी काम किया है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी मदद हम लोगों को न रहती तो और ज्यादा मुसीबत हो जाती, काफी नुकसान हो जाता और काफी आदमी भी मर जाते। यह चीज मैं रिकार्ड में लाना चाहता हूं और मैं उन अथारिटीज को धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले हमें सोचना चाहिये कि बाढ़ क्यों आई। इसके पहले सन् 60 में बाढ़ आई थी, उस पर हमने काफी इंतजाम किया था।

(सदन की दीर्घाओं से पर्चे फेंके गये और करीब 10 छात्रों ने—"आयुर्वेदिक कालेज जिन्दाबाद", "छात्र एकता जिंदाबाद" तथा "हमारी मांगे पूरी हों" के नारे लगाये)। (व्यवधान)।

आपने जो ग्रीन रिवोल्यूशन की है, क्या आपने कभी सोचा है कि वह कैसे हुआ है। यह इस कारण से हुआ है कि आपने सारे पेड़ों को कटवा दिया है। जमीन के जितनी ऊपर वाली मिट्टी है वह बरसात में दरियाओं के भीतर चली गई है। पहले उस मिट्टी को पेड़ रोके रहते थे और वह मिट्टी तमाम पानी को अपने में समेट लेती थी, सोखे रखती थी, किन्तु चूंकि अब ऊपर वाली मिट्टी नहीं रही है इसलिये सारा पानी ऊपर-ऊपर बाढ़ ले आता है। पहले समय में जब तमाम जंगल थे और सब जगह हरे-भरे पेड़-लगे रहते थे तब इतनी बाढ़ें नहीं आती थीं। अब यह हो गया है कि पेड़ हटा दिये गये हैं इफोस्टेशन हो गया है जिससे रीवर बढ़ गई है। बनारस और लखनऊ में पहले सीढ़ी जो नीचे की तरफ आती थी वह मिट्टी से भरी हुई है। रीवर काफी ऊपर आ गया है। जिसके कारण से बड़े बड़े बांध बनाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी आफत यह है कि लखनऊ में तीन नये ब्रिजेस बनाये गये हैं जो कि ज्यादा ऊंचे हैं, जिसमें काफी पानी नीचे से जाये। लेकिन आपने रेलवेब्रिज को जो मार्टिन पुरवा में है, जहां से कलकत्ता रेल जाती है, उसको बिलकुल ऊंचा नहीं उठाया गया है, जिसका नतीजा यह है कि जब बाढ़ जोरों पर होती है तो पानी उस पुल से टकरा-टकरा कर वापस लौटता है और उस ब्रिजेस पर जमा हो जाता है। वहां पर लेवेल आफ वाटर जो हैं उसमें इस तरफ और उस तरफ में काफी फर्क है, एक—डेढ़ फुट का फर्क हो जाता है। नतीजा यह है कि जितना पानी मार्टिन पुरवा और जियामऊ को उस तरफ जाता था इस तरफ आ गया है। इस कारण कालीदास मार्ग में इतनी जल्दी पानी आ जाता है। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि जब आप डैम बनायें, तो वह बिलकुल रेलवे ब्रिज के पास ले जायें। मंत्री जी इस पर ख्याल करें, क्यों सारा ईफास्टेशन हुआ है। जब से पानी बरसना शुरू हुआ अप्रैल से किसी ने फिक्र नहीं किया, टेलीफोन को देखने के लिये कि क्या हो रहा है, जब सब कम्युनिकेशन्स टूट गया फिर कहते हैं इमर्जेन्सी है, यह नम्बर डायल करो। इमर्जेन्सी में टेलीफोन नहीं चल रहा है तो फायदा क्या हुआ नम्बर देने से? बाढ़ शुरू हुई। कानपुर से मैं लखनऊ आया। मैं क्राइस्ट चर्च और ला मार्टीनियर का ट्रेजरर हूं। मुझे चेकों पर दस्तखत करना पड़ता है। कितनी बार टेलीफोन करना चाहा नहीं कर पाया। फिर फायदा क्या है टेलीफोन से? मैं प्रार्थना करूंगा, यह सब चीज देखी जाय तो कारण देखा जाय, क्यों बाढ़ आती है, पानी क्यों रुका है। नहीं तो हम लोगों का बात करना फिजूल है और समय खराब होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब सरकार प्लान बनाये, मार्टीनियर कालेज ब्रिज तक डैम बना दिया जाय नहीं तो फिजूल हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं।

श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश में ही ५१ जिलों में बाढ़ का प्रभाव था। उसमें तीन चार प्रमुख जिले हैं जिनमें जौनपुर भी एक है जो अधिक प्रभावित है। जौनपुर जिले में गोमती, सई, बसुही, पीली, छोटी और बड़ी नदियां हैं। इस पर लगातार वर्षा से इन नदियों में पानी इतना बढ़ गया जिससे इस जिले का करीब आधे से अधिक भाग प्रभावित रहा। इस जिले को

[श्री जंगबहादुर यादव]

काफी नुक्सान पहुंचा है। वैसे समाचार-पत्रों के अन्दर आपने जौनपुर की बाढ़ के बारे में देखा होगा। रेडियो से भी समाचार आते रहते थे। जौनपुर जनपद में बहुत दिनों से गोमती पर पुल निर्माण की मांग चल रही है, गोमती नदी पर, शाही पुल बहुत पुराना है। थोड़ी सी बाढ़ आने के बाद उस पुल पर पानी चलने लगता है और जौनपुर शहर दो भागों में विभक्त हो जाता है और एक का दूसरे से संबंध समाप्त हो जाता है। कई बार प्रयास किया गया कि वहां एक पुल का निर्माण किया जाय। वह शाही पुल इतना पुराना हो चका है कि उस आशा नहीं की जा सकती कि वह ज्यादा दिन चल सकेगा। जब यह पुल बनाया गया था तो उसके पश्चिम में एक नाला जिसको दहीरपुर का नाला कहते हैं उस नाले से बाढ़ का पानी पश्चिम-उत्तर से होता हुआ गोमती में मिल जाता था। जब पानी बढ़ता था तो नाला पानी को दूसरे मार्ग से ले जाकर नदी में पहुंचा देता था। इस तरह से जौनपुर को बाढ़ से रक्षा होती थी। लेकिन सैकड़ों वर्षों से वह नाला आज स्वयं बाहर का पानी लेकर नदी में डाल रहा है। इस तरह से थोड़ा पानी बढ़ने से जौनपुर नगर बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इस बार ऐसी स्थिति हुई कि बहुत से मोहल्लों में इतना तेजी से पानी बढ़ा कि ६ फिट पानी भर गया, और सारे मोहल्ले पानी से घिर गये। पिछली बार जब बाढ़ आयी थी तो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गयी थी, जो लोग आसानी से निकल नहीं सकते थे, सरकार की तरफ से उनको अन्न वितरित किया गया था, दियासलाई, गुड़, चीनी, आटा, चावल, ईंधन सब प्रकार की व्यवस्था की गयी थी। लेकिन इस बार मेरे जिले के अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था बनायी कि जो लोग केन्द्रों पर जायंगे उन्हीं को सामान मिलेगा। एक तरफ उनकी यह व्यवस्था थी दूसरी तरफ जौनपुर नगर के कुछ दलों के ऐसे लोग हैं जिनको हमारे जिले के अधिकारी प्रसन्न रखना चाहते थे, उनके डिस्पोजल पर नावें और जीपें थीं। किसी मोहल्ले में जहां बाजार से सामान लाना पड़ता था, बाढ़ पीड़ितों के निकलने की समस्या थी वहां पर नावें नहीं पहुंचती थीं। कुछ अधिकारियों के परिवार नावों पर घूमते थे। दल विशेष नाव तथा जीपों का इस्तेमाल घूमने में करते थे। मंत्रीगण पहुंचे तो सारे अधिकारी उनके पीछे दौड़ते थे। अन्य दलों के विधायकों के मंत्रियों के आगमन की सूचना नहीं दी जाती थी। जैसा रिपोर्ट में बताया गया कि बाढ़ सहायता समिति की तीन बैठकें हुयीं। एक में तो विधान सभा चल रही थी लेकिन दो की तो जानकारी ही नहीं दी गयी। सामान जो वितरित किया गया उसमें बड़ा दुरुपयोग किया गया है। अधिकारी कहते थे कि जो मोहल्ले घिरे हुए हैं उनके लोग जब तक केन्द्र पर नहीं पहुंचेंगे उनको राशन नहीं दिया जायगा। दूसरी तरफ मैंने देखा कि दल विशेष के नेताओं के डिस्पोजल पर ट्रकों पर सामान लाद कर दे दिया जाता था। उनके साथ लेखपाल जैसा अधिकारी रहता था और वह ट्रकों पर सामान लाद कर रोहट्टा के प्राइमरी स्कूल पर उनको दिया गया जो बाढ़ से प्रभावित नहीं थे पहुंचा देता था जिन्हें उसकी जरूरत नहीं थी और बिना बाढ़ सहायता के खा सकते थे। ताड़तला में ट्रक से चावल, दाल ले जाकर वितरित किया गया। एक फकीर हुसैन एडवोकेट हैं उनके कहने पर ऐसे कई मुहल्लों में दाल चावल एक विशेष सम्प्रदाय के लोगों को दिया गया, जबकि गरीब और बाढ़ प्रभावित लोगों को गल्ला नहीं दिया गया।

जिले के अधिकारी हमेशा संवाद दाताओं को साथ रखते थे, नेता लोग भी उनके साथ रहते थे। एक फोटोग्राफर भी साथ रहता था ताकि उनका चित्र खिंच जाय। बाढ़ के निरीक्षण के समय मंत्री के पीछे अधिकारी लगे रहते थे ताकि उनके साथ उनका चित्र भी आ जाय। जनता को क्या कष्ट है इसकी किसी को परवाह नहीं थी। कुछ संस्थाओं ने जैसे विश्व हिन्दू परिषद् है उसके वर्कर्स ने नाव पर बैठकर दवा इत्यादि दी, गल्ला बांटा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं न तथा अन्य राजनीतिक कार्य-कर्ताओं ने लोगों को पानी से निकाल

कर केन्द्रों तक पहुंचाया लेकिन अधिकांश नेताओं ने यही कोशिश की कि किसी तरह से उनका नाम अखबार में आ जाय तथा फोटो खिंच जाय। जौनपुर के पुल के पूरब की तरफ मियांपुर नाम का मुहल्ला है जिसमें आबादी का काफी किनारा कट गया। वहां एक ठोकर बनाने की आवश्यकता है। मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर को वह स्थान दिखाया और कहा कि अगर ठोकर बनाकर पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं की गयी तो उस मुहल्ले का आधा भाग बाढ़ में कटकर बह जायगा। इसी प्रकार गोमती नदी का पानी अब भी बढ़ रहा है लेकिन अधिकारियों ने वहां व्यवस्था में गड़बड़ियां की हैं। कितने स्थानों पर चावल ही बांटा गया, दाल नहीं बांटी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिस्कुट, चना, रोटी तथा मिट्टी का तेल बांटा गया लेकिन मैंने सैकड़ों गांव देखे, कहीं पर एक चीज बांटी गयी तो दूसरी चीज नहीं बांटी गयी। 4, 5 दिन की घटना है जलालपुर में लेखपाल तथा नायब-तहसीलदार गल्ला बांटने के लिये गये सब गल्ला बांटने के बजाय अपने पास काफी भाग उस गल्ले का रख लिया। पूरा गल्ला नहीं बांटा। बाद में पता चला तो बड़ा होहल्ला मचा। जिलाधीश से शिकायत की गयी तो उन्होंने इसको रोकने का तथा जांच का आश्वासन दिया। इसी तरह की गड़बड़ियां हमारे जौनपुर नगर में भी हुयी हैं। जोगियापुर एक मुहल्ला है। वहां पर गरीब लोग नाव चलाने का काम करते थे लेकिन उनसे नावें ले ली गयीं और उनकी स्त्रियों के लिए शौच आदि के लिये भी नाव की व्यवस्था नहीं की गयी, खाने पीने की व्यवस्था करना तो दूर रहा। इसी तरह से नक्खास मुहल्ला भी घिर गया था। वहां भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इसी तरह मियांपुर और बशीरपुर गांव पानी से घिरा हुआ था वहां पर भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी। हजारों की संख्या में मकान जौनपुर जनपद में गिर गये हैं और अतिवृष्टि के कारण सारे जिले की फसल नष्ट हो गई है। लम्बे अर्से से वर्षा होते रहने के कारण धान के खेतों में दवा वगरह का छिड़काव भी न हो सका है। कहीं-कहीं तो पानी अधिक होने के कारण खरीफ की फसल बोई ही नहीं जा सकी। इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का ही केवल सवाल नहीं है बल्कि पूरे जिले का सवाल है। अतः इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इन क्षेत्रों में बकाया लगान व अन्य बकाया की जो वसूली है उसे केवल स्थगित ही न की जाय बल्कि उसे माफ कर देना चाहिये। इसके साथ ही साथ संपूर्ण जिले के विद्यार्थियों की मार्च के महीने तक की फीस सरकार को माफ कर देनी चाहिये। जहां-जहां आवश्यक हो सस्ते गल्ले की दुकानें बाढ़ग्रस्त जनपदों में और खोल दी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त जिलों में मवेशियों के लिये चारे का अभाव हो गया है क्योंकि सारा चारा पानी में डूब गया है, चारे की फसल नहीं हो पायी है वहां पर भूसे की शीघ्र से शीघ्र सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। बाढ़ के कारण लोगों के मकान गिर गये ह और जहां बाढ़ न भी थी वहां भी अतिवृष्टि के कारण मकान जर्जर हो गये हैं और धूप निकलने पर कच्चे मकान और अधिक तादाद में गिर गये हैं। अतः उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार गरीब लोगों क जिनको कि इससे क्षति हुई है, मकान बनाने के लिये अनुदान दे और जो लोग कर्जा लेकर अपने मकान बनाना चाहते हैं उनको सरकार उदारतापूर्वक मकान बनाने के लिये कर्जा दे। इन सुझावों के साथ मैं अपने सुझाव समाप्त करता हूं।

श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं वह क्षेत्र इतना गरीब है जहां पर कि हर साल बाढ़ आती है। इस वर्ष उस क्षेत्र में बाढ़ आना कोई नयी बात नहीं है। हर साल वहां पर लोग बाढ़ और सूखे से परेशान रहते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन-तिहाई बाढ़ का प्रकोप है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जबसे यह असेम्बली बन्द हुई है तभी से मैं अपने क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और उसे देख रहा हूं। हमारे माननीय मंत्री जी वहां पर गये थे। उन्होंने सारे जिले की स्थिति को देखा। मैं आपको बताऊं कि हमारे माननीय मंत्री श्री शर्मा

[श्री दल सिंगार यादव]

जी ऐसे क्षेत्र में गये जहां कि आज तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं जाता था। वह माननीय राम कुंवर सिंह जी का वह क्षेत्र था। वह वहां पर गये। उस क्षेत्र में जाने के लिये तक रास्ता नहीं था देबारा क्षेत्र में, किन्तु माननीय माल मंत्री वहां पर गये और उस क्षेत्र की स्थिति को देखा। मैं उनके साथ नहीं था। मैं भी वहां गया था किन्तु भेंट न हो सकी। किन्तु मुझे संतोष है कि इस समय वहां पर अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। लोगों को सहायता मिल रही है। किन्तु मैं मानता हूं कि जो सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है वह कम है। मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री जी को लिखा भी है और उन्होंने वायदा किया है कि जितनी सहायता आप चाहेंगे दी जायेगी। पारसाल भी बाढ़ आयी थी। उस समय बहुत कम सहायता दी गई थी। जितनी सहायता मिलनी चाहिए थी उतनी सहायता नहीं पहुचाई गई। किन्तु इस वर्ष जब दो-चार रोज में अपने क्षेत्र में घूमा, तो मैंने देखा कि अधिकारीगण दौड़ भी रहे है, सहायता दे रहे हैं और जिलाधिकारियों ने जो आदेश दे रखे मैं उसी के अनुस र वे लोग चल रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र देबारा में करीब ३० मील लम्बा और २० मील चौड़ा है, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा है। वहां पर करीब एक महीने से बाढ़ का पानी रुका हुआ है। कल मैं वहां से आया हूं। वहां पर पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मकान गिर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ५०० मकान गिर चुके है। पैसा सबको मिलना चाहिये किन्तु जहां के अधिकारी लोग हैं वहां अधिक पैसा दे दिया गया है और जहां पर लोग घिरे हुए हैं वहां पर कम सहायता दी गई है। मैंने कल आग्रह किया कि आप सभी को, सहायता दीजिये। सभी लोगों को गल्ला मिलना चाहिये। यह अव्यवस्था है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र में पूरी सहायता पहुंचाई जाय। जब तक फसल तैयार हो तब तक सहायता दी जाय और जिनके घर गिर गये हैं उनको घर बनाने के लिये सहायता दी जाय।

सब से जटिल समस्या जानवरों के चारे की है। वहां नावों की बहुत ज्यादा कमी है और लोगों को गांवों से निकाला नहीं जा सकता है। देवारा क्षेत्र में कड़ाहों से लोग निकलते हैं जिसमें गुड़ बनाया जाता है। हमारे यहां एक बान्ध बना हुआ है उसी पर लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। वह इतना चौड़ा नहीं है जिस पर सब लोग बस सकें। लेकिन लोग अपने जानवरों के साथ वहां रह रहे हैं। इस क्षेत्र में कई लोगों को सांप नें काट लिया है लेकिन वे अपनी दवा तक नहीं करा सके। दवा के लिये वहां से ३० मील जाना पड़ता है। घाघरा के किनारे पर चलना पड़ता है और दो दिन में आदमी वहां से शहर पहुंच पाता है। चार नदियां बीच में पड़ती हैं उनको पार करके जाना पड़ता है। एक सरयू इसके बाद दो नदियां और पड़ती हैं फिर घाघरा पड़ती है। इस तरह चार छोटी नदियां पार करके शहर जाना पड़ता है। एक सम्मानित सदस्य को सांप ने काट लिया लेकिन वे अपनी दवा नहीं कर सके। बाढ़ के इतने दिनों के बाद भी वहां आने-जाने का कोई मार्ग नहीं रह जाता है।

मैंने आग्रह किया था कि महाराजगंज से बांध तक एक सड़क बनाई जाय। इससे वहां का विकास हो सकता है। कोई अधिकारी वहां जाता नहीं है। दोहरीघाट से होकर जाना पड़ता है। मंत्री जी वहां गये लेकिन उनकी गाड़ी वहां नहीं जा सकी, वहां ऊंट पर या बैलगाड़ी में जाया जा सकता है। ऐसी सूरत में मैं सरकार से मांग करता हूं कि यदि सरकार देवारा क्षेत्र की भलाई करना चाहती है तो सड़क की व्यवस्था होनी चाहिये। जितने गांव पानी में डूबे हुए हैं उनको ऊंचा किया जाना चाहिये और तत्काल उनकी सहायता की जानी चाहिए। यदि गांव ऊंचे कर दिये जायेंगे तो लोग बाढ़ से अपनी सुरक्षा कर सकेंगे।

वहां के विद्यार्थियों की हालत बड़ी दयनीय है। वे स्कूल नहीं जा सकते हैं। उनके पास खाने का ठिकाना नहीं है और न वे फीस ही दे सकते हैं। वे लोग हर तरह से परेशान हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बहुत बड़ी रकम की मांग की है लेकिन वहां दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के जिलाधिकारी का ट्रांसफर करके सरकार ने बड़ा पुनीत कार्य किया है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी का ट्रांसफर करके उस जिले के साथ न्याय किया गया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, बेईमान अधिकारी हैं, जिनकी वजह से सरकार बदनाम हो रही है उनको चुन-चुन कर बाहर भेजा जा रहा है। जिलाधीश आजमगढ़ की आड़ में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो रहा था। सरकार ने पिछले साल लाखों रुपया जनता में बांटने के लिये दिया था, भूतपूर्व तहसीलदार महोदय सारा का सारा रुपया खा गये। वहां के बच्चों की फीस के लिये जो पैसा दिया गया था वह तहसीलदार महोदय ने सारा अपनी जेब में रख लिया; फिर भी अगर सरकार ऐसे जिलाधीश और तहसीलदार का ट्रांसफर करती है तो कहा जाता है कि सरकार ने गलत काम किया। मैं भी ट्रांसफर की सिफारिश करता हूं लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भ्रष्ट धिकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे जिले में ऐसे अधिकारी भी हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं। जैसे मुहम्मदाबाद के परगनाधीश हैं के० डी० राय और मजिस्ट्रेट ऐसे ही ईमानदार लोगों में से है। बाद में मोहम्मदाबाद के तहसीलदार अपने बंगले में बैठे रहे। जब से नये जिलाधीश आये हैं बेचारे रात दिन दौरा करते हैं। कल जब मैं अपने क्षेत्र से आ रहा था तो वे सुबह ही क्षेत्र में दौरे पर जा रहे थे। मुझसे उन्होंने कहा कि अधिक पैसा दिलवाइए तो लोगों की और सेवा की जाय। हर एक आदमी जो मुसीबत में है उसकी सहायता की जाय। राम किंकर जी का इलाका मेरी बगल में है। अपने हाथों से उन्होंने गल्ला बटवाया है। सब पार्टियों के सदस्यों से मिल कर काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा इलाका है उसी प्रकार से सगड़ी तहसील पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ी हुई है। वहां के लोग अब भी गुबरहे में से अन्न निकाल कर खाते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाढ़ के बाद वे उस क्षेत्र को देखेंगे, उसको सुन कर ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। मुझे लगा कि अब अवश्य ही समाजवादी समाज की स्थापना की शुरुआत हो रही है। मंत्री जी उन गांवों को भी देखेंगे जिनमें आज तक कोई अधिकारी गया ही नहीं है। हम लोगों ने उस क्षेत्र में सेवा की है। वहां के एक-एक गांव में घूमे हैं। माल मंत्री जी अब भी वहां जाने की कोशिश की लेकिन रास्ता नहीं मिला। सबसे ज्यादा सहायता आजमगढ़ में माननीय मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में की है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, उसकी ओर वे इसी तरह से ध्यान देंगे।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जनता आज बाढ़ से त्रस्त है किन्तु सरकार और सरकारी अधिकारी मस्त हैं। इस समय यह लोग केवल पिकनिक कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी लूट खसोट मचा रहे हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मिर्जापुर में जो चना बांटा गया है, अगर आप उसी को देखें तो वहां पर ३९५ क्विन्टल चना बांटा गया है। जो चना बांटा गया है वह २४,६७९ रुपये का है। मैं समझता हूं कि इतने रुपये में बहुत अच्छा चना खरीदा जा सकता था। लेकिन अगर आप मिर्जापुर जाकर जांच करें तो उसी से आप अन्दाज लगा सकते हैं कि जब इतना सड़ा चना लोगों को खाने के लिये बांटा जा सकता है, जब चने की खरीद में इतनी लूट-खसोट हो सकती है तो जो और रुपया वहां बांटा गया उसमें कितनी लूट-खसोट हुई होगी। मैं मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मिर्जापुर के जिलाधीश को तुरन्त मुअत्तल करें और यह जांच कराएं कि वहां जो अनुदान बांटा गया है वह सही ढंग से दिया गया है या नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं

[श्री शिवदास]

कि वहां बाढ़ पीड़ितों को जो सहायता दी गयी है उसमें भारी गोलमाल किया गया है। मैं इस सदन का ध्यान अधिकारियों की अकर्मण्यता और मनमानी की ओर दिलाना चाहता हूं। १८ जुलाई से लगातार मिर्जापुर जिले में बाढ़ आयी हुई है। लेकिन आजतक एक छटांक भूसा वहां नहीं जा सका। वहां के जानवरों की क्या हालत होगी? कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी यह कर रहे हैं। इतना बड़ा पोथा बांटा गया है। मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है या नहीं कि इस बाढ़ में जो मकान गिरे हैं उनमें ९० प्रतिशत भूमिहीन हरिजनों के हैं? आपने भूमिहीन हरिजनों के मकान बनाने की क्या व्यवस्था की है? उनके मकान बनाने के लिये मिट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या राजस्व मंत्री जी भूमिहीन हरिजनों की बस्ती के पास जो जमीन है उसको मुआवजे पर एक्वायर कर के भूमिहीन हरिजनों के मकान बनाने के लिये वहां से मिट्टी लेने की व्यवस्था करें। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था तत्काल करें नहीं तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के सामने एक बड़ी कठिन समस्या आ जायेगी। वे जहां मिट्टी लेने के लिये जायेंगे लोग डण्डा लेकर उनके पीछे पड़ेंगे और उन्हें मिट्टी नहीं मिल पायेगी।

मैं राजस्व मंत्री जी से और खासतौर से अगर सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री होते तो मैं उन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मिर्जापुर में बाढ़ अहरौरा बांध से हुई है। अगर अहरौरा बांध से ४ अगस्त से पूर्व धीरे-धीरे पानी छोड़ा गया होता तो इतना नुकसान न होता। अहरौरा बांध संबंधी जो इंजीनियर है उनको तत्काल मुअत्तल करके इस बात की जांच कराई जाय कि क्या ४ अगस्त से पूव धीरे-धीरे पानी निकाल कर इस भीषण बाढ़ से वहां की जनता को बचाया जा सकता था या नहीं। अगर वहां के इंजीनियर ने जरा भी बुद्धि से काम लिया होता, अगर यह अन्दाज लगाया होता कि इतने इंच पानी बरसेगा तो बांध मे इतना पानी बढ़ जायगा तो मिर्जापुर का घुइली परगना जो बाढ़ से तबाह हुआ है वह बच सकता था। वहां पानी का निकास एकदम रोक दिया गया है। घुरई नदी को काट दिया गया है और नालों को रोक कर पानी का निकास बन्द कर दिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पानी का निकास भी होना जरूरी है। उसका प्रबन्ध भी सोचना चाहिये। जहां पर बन्धा बांधा गया है उसका पानी कभी भी निकल सकता है और कैसे उस पानी को निकाला जाय यह भी पहले ही सोचना चाहिये था। असल में जहां पर पचोखर बन्धा बांधा गया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं राजस्व मन्त्री और सिंचाई मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि पचोखर बान्ध से एक नहर निकाली जाय क्योंकि उसका पानी गरई नदी रोकती है। अहरौरा बान्ध का पानी धीरे से निकाल दिया जाय और उसको पचोखर बान्ध में गिरा दिया जाय। यह इस तरीके की व्वयस्था होनी चाहिये जिससे बाढ़ के समय आवागमन की व्यवस्था भी बनी रहे और वह किसी तरह से अवरुद्ध न हो। गंगा की बाढ़ आज भी मिर्जापुर जिले में है। इस वक्तव्य में बताया गया है कि मिर्जापुर में कोई बाढ़ इस समय नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा की बाढ़ आज भी मिर्जापुर में बनी है और वह जिला गंगा की बाढ़ से त्रस्त है। बाढ़ के समय वहां पर आवागमन जारी रहे इसलिये शिखड़ ब्लाक में कछुवा से चुनार तक सड़क हो। इसको तुरन्त बना देना चाहिये। चुनार से अदलपुरा तक, मंगरहा से सिनोरा घाट तक और गंगापुर से चुनार तक सड़क बनाना बहुत जरुरी है। अगर इस तरह से इन सड़कों की व्यवस्था हो जायेगी तो जो क्षेत्र बाढ़ पीड़ित हैं उनको बचाया जा सकता है। बाढ़ के जमाने में उन क्षेत्रों को सहायता पहुंचाई जा सकती है। बाढ़ के जमाने में जो सहायता मिलती है वह अधिकतर बड़े-बड़े लोग ले लिया करते हैं।

मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। बाढ़ के जमाने में बिजली की लाइन सब जगह काट दी जाती है लेकिन शिखड़ ब्लाक में बिजली की लाइन को नहीं काटा गया। इसके फलस्वरूप जो मल्लाह घोलू वहां पर सहायता कार्य के लिये गया था उसकी वहां पर बिजली का करेन्ट लगने से मौत हो गई और सरकार की ओर से उसको अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई। घोलू मल्लाह को बाढ़पीड़ितों की सहायता करने के लिये भेजा गया

था। बाढ़पीड़ितों की सहायता के समय वह जान से मर गया। इसके साथ ही जो उसका सहयोगी था मल्लाह उसको भी चोट आई है लेकिन सरकार की तरफ से उसको भी कोई सहायता अभी तक नहीं दी गई है। मिर्जापुर के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। वहां पर भीषण बरबादी है। जो सुविधा उनको मिलनी चाहिये वह नहीं मिली है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मिर्जापुर जिला हमेशा से सूखे से प्रभावित रहा है और इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हो गया है। वहां के लोग भूखों मर रहे हैं। वे आज अखाद्य पदार्थ खा रहे हैं। महुआ और दूसरे इसी तरह के अनाज को खाकर अपना पेट भरते हैं। इसलिये मैं राजस्व मन्त्री जी से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मिर्जापुर जिले का सदा से शोषण होता रहा है वह अब बन्द होना चाहिये। मिर्जापुर जिले की जनता की तुरन्त सहायता होनी चाहिये। लगान को तुरन्त माफ किया जाय। चारे की व्यवस्था होनी चाहियें। तुरन्त वहां पर टेस्ट वर्क की व्यवस्था होनी चाहिये। गरई नदी की खुदाई होनी चाहियें। जो सड़क मैंने पहले बताई हैं उन पर तुरन्त काम शुरु होना चाहिये। जो बेकार लोग हैं उनको तत्काल काम में लगाया जाना चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था तुरन्त होनी चाहिये।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बाढ़ के विषय पर बोलने की आज्ञा प्रदान की। बाढ़ के सम्बन्ध में जो मैंने पहले कहा था, मुझे खुशी है कि इस सरकार ने देवरिया जिले के लिये बहुत कुछ किया। मा० राजस्व मन्त्री ने वहां के राशन को बढ़ा दिया बाढ़ पीड़ितों के लिये लेकिन आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि पहले तो मैंने अपने क्षेत्र के लिये कहा तो उनके लिये सहायता पहुंच गई और आज एक स्वयं बाढ़ पीड़ित होने के नाते से यहां पर बोल रहा हूं मेरा घर जहां मैं रहता था वह लखनऊ में गोखलें मार्ग पर है। वहां पर 14 फुट पानी 9 तारीख को 1 बजे आया और 7 तारीख से 9 तारीख तक मैं बंधे पर आने-जाने वाले सभी अधिकारियों से पूछता रहा कि आप क्या कर सकेंगे तो आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि पी० डब्लू० डी० व एल०एस०जी०डी० के लोग कहते रहे 7 तारीख तक कि अगर पानी बंधे के ऊपर आ जायगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब मिलीटरी वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने फौरन उस बांध को ढाई फुट ऊंचा उठा दिया और 500 गज तक उठा दिया। इसीलिये मैंने मांग की थी कि छितौनी बांध या कहीं भी कोई ऐसी बात हो तो आप मिलिटरी से काम लें क्योंकि हमें खेद है इस बात का कि हमारा जो यह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वह मुसीबत में हमारे काम नहीं आ सकता और हमें ऐसे आड़े वक्त में सहायता के लिये फौज को बुलाना पड़ता है। इस प्रजातन्त्र का क्या नतीजा होगा कि आज हालत यह है कि फौज ही हमारे सारे काम करेगी यह प्रजातन्त्र को एक चुनौती ही होगी। पिछली बार यहां सन् 60 में बाढ़ आई थी और लाखों रुपया उसके बाद सेन्कशन हुआ था लेकिन वह बंधे नहीं बनाये गये। अगर हम आज इस राजनैतिक वातावरण में, जिन लोगों ने उसको रोका या जिन्होंने उसको नहीं बनने दिया जो कि राजनैतिक व्यक्ति हैं अगर उनके खिलाफ हमने कार्यवाही नहीं की तो दुनिया हमारे ऊपर भी हंसेगी।

बटलर बांध के बारे में भी मैं कहूंगा कि जहां पर हमारी शहर की मिल्क सप्लाई कोआपरेटिव यूनियन है, जहां से पूरे शहर का दूध आता है वहां आज भी बाध अधूरा है और ३ जगह पर थोड़ा थोड़ा काम करके छोड़ दिया गया है। उसका कारण यह है कि जिस जमीन पर काम होना था वह हमारे दल के श्री त्रिलोकी सिंह की, राजा रामकुमार भार्गव की थी और वह लोग हाईकोर्ट से स्टे ले लिये थे और इस कारण से बंधा नहीं बना। अगर इस तरह से लोग हाईकोर्ट जाकर स्टे लेते हैं तो मैं सभी दलों के लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो संशोधन संविधान में किया जा रहा है या करने की कार्यवाही हो रही है उसको मानना चाहिये। वर्ना यह राजा रानी अपनी जमीन गंवाने के लिये हाईकोर्ट से स्टे लाते रहेंगे और लाखों रुपये का धन गरीब जनता का और हजारों की जानें चली जायंगी।

[कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह]

मैं चाहता हूं कि इस बांध में जिन्होंने इस बंधे में रुकावट पैदा की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। जैसा कि अखबार में निकला है कि किसी भूतपूर्व मंत्री ने कहा कि शहर के बांधों के लिये पैसा नहीं दिया जायगा और वह देहात में ही जायगा, जिनके कारण करोड़ों का नुकसान हुआ। जिस मंत्री ने यह आदेश दिया उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहियें क्योंकि उनके उस निर्णय के कारण ही करोड़ों का नुकसान और इन्सान और पशुओं की जान गई है। उस फैसले का नतीजा यह भी हुआ कि जो पैसा लगाया गया वह भी बेकार हो गया। हमारे देश में यह मुसीबत रही कि कोई कुछ कहता है कोई दूसरा दूसरे काम करता है और सब लोग जनता की भलाई की बात करते हैं लेकिन क्या इस तरह से अधूरा काम कर के जनता की भलाई हो सकती है ? इस शहर में जो नुकसान हुआ है पूरी-पराठा खिलाकर उस नुकसान का पूरा अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है।

जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि श्री इस्लाम अहमद आई०जी० के घर के सामने एक कालरा साहब वकील हैं उन्होंने बंधे के नीचे से जमीन काटकर ऊपर चरी बोई थी। जब वहां पानी बढ़ने लगा तो वहां आई० जी० और उनके सिपाही गय और चाहा कि वह बोरियां डम्प करके पानी का प्रबन्ध किया जाय लेकिन उन्होंने बोरी नहीं रखने दिया और जब पानी बहने लगा तो उन्होंने बोरियों को हटवा दिया और कहा कि इससे हमारा घर डूब जायगा। एक आदमी की गलती के कारण वजीर हसन रोड, बटलर रोड, जापलिंग रोड और ऊधर का सारा इलाका पूरा पानी से भरा है। आज भी वहां 8 फुट पानी है। वहां 1 बजे पानी आना आरम्भ हुआ, मैं वहां मौजूद था, एक भी नाव वहां नहीं आई। विश्वविद्यालय के कुछ लड़के जरूर पहुंचे जिन्होंने साढ़े 5 बजे तक पूरे इलाके के लोगों को बचाया। 1 बजे सरकारी नाव पहुंची, मैं भी गया और मैंने भी कुछ लोगों को निकाला और वहां मल्लाह के सिवा और कोई जाने को तैयार नहीं था। मान्यवर, 1 बजे पानी छूटता है और 10 बजे नावें जाती हैं। इससे कितना नुकसान हुआ होगा। आज जितना पानी वहां है लखनऊ भर में कहीं नहीं है। यदि हम प्रबन्ध नहीं कर सकते थे तो पहले ही लोगों को हटा देना चाहिये था। जो नुकसान हुआ है वह सरकार को पूरा करना पड़ेगा। वहां जो नुकसान हुआ है वह सरकार की कमियों के कारण हुआ है। यदि बंद पूरा बनाया गया होता तो मैं समझता हूं कि आज भारतवर्ष के अखबारों में और रेडियो पर लखनऊ की बाढ़ के बारे में आ रहा है वह नहीं आया होता। हर एक चीज यहां पर है, यहां पर सरकार है, सभी लोग हैं। जब 9 तारीख को पानी आया था तो मैं मुख्य मंत्री जी के यहां गया। वहां उनके घर में 6 इंच पानी था। आप सोचें कि शहर में जहां सरकार है, आफिसर्स हैं, वहां यह हाल हो।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अगर गोमती का पानी अधिकारियों के कमरे में पहुंच गया एक नाले जैसी गोमती के बढ़ने से तो देवरिया की बाढ़ पर भी कोई आंसू बहायेगा ?

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह---

मैं लखनऊ की कह रहा हूं। अगर आप इस तरह बंटवारा करेंगे, देवरिया, लखनऊ, मिर्जापुर, जालौन का तो यह शोभा नहीं देता। हम सब हिन्दुस्तान के निवासी हैं। अगर हम सबको एक निगाह से नहीं देखेंगे तो हम कहीं भी भलाई नहीं कर सकते। यही हमारी सबसे बड़ी कमियां रही हैं कि हमने जाति के आधार पर, जिले के आधार पर और ऐसे ही आधारों पर देखा है। अगर हम सामूहिक रूप से नक्शा बनाते और यह सोचते तो पूरे प्रदेश में जो बाढ़ आई है उससे नुकसान कभी भी नहीं होता। माननीय के०एल० राव ने छितौनी में भी यह कहा कि ये बांध गलत बने हैं। यहां जब फिर अब बाढ़ आई तब भी उन्होंने यह कहा लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के किसी भी मंत्री ने यह नहीं कहा कि यह हमारी गलती है। हमको गलती माननी चाहिये।

जब 60 में बाढ़ आई तभी हमको चेत जाना चाहिये। 71 में फिर वैसी बाढ़ आ गई, क्या यह हमारी गलती नहीं थी। अगर बन्धे बने रहते तो बाढ़ न आती। हमेशा अधूरा काम हमारे प्रदेश में होता रहा है। इसी से हमारे काम पिछड़े हैं। हम राजनैतिक बढ़ावे के लिये हमेशा सहायता देते रहे हैं। लेकिन हम प्रदेश को कुछ नहीं दे सके। "गरीबी हटाओ" ये सब बातें हैं। लेकिन जब तक हम अपनी पार्टी को भुलाकर देश के लिये कोई चीज नहीं कहेंगे। उत्तर प्रदेश एक तो वैसे ही पिछड़ा है इस प्रकार वह हमेशा ही पिछड़ा रहेगा। हम लोगों को विश्वास रखना चाहिये और मैं तो यह कहता हूं कि हमको यह भी नहीं कहना चाहिये कि हम पिछड़े हैं। जब तक प्रयास नहीं होगा यह पिछड़ापन नहीं हट सकता। ऐसे लोग जो हाई कोर्ट जाकर सामूहिक काम या जनता के काम रूकवा देते हैं उनकी वजह से यह नुकसान होता है। उनके लिये कोई नहीं बोलता। संविधान में परिवर्तन होने के लिये उसके खिलाफ लोग बोलते हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसा संविधान में जरूर परिवर्तन होना चाहिये क्योंकि ऐसे लोग जनता को भुलाकर स्वार्थ के लिये जनता का नुक्सान करा देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष जी, यह जो प्रदेश में बाढ़ आई है और इस प्रदेश का एक तिहाई जन-मानस त्रस्त हुआ, लाखों एकड़ फसल बरबाद हो गई। यह असामयिक दुर्घटना है। इसको कहा जाय कि खंड प्रलय है तो भी ठीक है। हमारे धर्मग्रन्थों में लिखा हुआ है कि जब शासन की नीयत खराब होती है तब प्रजा पर संकट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, सूखा, इसकी सूरत में आता है। मैं यह कह रहा था कि जिस दिन स सेन्टर में गइया-बछिया की सरकार बनी हुई है तब से बरबादी शुरू हो गई है। यह बात कोई नई नहीं है। यह त्रेतायुग में भी देखिये—जिधर राम जाते थे हड्डियों का ढेर बिछाया जाता था। इस सरकार का न कोई धर्म है, न कोई आचरण है, न रहन-सहन है, यह सरकार तो दल-बदल की है। इस तरह से इनके कुकर्मों का सारा संकट प्रजा पर ही आ रहा है। श्रीमन् सबसे पहले इनको अपना आचरण शुद्ध करना चाहिये, सच बोलना चाहिये। विधान सभा में गलत बयानियां होती हैं। आखिर झूठ जायेगा कहां। लखनऊ में सन् 60 में बाढ़ आई। उससे इन्जीनियरों या मंत्रियों ने कोई सबक नहीं लिया। 60 में पानी के चढ़ाव का स्तर ज्यादा था लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था। यहां पर तीन बंद हैं, बीरबल सहानी बंद, कुकरैल बंद और बटलर बंद। जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि इन तीनों बंदों में तीन आदमियों की जमीनें थीं। कैसे जमीन ली जाती। एक राजा रामकुमार भार्गव की थी, एक जमीन पी० एस० पी० के नेता और अब इन्डेकेटी नेता श्री त्रिलोकी सिंह की थी। सार्वजनिक निर्माण मंत्री न उस रूकवा दी, तो श्रीमन् यह पोलीटिकल चीजें निर्माण में भी चलेंगीं तो काम नहीं चल सकता है। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसना हो जावे लेकिन जमीन न ली जा सके। अगर ऐसा देहात में होता है तब तो आप तुरन्त जमीन ले लेते हैं। यहां सेना मदद के लिये आवे, चीफ मिनिस्टर मौके पर जावे लेकिन फिर भी आप जमीन न लें। हमारे यहां तहसील जलालाबाद में 4, 5 नदियां हैं। जहां 10, 15 गांव ऐसे हैं जहां पर कि पहुंचा नहीं जा सकता है। जलालाबाद के गांव में जाने के लिये शाहजहांपुर से नहीं जा सकते हैं, बरेली बदायूं से होकर जाना पड़ता है। यहां की बाढ़ आल इन्डिया रेडियो के हर बुलेटिन में आती थी, अखबारों में छपती थी। मुख्य मंत्री जी को भी देखने के लिये जाना ही था क्योंकि सूचना विभाग को उनकी फिल्म खींचनी थी। हमारे पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर इतने व्यस्त थे कि दिन रात परेशान रहे। इतने दिन हो गये लेकिन कोई उनका स्टेटमेन्ट तक नहीं निकला। इतने चिन्तित रहे कि बोल भी नहीं पाये। तो यह सारी बातें लखनऊ में ही हुई, देहात में क्या हुआ। यहां तो जानवर और कुत्ते पूड़ी खाते हैं लेकिन देहात में चना नहीं मिला है। अधिकारियों ने कहीं कहीं जाकर आटा और गुड़ वगैरह बांटा है। दियासलाईयां भी बांटी गई हैं। दियासलाई के संबंध में गांव वाले कह रहे थे कि शायद इसलिये दी गई हैं कि जो कुछ बच रहा है उसमें आग

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

लगावें। मैंने जिला अधिकारी से कहा था कि आप नकद सहायता कर दें। हमारे यहां जिला अधिकारी ने जो कुछ संभव हुआ किया लेकिन शासन ने उनकी पूरी सहायता नहीं की। जिला अधिकारी ने कहा कि हेलीकाप्टर दिया जाय लेकिन आजतक नहीं मिला है, मोटर बोट मांगी वह भी आजतक नहीं मिली है। नानक सागर से 50 हजार क्युजेक्स एक दिन और 25 हजार क्युजेक्स दूसरे दिन पानी छोड़ा गया और इस कारण नदी ने हमारे यहां अपना रुख बदल दिया। हजारों मकान गिर गये और लोग तबाह हो गये। आपने लखनऊ में जिनका नुकसान हुआ उनकी मदद की लेकिन यहां अधिकारीगण अपने बच्चों को सरकारी मोटरों तर तमाशा दिखाने ले गये और उनको सैर कराई। इसी कारण यहां के अधिकारियों और सेना के अधिकारियों में वाद-विवाद हुआ और उन्होंने अपने को विदड्रा कर लिया। जनरल भगत ने भारत सरकार को भी इस सम्बन्ध में लिखा है। उसमें मन्त्री पर भी आक्षेप लगाया गया है। मैं चाहूंगा कि जनरल भगत ने जो चिट्ठी लिखी है उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाय। जन जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

जो सहूलियत की घोषणा मुख्य मंत्री जी की तरफ से की जानी चाहिये वह नहीं हुई, शर्मा जी द्वारा वह घोषणा नहीं की गई। मिलिट्री के जवानों से पी० ए० सी० वालों से झगड़ा हो गया। इस साल भीषण तबाही आयी। बाढ़ आई, वर्षा हुई और बहुत हुई परन्तु उस समय हमारे अधिकारियों का क्या कर्त्तव्य था। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी मेन्टेलिटी आज के अधिकारियों से कहीं ज्यादा अच्छी थी। उस समय एक चौकीदार तक सजग रहता था। हर साल बाढ़ आती है, तबाही होती है। मैं तो यह देख रहा हूं कि आजादी के बाद से जो बांध बनाये गये हैं वे अगर ठीक से बनाये गये होते तो हमारे लिये वरदान सिद्ध होते, आबपाशी होती और बाढ़ से सुरक्षा होती लेकिन आज वे ही तबाही ला रहे हैं। हर साल कोई न कोई बांध टूट जाता है। आजादी के बाद के बन्धे उनसे उसको बनवाने वाले अधिकारी ठेकेदार अपना घर भर लेते हैं। अधिकारियों की फियट गाड़ी आ रही है, कोठी बन रही है और जनता मर रही है। मैं तो यह कहता हूं कि मान्यवर, बन्धों का सारा काम मिलिट्री के इंजीनियर्स को दे दिया जाना चाहिये और उनको मजबूत करने के लिए निश्चित बजट दिया जाय। वे उसको मजबूत करवायें, मरम्मत करें ताकि भविष्य में वह मजबूत रह सके। अगर एक मर्तबा बन्धों की इस तरह मरम्मत करवा दी जाय तो रोज रोज का यह खतरा टल जायगा। जो सरकारी सहायता दी जा रही है वह तो एक दम ही नगण्य है। एक ढेला गुड़, मिट्टी का तेल या एक डिबिया दियासलाई दे दिया। इससे बेहतर है कि उनको चारा दिया जाय, वस्त्र दिया जाय, फूस दिया जाय ताकि वे अपनी झोंपड़ी डाल सकें, टीन दें। जानवर मर रहे हैं उनको चारा नहीं मिल रहा है, बड़ी दुर्दशा है। राजस्व और कृषि देय केवल स्थगन करने से कोई काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ही माफी की घोषणा करें, स्थगन क्या है? लगातार 3, 4 सालों में कितनी बाढ़ें आ रही हैं। जहां पर इस प्रकार की बाढ़ आएं तो वहां पर तो अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। सारे प्रदेश को अकाल पीड़ित प्रदेश घोषित किया जाय। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 575 आदमी बाढ़ में मर गये। यह आंकड़े गलत हैं। 1,300, 1,400 आदमियों से कम नहीं मरा है। मेरे यहां जो सरसवा गांव है उसके बारे में इंजीनियर्स ने कहा कि यह गांव कभी नहीं कट सकता है। वह तबाह हो गया। बाढ़ उसको निगल गई। अब इंजीनियर महोदय को बुलाया जाय और वहां पर उनको डुबकी लगवायी जाय। मान्यवर, बाढ़ पीड़ित लोगों की यदि सहायता करनी है तो उनको आप त्रिपाल दें, चादरें दें, जानवरों के लिए चारे का प्रबन्ध करें और जानवरों के लिए डाक्टरों का भी प्रबन्ध करें क्योंकि जानवरों की बीमारी बहुत अधिक फैल रही है। मान्यवर, गोमती की बाढ़ से लखनऊ में तो हर तरह का प्रबन्ध हो जाता है, बड़े लोगों का प्रबन्ध हो जाता है लेकिन जो मजदूर हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं उनकी

तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। मान्यवर, गंगा, राम गंगा, घाघरा में बाढ़ आई। कितना विनाश हुआ। नानक सागर में जब पानी बढ़ा तो उसको इस भीषण वर्षा में छोड़ दिया। कोई नियंत्रण नहीं है। इंजीनियर्स से पूछा जाय कि आखीर ऐसा क्यों होता है। मंत्री जी को प्रदेश को अकाल पीड़ित घोषित करना चाहिये और जो काश्तकारों के पास ऋण आदि है उसकी माफी की तुरन्त ही घोषणा करें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो विभाग द्वारा उपलब्ध रिपोर्ट है उसके पृष्ठ 32 पर यह दिया है कि राप्ती नदी के बाढ़ का जल स्तर गोरखपुर में 238.30 रहा जब कि विगत वर्षों में 251.20 फुट रहा था और फिर देवरिया में यह कहा गया है कि मेड़ी ग्राम पर 238.40 तक पहुंच गया और यह पिछले सभी वर्षों के उच्चतम स्तर के ऊपर था। श्रीमन्, मैं इस आंकड़े के बारे में व्यवस्था चाहता हूं कि जो सरकार ने रखा है कि राप्ती नदी में देवरिया जिले में मेड़ी में सबसे अधिक जलस्तर था और गोरखपुर में कहा कि दो प्वाइंट कुछ कम था। इसमें व्यवस्था दें कि क्या इसको अधिकृत आंकड़ा माना जाय। नहीं तो इसको करेक्ट करा दे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप यहां थे नहीं। माननीय कृष्णानन्द जी ने यह बात उठायी थी और उन्होंने कहा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा आंकड़ा सही है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह सही है कि मैं उस समय नहीं था, लेकिन पानी का जो लेविल होता है जिसकी पैमाइश होती है (व्यवधान) मेरा चार्ज इस सरकार पर है कि इसने रिपोर्ट को मिनीमाइज किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात हो सकती है, लेकिन इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

एक सूचना मैं दे दूं। यह जो बहस चल रही है, 30-31 अगस्त को जो बहस हुई थी यह वही जारी है। बहुत से माननीय सदस्य जो बोल चुके हैं वह कष्ट न करे, अगर समय बचा तो देखा जायगा। 12-13 जुलाई को जो बाढ़ के संबंध में बहस हुई थी उसको मैंने इसमें नहीं जोड़ा है क्योंकि वह अलग बहस थी।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)--

मैं काफी देर से कसरत कर रहा हूं। मुझे अभी तक मौका भी नहीं मिला है। अगर आप कृपा न करें तो मैं सहारा छोड़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको तो अपने दल में भी कसरत करनी पड़ी होगी, तभी तो पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आया था और दूसरी लिस्ट में माननीय नारायण दत्त जी ने कृपाकर आपका नाम रखा है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

पहली कसरत में सफलता नहीं मिली तो दूसरी में तो मिलेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, आपने क्या व्यवस्था दी मेरी बात पर ?

श्री उपाध्यक्ष---

जो लोग आप के दल में बोलने को बाकी हैं वह आंकड़ों के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। लेकिन इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

हम लोग बोलने में उसी का तो सहारा लेंगे। अभी माननीय करन सिंह जी हमसे पूछ रहे थे कि खीरी जिले का इसमें कहां जिक्र है। जो आंकड़े दिए गए हैं जलस्तर के बारे में वही अगर गलत होंगे तो बहस का बेस क्या बनेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, इसमें कोई शक नहीं कि राजस्व मंत्री जी ने कड़ी मेहनत करके यह लिटरेचर तैयार करवाया होगा जो हम लोगों को दिया गया है। लेकिन इसमें हकीकत कहां तक है ? मैं समझता हूं शायद 25 परसेन्ट भी इसमें सही हो तो बहुत बड़ी बात होगी। यह रिपोर्ट बड़ी मेहनत से बनायी गयी है। मान्यवर, 30-31 अगस्त की डिबेट को इसके साथ जोड़ दिया है। 30-31 अगस्त की रिपोर्ट में जितने गांवों की संख्या दी गयी थी कमोबेश वही संख्या 12 सितम्बर वाली रिपोर्ट में दी गयी है। कोई खास अन्तर नहीं है। मिसाल के तौर पर मुरादाबाद जिले में 325 गांव 26 अगस्त वाले रिपोर्ट में दिखाए गये हैं और 325 ही गांव 12 सितम्बर वाली रिपोर्ट में है। सारी डिटेल्स भी एक सी हैं, बिल्कुल कापी कर दी गयी हैं। जितनी सूचनाएं इसमें दी गयी हैं वे सब बेबुनियाद हैं, सिर्फ वही सूचनाएं सही हैं जिनको कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स अपनी कोठी पर बैठ कर भेज सकते थे और वह सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 51 जिलों में बाढ़ आयी हुयी है। यह सूचना सही है। सूचना इकट्ठा करने के लिये देहात में जाना पड़ता है और परिश्रम करना पड़ता है। बाढ़ के संबंध में मरने वालों की संख्या 517 बतलायी गयी और जो पापुलेशन प्रभावित हुयी है वह आंकड़े भी बेबुनियाद हैं। यह मालूम करना पड़ेगा कि कितनी जन संख्या बाढ़ से प्रभावित हुई है।

मुरादाबाद जिले में बाढ़ से प्रभावित 780 आदमी दिखलाए गए हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि एतमपुर, बडमार और सैफपुर पल्ला गांवों की आबादी को दूसरी जगह बसाया गया क्योंकि वे गांव बाढ़ से कट गये थे। एतमपुर बडमार की आबादी 1,500 है और सैफपुर पल्ला की आबादी 800 है। इस सब आबादी को नजरन्दाज कर दिया गया है। मुरादाबाद जिले में 325 गांव बाढ़ से प्रभावित बतलाये गये हैं। अकेली तहसील हसनपुर में 500 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। श्री बल्देव सिंह आर्य, पंचायत राज मंत्री 11 सितम्बर 1971 को दौरा करने गये थे। उन्होंने गंगा के किनारे का सारा क्षेत्र खुद देखा। वे इस बात के गवाह हैं कि वहां पर कितना क्षेत्र प्रभावित है। मुरादाबाद जिले की आबादी पहले 21 लाख थी जो अब बढ़कर 24 लाख हो गयी है। रिपोर्ट में गिरे हुई मकानों की संख्या भी दी गयी है। तहसील मुरादाबाद के अन्दर कोई घर गिरा हुआ नहीं दिखाया गया है। दो गांवों की सर्वे रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। इन गवों को मैंने खुद देखा है। 26 घर भोजपुर गांव में गिरे हैं। पूरी फेहरिस्त मेरे पास मौजूद है मय नाम, बलदियत के। 16 घर पीपलखाना गांव में गिरे हैं। बड़ी मेहनत करके आपने इतना बड़ा लिटरेचर आपने इस सदन के अन्दर दे दिया है। बाढ़ के मसले पर कई बार बहस हो चुकी है, मगर इससे पहले इतना बड़ा लिटरेचर कभी नहीं मिला। इस सबका क्या आधार है और इसमें कितना सही है, इसमें मुझे संदेह है। लखनऊ के अन्दर बाढ़ आयी, बाबेला मच गया। रेडियो में देहात के लोगों ने सुना होगा और अखबारों में पढ़ा

होगा कि लखनऊ के अन्दर बाढ़ आ गयी है। श्रीमन्, कितने गांव बाढ़ प्रभावित हुए और कितना क्षेत्र जलमग्न हुआ, इसको भी आप देखें। लखनऊ के अन्दर बाढ़ आयी, अफसरानों को भी पता लग गया कि बाढ़ क्या होनी है---वाकई पता चल गया कि बाढ़ कैसी होती है। अफसोस इस बात का है कि लखनऊ की बाढ़ आयी, उसके संबंध में कुछ फैसले लिये गये होंगे, मगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर का कोई स्टेटमेन्ट नहीं निकला। हां, स्टेटमेन्ट्स आए आई0 जी0 पुलिस के, पी0 डब्ल्यू0 डी0 सेक्रेटरी के, रेवेन्यू सेक्रेटरी के और होम सेक्रेटरी साहब के। समझ में नहीं आता कि इस सब मुसीबत का सामना करने के लिये क्या यही खाली आफिसरान हैं या यह सरकार, मिनिस्टर और यह राजनीतिक कार्यकर्त्ता भी हैं? बाढ़ की समस्या एक मुस्तकिल समस्या बन गयी है। हर साल बाढ़ आती है कभी किसी इलाके में और कभी किसी इलाके में। तो नाव का इन्तजाम होना चाहिए। आपने कह दिया है कि ग्राम समाज नाव बनवाए, सरकार 40 या 60 परसेन्ट छूट देगी। एक नाव 3-4 हजार में बन कर तैयार होती है। कैसे ग्राम समाज उसको तैयार करा सकता है। फिर उसका इस्तेमाल साल में एक बार या दो बार हो सकता है। ग्राम समाज इस स्थिति में नहीं है कि वे नावें बनवा सकें। जिस तरह से आपका फायर ब्रिगेड होता है, चाहे आग लगे चाहे न लगे, लेकिन वह तैयार रहता है, उसी तरह से आपको एक फायर ब्रिगेड बनाना होगा। जब तक आप फायर ब्रिगेड नहीं बनायेंगे आप इसका सामना नहीं कर सकते। हमारी हसनगंज तहसील में हर साल बाढ़ आती है। वहां पर 18 मील लम्बा एक बांध बनाने की योजना है। मगर वह बन अभी तक नहीं पाया। वहां की जनता चाहती है कि हमसे सौ-सौ रुपया लोन के रूप में सरकार ले ले और उस पैसे से उस बांध को बनवा दे। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी वहां की जनता की इस मांग को पूरा करें। अगर पैसे की कमी है तो वहां की जनता देने को तैयार है। जितना वे देंगे वह तो एक वर्ष में फसल से वसूल हो जायगा।

मान्यवर, मुरादाबाद में एक तहसील और है जहां हर साल बाढ़ का प्रकोप रहता है, धतुरामेंगा नगला, नऊआ नगला, मानपुर पट्टी तथा पीरी की मढ़इया। रामपुर नगर में एक बन्धा बना हुआ है जिससे कोसी नदी का पानी जब टकराता है तो वहां इन गावों में पानी फैल जाता है। आने जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। जब तक यहां 4-5 पुलियां नहीं बनायी जायेंगी यह समस्या हल नहीं होगी। अगर यह गांव रामपुर जिले को दे दिये जाएं तो वह लोग इनको बनवा सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह गांव रामपुर जिले को दे दिए जाएं।

दूसरे आप जो लोन चारे मकान आदि के नाम पर देते हैं वह इन्टररेस्ट फ्री देना चाहिये। नैचुरल कैलेमिटी के कारण आप यह कर्ज देते हैं। इसलिए इस पर ब्याज नहीं लेना चाहिये। जो कुछ भी आप दें वह इन्टरेस्ट फ्री होना चाहिये। और जमीन का जो बंटवारा हुआ है। जो सामान बांटा गया है। उसके बारे में मेरी समझ में नहीं आता कि मुरादाबाद में जहां 500 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं वहां 12 क्वींटल नमक, 15 क्वींटल भुना चना, 40 टीन किरोसीन आयल और 150 दर्जन माचिसें बांटी गयी है उससे कैसे काम चल सकता है। 25 हजार लोन बांटा गया है। जहां 500 गांवों में बाढ़ है वहां पर 150 दर्जन माचिसों में क्या होगा। किन्तु मुझे इसमें भी संदेह है कि क्या यह सामान वास्तव में बांटा भी गया है? मुझे इस पर पूरी तरह से संदेह है। यदि बांटे जाने का मतलब सिर्फ यह है कि स्टोर में से निकलवा कर कानूनगो, तहसीलदार, परगनाधीश तमाम अफसरों को सामान पहुंच गया है तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। मुझे इसमें संदेह है कि यह सारा सामान नीडी आदमियों, किसान, मजदूरों को मिला होगा या नहीं मिलेगा? मुरादाबाद की रिपोर्ट में लिख दिया कि रबी का बीज देने के लिए बीज की आवश्यकता पड़ सकती है। आज उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां महीने से लगातार बरसा न हो रही हो? आज हर जिले से, हर इससे कह जाता है कि बीज का इन्तजाम किया जाना चाहिये, हर जगह किया जाना चाहिये। जगह से यह माँग है कि बीज की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से यह होना

[श्री रियासत हुसैन]

चाहिये कि 'बीज की जरूरत पड़ेगी', आप यही मानकर चलिये। सितम्बर के अन्दर-अन्दर पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बीज की व्यवस्था करनी चाहिये, चाहे इसके लिये डी० एम० अपनी तरफ से मांग करें या न करें। यदि समय पर बीज का प्रबन्ध नहीं हुआ तो यह सरकार की जिम्मेदार होगी, डी० एम० की नहीं कि उसने उसके लिये सरकार से मांग नहीं की। यह कहकर आपको छुटकरा नहीं मिलेगा। आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप 30 सितम्बर के पहले पहले पूरे प्रदेश के अन्दर बीज को बटवाने की व्यवस्था करें। मैं फिर एक बार राजस्व मंत्री से आग्रह करूंगा कि सारे उत्तर प्रदेश के डी० एम० की अप-टू-डेट इन्फार्मेशन बाढ़ के संबंध में आनी चाहिये और वह माननीय सदस्यों के सामने आनी चाहिये। यह रिपोर्ट सही नहीं है, जिसको आधार मानकर यह सदन कुछ कर सके और कुछ मांग कर सके। सही रिपोर्ट सरकार की आए तो हम लोग बता सकेंगे कि क्या कमी है और क्या नहीं है? और ऐसी दशा में क्या कदम उठाए जाने चाहिये। सेन्ट्रल कहता है कि आपसे बार बार कि हमें फ्लड कंट्रोल के लिये स्कीम दीजिये, लेकिन आप उन्हें स्कीम बनाकर नहीं भेजते हैं। सेन्ट्रल आपको रुपया देने के लिये तैयार है, लेकिन आप कुछ ऐक्शन लेने को तैयार नहीं है, बिलकुल उदासीन हैं। मैं पुनः राजस्व मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि इन बातों को वह ध्यान में रखें और एक सही रिपोर्ट सदन के सामने रखें। आपके अधिकारियों ने जितनी मेहनत इस रिपोर्ट को तैयार करने में की है, यदि उतनी ही मेहनत, कानूनगो, तहसीलदार, पटवारी आदि द्वारा मौके पर जांच करने में की गई होती तो सही नक्शा प्रदेश के सामने आ गया होता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, इसमें दो राय नहीं है कि बाढ़ एक समस्या है, लेकिन इस समस्या की जननी यह कांग्रेस सरकार है। वह इसलिये कि मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि बाढ़ प्रकृति का प्रकोप है। मैं समझता हूं कि यह सरकारी प्रकोप है। श्रीमन्, मैं मंत्री को बता दूं, एक किसान के बेटे ने एक किताब लिखी है और उसमें उसने लिखा है कि दो चीजों, बाढ़ और आग, को छेड़ो मत और छेड़ो तो छोड़ो मत। इस सरकार ने बाढ़ को छेड़ा है, लेकिन उसे छोड़ दिया। जब जब बन्धे टूटते रहे हैं। इस बाढ़ को रोकने के लिये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन से आपने उपाए किये हैं। केन्द्र ने 1954 में एक केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाया। इस बोर्ड पर 2 अरब रुपया खर्च हो गया। अब तक उस बोर्ड ने एक परिपत्र नवम्बर, 1970 में भेजा है राज्य सरकारों को कि वे अपने प्रदेश के लिए बाढ़ की योजना सन् 72 तक बनाकर सेन्टर को भेज दें। अभी उनकी परियोजना इस परिपत्र के अनुसार 72 तक बनेगी। मैंने सदन में प्रश्न किया था तो यह स्वीकार किया गया था कि यह परिपत्र हुआ तो निश्चित है। अब केन्द्रीय सरकार हो या प्रदेशीय सरकार लेकिन बाढ़ की समस्या को हल करने के लिये आपने कोई परियोजना अभी तक नहीं बनाई है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि चीन जब आजाद हुआ तो एक पंचवर्षीय योजना में व्हांग हो नदी जो चीन के लिये अभिशाप थी, उसे उसने वरदान स्वरूप बना डाला नहरों, नदियों को गहरा करके लेकिन हमारे यहां क्या किया गया? यहां बरसात का पानी आता है तो धरती के अन्दर समा जाता है, या फिर नदी नाले से बह कर समुद्र में चला जाता है। आपने कोई ऐसी योजना बनायी चीन की तरह कि बरसात का पानी धरती से हो कर समुद्र में चला जाय? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपका संकल्प तो है ही नहीं बाढ़ से निबटने का। मैं राजस्व मंत्री से कहूंगा कि आप केन्द्र की जल्दी से जल्दी अपनी योजना भेजें और उस योजना के संबंध में मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। नदियों को नहरा करना होगा जैसे चीन ने किया था। बड़े-बड़े तालों को गहरा करना होगा ताकि बरसात का पानी उन में इकट्ठा हो सके और वह फैले नहीं और फिर उन्हीं तालो से खेतों को वह पानी मिल सकेगा। अगर सरकार बाढ़ को रोकने के लिये कटिबद्ध है तो वह इंजीनियरों की लूटखसोट को रोकें। बलिया शहर को बचाने के लिये 5 लाख रुपयों पी० डब्ल्यू० डी० ने खर्च किये और वह बच

गया। इसी तरह से दरामपुर का कटान रोकने के लिये पी0 डब्ल्यू0 डी0 ने साढ़े लाख रुपये खर्च किये और वहां भी कटना रुक गया लेकिन सिंचाई विभाग ने गायघाट पर कटान रोकने के लिये झावां गिराने में 24 लाख रुपये खर्च कर दिये लेकिन मेरा दावा है कि वह कटान रुकने वाला नहीं है बल्कि इन इंजीनियरों की लूटखोसोट वाली है। जांच कराई जाय तो मैं साबित करने को तैयार हूं कि गायघाट पर लूट खसोट हुई है। मेरा सुझाव है कि इस देश को बचाना है तो बड़ी परियोजनाएं बनाइए और उन पर लग जाइए और उनको छोड़िए मत। बलिया जिले में दो बड़ी नदियां हैं। गोमती में बाढ़ आयेगी तो गंगा में पानी गिरेगा और राप्ती में बाढ़ आ जायेगी तो घाघरा में पानी गिरेगा।

(इस समय ३ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए।)

बलिया जिले में दोनों नदियां संगम करती हैं। बलिया जिले में एक समस्या है। इस समया को हल करने के लिये परियोजनाओं पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं केवल राहत पर। इस लिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान राहत की ओर खींचना चाहूंगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने बलिया जिले में राहत कार्य के संबंध में पढ़ा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पांच सदस्यों से अधिक वाले परिवारों को पांच किलो और इससे कम सदस्यों वाले परिवारों को तीन किलो प्रति तीन दिन पर दिया गया। मैं चुनौती देता हूं, मेरे क्षेत्र में पचास गांव बाढ़ पीड़ित हैं, एक गांव में इस प्रकार अनाज का वितरण किया गया हो। अगर वह इसे साबित कर देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो वह इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पूरे समय दिया गया। यह कुछ बलिया में हुआ नहीं। इस लिये माननीय मंत्री जी जब बलिया गये थे तो मैंने इस बात की शिकायत की कि बलिया के कलक्टर ने जून, जुलाई, अगस्त तक बाढ़ सहायता समिति की बैठक नहीं बुलाई। हमें बड़ा दुख होता है मंत्री जी पर। जब कोई बात उठायी जाती है, तो मंत्री जी अधिकारियों का संरक्षण करते हैं। मंत्री जी बलिया के कलेक्टर को बचा रहे हैं। बाढ़ के आने पर एक एक भीषण रूप धारण करने के कारण जिला प्रशासन को इतना समय नहीं मिला कि बाढ़ सहायता समिति की बैठक बुलायी जा सके। जून में, जुलाई में, अगस्त में, जिला प्रशासन को समय नहीं मिला। २० जुलाई को बलिया में बाढ़ आयी है। बलिया के कलेक्टर ने, जिसको बाढ़ अधिकारी बनाया उसने घूस लिया और वह घूस ले कर घर पहुंचाने चला गया। २० को बाढ़ आयी और ३० को घर से निकला। आप कहते हैं कि जिला अधिकारियों को मौका नहीं मिला। इस सरकार के जिस कलेक्टर ने जून, अगस्त में बाढ़ सहायता समिति की बैठक नहीं बुलाया बजाय इसके आप इस दोष का परिमार्जन करें और उसको बरखास्त करना चाहिये, उसको बचा रहे हैं। जब मंत्री जी से मैंने बातचीत किया तो एक साधारण किसान ने कहा कि आज चौधरी साहब रहे होते तो इस कलेक्टर की बात सुन कर यहीं बरखास्त कर देते।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह आपकी बड़ी कृपा है जो आपने बाढ़ पर मौका दिया है। अभी इस सदन में चर्चा हुई और हमारे इस पक्ष के और उस पक्ष के दोनों तरफ से कहा गया लखनऊ में बड़ी बाढ़ आयी, रेडियो सुना, अखबार पढ़ा। एक मसला देहात में कहा जाता है—जाके पैर न जाय बवाई सो का जाने पीर पराई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं बड़ी देर से सुनता रहा माननीय सदस्य और माननीय मुख्य मंत्री, तमाम पार्टी के लोग, सब लखनऊ, लखनऊ चिल्लाते रहे। मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि जरा उस देहात की ओर भी ग़ौर कीजिये, लखनऊ में जहां तीन-दिन बाढ़ आयी, पुलिस लग गयी, मिलिटरी

[श्री राजितराम पाण्डेय]

लग गयी, पल्टन लग गयी, मिनिस्टर लोगों के कमरे खाली हो गये, जरा आप विचार कीजिये तीन दिन में क्या दुर्दशा हुई, जहां लगातार २० साल से, २३ साल से मुल्क में आजादी आयी है, कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा साल नहीं है, जब कि बाढ़ न आती हो। बाढ़ के जमाने में गंगा नदी को देखिये या जमुना नदी को देखिये, चाहे घाघरा या राप्ती को देखिये, गोमती तो नाले के बराबर भी नहीं है, उससे जिस तरह की स्थिति लखनऊ में रही, उन नदियों का हाल देखिये, उनके किनारे जो गांव बसे हैं, उनकी हालत देखिये। मैं राजस्व मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने इलाहाबाद की रिपोर्ट पढ़ी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह ऐसा जिला है जो लगातार सूखे से पीड़ित रहा। और सूखे के बाद यह बाढ का सिलसिला जारी हुआ। इलाहाबाद में गंगा, जमुना, टौंस और वरना आदि नदियां मिलती हैं। वहां से माननीय रूपनाथ सिंह जी का क्षेत्र पड़ता है, मेरा क्षेत्र पड़ता है, राम किशोर जी का क्षेत्र पड़ता है, माननीय बंशीधर जी का क्षेत्र पड़ता है, मैनेजर सिंह जी का क्षेत्र पड़ता है, राजबिहारी सिंह जी का क्षेत्र पड़ता है। इन सभी क्षेत्रों में किस तरह से बाढ़ आई हुई है। आप राप्ती नदी को देखिये, घाघरा नदी को देखिये। एक दिन जरा लखनऊ में बाढ़ गोमती में आई तो यहां पर सारी पलटन और सिपाही लगा दिये गये। अतः मैं माननीय राजस्व मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको इस विषय में सोचना होगा, समझना होगा और देखना होगा कि आज इस मुल्क को आजाद हुये २३ साल हो गये हैं क्यों लगातार ऐसा हो रहा है। एक ही किश्ती में सांप भी बैठा हुआ है और न्योला भ बैठा हुआ है तो इस तरह से कैसे गुजर हो सकती है। आपको उन सभी जगहों पर जाकर देखना होगा। यहां पर सदन में बैठकर आप ये प्रस्ताव पास कर दें कि हमने फलां जगह पर दियासलाई दे दी, मिट्टी का तेल दे दिया और चेतना दे दिया, तो यह नाकाफी है। मेरे कमरे में पानी आ गया, सारा कालीदास मार्ग खतम हो गया। इन गरीबों की हालत पर आपको सोचना होगा। ग्रामों में किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है? उनकी सारी फसल नष्ट हो गई है। इलाहाबाद ही एक ऐसा बदनसीब जिला है जिसमें कि बाढ़ से और बरसाती पानी से चारों तरफ घिरा हुआ है। लोगों का गल्ला सड़ गया है। उसके बाद बरसात हुई और किसान लोग बाजरा बो नहीं सके और यदि बोया भी तो वह भी पानी से खतम हो गया। किसानों ने धान लगाया था वह भी खतम हो गया और जो बाकी भी था वह बाढ़ से नष्ट हो गया। माननीय मंत्री जी वहां पर जाते हैं, प्रिकाशन दिलाते हैं किन्तु वह भी नाकामयाब हो गया। किसानों की सारी फसल खत्म होती जा रही है। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसके लिये ठोस कदम उठाना होगा।

अभी पारसाल जो बाढ़ आई थी और उस संबंध में जो रिपोर्ट हुई थी, जो सहायता सरकार द्वारा दी गई थी सरकारी कर्मचारियों ने सहायता बांटने में क्या-क्या किया, यह सबको मालूम है। जब कहीं पर कोई कत्ल होता है तो दरोगा लोग खुशहाल हो जाते हैं कि अब हमारी जेब भर जायेगी, खूब पैसा मिलेगा। यदि एक कत्ल हुआ तो समझिये कि दस-बीस हजार रुपया पैदा हो गया। उसी प्रकार यह जो बाढ़ आई है उसके अफसर बहुत खुश हैं कि ३०,४०,५० हजार रुपया मिल जायेगा। और वे मालामाल हो जायेंगे। पिछले साल जब बाढ़ आई थी उस समय फरजी तौर पर लोगों को दिखा दिया गया था। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां पर हंडिया तहसील में पारसाल जो रुपया मकान बनवाने के लिये दिया गया था उस में गलत लोगों को वह रुपया बांटा गया। वह सारा रुपया दलालों के पास जा पहुंचा और दलालों के माध्यम से अफसर लोगों के पास पहुंच गया। इसी तरह से इस साल की बाढ के हाल भी वैसे ही हैं। ऐसी हालत में इस सदन में बैठकर हम चाहे जो प्रस्ताव पास कर लें, अखबारों में नाम निकाल लें, किन्तु काश्तकार को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मैं आपसे अपने क्षेत्र के बारे में गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे यहां श्री के० एल० राव आये थे और वहां पर एक बांध बनाने का शिलान्यास

कर गये । अभी तक वह शिलान्यास का पत्थर ज्यों का यों उसी प्रकार पड़ा हुआ है किन्तु सरकार द्वारा कोई तवज्जह इस तरफ नहीं दी गई है । मेरे क्षेत्र हंडिया में गंवाईताल स्थान है उसमें करोड़ों रुपये का नुक्सान किसानों का हो गया उनकी सारी फसल नष्ट हो हो गई । अतः मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी चाहे सिंचाई के माध्यम से ही हो उसमें एक नाला निकाला जाय जो बरना नदी में मिला दिया जाय। हमारे यहां गंगा का पानी बड़ोती-दुमदुमा लेकर टेला तक भर गया है । वहां के लोगों को फसल नष्ट हो गई वहां पर चारा व गल्ला (लाल बत्ती होने पर) बोने के लिए इन्तजार किया जाय । मैं अभी कुछ और बोलना चाहता था किन्तु आपने लालबत्ती कर दी मेरे यहां के काश्तकारों की हालत बहुत खराब है और उनकी सारी फसल चौपट हो गई है । चारे का कोई पुरसां-हाल नहीं है । मवेशियों के लिये चारे का इंतजाम करना होगा । लगान और तकाबी माफ करें छूट न दें । एक इंक्वायरी कमेटी बिठा कर इसकी जांच करायें । जैसा कि भाई रियासत हुसैन जी ने कहा कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं आई है । इसलिये अपने अधिकारियों पर थोड़ा सा अंकुश लगाकर लोगों को निजात दिलायें ।

श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । वह समस्या शाहजहांपुर जिले से ही नहीं बल्कि पीलीभीत, बरेली और फर्रुखाबाद से ताल्लुक रखती है और यदि इसका शीघ्र प्रबंध न किया गया तो मेरा अनुमान यह है कि करोड़ों रुपये की क्षति हो जायेगी । इसके अतिरिक्त कई इंस्टीट्यूशन्स बन्द हो जायेंगे ।

श्रीमन्, बात यह है कि शाहजहांपुर पश्चिम की ओर एक गर्रा दरिया बहता है और हर दूसरे साल बड़ा भारी नुकसान हमारे नगर को ही नहीं बल्कि सारे जिले का कर देता है । इसकी ओर मैं बराबर ध्यान दिला रहा हूं लेकिन खेद का विषय है कि कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जब संविद सरकार थी तो उसके सिंचाई मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि बांध बनाया जायेगा । उनका आभारी हूं कि उन्होंने जवाब तो दिया लेकिन यह मंत्रिमंडल ऐसा है कि हमारे खतों को एकनालिज भी नहीं किया जाता है । मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा कि अगर यह बांध नहीं बना तो बहुत विध्वंस होगा । लेकिन आज तक उन्होंने मेरे खत को एकनालिज नहीं किया । मैं देख कर आया हूं कि वहां हजारों आदमी बेघरबार हो रहे हैं । अजीजगंज मुहल्ले में पानी भरा हुआ है, वहां का डिग्री कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, कोल्ड स्टोरेज तथा कई कारखाने पानी से घिरे हुये हैं ।

मैंने वहां से अधिकारियों से बात की कि वे कुछ कर रहे हैं ? तो उन्होंने कुछ पत्थर और रेत डलवाया है । लेकिन साधनों की कमी के कारण वे ठीक प्रबंध नहीं कर सके । एक इंजीनियर साहब किनारे पर खड़े थे उनसे मैंने कहा कि जो पत्थर और रेत आप डलवा रहे हैं उससे पानी रूकेगा नहीं । उन्होंने कहा कि साधनों की बड़ी भारी कमी है । मैंने फोन से मंत्री जी से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं कर सका। मुझे मालूम हुआ कि वे कहीं दावत खाने गये हैं । जब हमारे मंत्री ऐसी दुर्घटना के समय जाते हैं तो भी बड़े-बड़े अधिकारी या उनकी पार्टी के बड़े-बड़े आदमी उनको घेरे रहते हैं जनता के आम आदमी को उनसे मिलने का मौका नहीं मिल पाता है । यह भी बात है कि स्वाभिमानी कोई व्यक्ति उनके पीछे-पीछे दौड़ने के लिये तैयार नहीं होगा ।

श्रीमन्, एक और समस्या बाढ़ से ताल्लुक रखने वाली है । जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खासतौर से आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी उसको खास तौर से नोट कर लें । गर्रा नदी की प्रवृति कुछ दिनों से यह रही है कि वह अपना कोर्स बदल रही है । उसका प्रवाह दक्षिण की ओर बढ़ता जा रहा है । उसका परिणाम बड़ा गंभीर होगा । मैंने सिविल आथोरिटीज को यह बताया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया । लेकिन कल मुझे एक मजिस्ट्रेट मिले थे उन्होंने बताया कि बरेली के एस०ई० अ ये थे उनका कहना था कि यह

[श्री उमाशंकर शुक्ला]

नदी अपना कोर्स चैन्ज ही नहीं कर सकती। मैं उनके इस कथन को चैलेन्ज करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैंने इसीलिये पत्र भी लिखा था। वे कृपया चीफ इंजीनियर को वहां भेज कर इसकी जांच करवा लें। यदि गर्रा नदी ने अपने कोर्स को चेन्ज कर दिया तो 20 लाख रुपये की लागत से बना पुल बिलकुल बेकार हो जायगा और उसके साथ ही साथ फर्रुखाबाद-बरेली का कोई संपर्क भी न रह पायेगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार कोई ऐसी योजना बनाये जिससे गर्रा नदी पर अजीजगंज के करीब एक बांध बनाया जा सके और उससे नदी के बदलने वाले कोर्स को रोका जा सके, अन्यथा एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। क्या सरकार इस संबंध में कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे दूसरी चौथी साल होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके ?

जो राहत लोगों को इस संबंध में दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है। दूसरे जिस माध्यम से वह दी जा रही है यानी पटवारी और कानूनगो के माध्यम से, उसमें भ्रष्टाचार होने की पूरी संभावना है। मैं चाहूंगा कि सरकारी मशीनरी के साथ ही साथ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को भी उनके साथ में रख दिया जाय। तीसरी बात यह है कि शाहजहांपुर में काश्तकारों पर जितने भी ड्यूज हैं उनको मुल्तवी कर दिया जाय, उसके साथ ही साथ उन लोगों को बीज, खाद आदि की पूरी सहूलियत दी जाय। मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ के संबंध में बोलने का मौका दिया। इलाहाबाद जिला तो पहले से ही बाढ़ से प्रभावित था, यह तो दुबारा बड़ी जबरदस्त बाढ़ आयी। सारा जिला तबाह हो रहा है। हमारे गंगा, यमुना और टोंस तीन नदियों की बाढ़ आती है। मेजा और करछना ऐसी तहसीलें हैं जो कई वर्षों से सूखा से प्रभावित थीं। जब कभी-कभी बाढ़ आती हैं तो गंगा और यमुना के संगम पर बसे करछना तहसील में अवश्य आती है और मेजा के पास टोंस नदी मिलती है। कगार न होने के कारण वहां चारों ओर पानी फैल जाता है। सैकड़ों गांव पानी में डूब जाते हैं और उन गांवों के आदमियों को अपना सामान निकाल कर भागने में भी कठिनाई होती है। अभी जो रिपोर्ट हमको दी गयी है उसको हमने देखा। राजस्व मंत्री जी ने उसमें दिखाया है कि मेजा, करछना और चायल में टेंट वगैरा में 7 हजार रुपया का खर्च बताया गया है। करछना में कोई टेंट मुझे नहीं दिखायी दिया। हां चायल और मेजा में कुछ टेंट अवश्य दिखाई दिये। पहले जब माननीय शास्त्री जी थे तब 2—3 नालों को बांधने के बारे में तय हुआ था। लेकिन वहां के इंजीनियरों ने कोई फाटक नहीं लगाया जिसकी वजह से जब नदी में पानी बढ़ता है तो पीछे की तरफ लौट आता है। इसलिये वहां फाटक लगाया जाय जिससे पानी पीछे न लौट सके। इसके अलावा दो, तीन और नाले हैं उनको बांध दिया जाय। मेरा सुझाव है कि उनौर से परानीपुर तक एक बांध बांधा जाय जिससे वहां के गांवों की ओर उनकी फसलों की सुरक्षा हो सके। कई वर्ष पहले कुछ गांव और सड़कों को ऊंचा किया गया था लेकिन इधर कई वर्षों से सड़कें भी कट गयी हैं और कोई ध्यान नहीं दिया जाता। केवल थोड़े से चना बांट देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप बाढ़ के संबंध में कोई स्थायी हल सोचें। केवल तत्काल सुविधा दे देने से कोई लाभ नहीं है। बाढ़ के अलावा अतिवृष्टि हुई है जिससे बहुत ज्यादा मकान गिर गये हैं। लेकिन सरकार की ओर से ऐसे लोगों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है।

जहां तक नहरों के किनारे की बात है, पानी बरसने से बहुत से गांव, जैसे रामगढ़ और डीह, पूरे के पूरे दलदल हो जाते हैं और लोगों के मकान गिर जाते हैं। ऐसे लोगों की सहायता के लिये जब बात कही जाती है तो जिले के अधिकारी कहते हैं कि हमको तो केवल बाढ़ से गिरे मकानों के लिये सहायता देने का आदेश है, दलदल से गिरे मकानों के लिए सहायता देने के आदेश नहीं हैं। तो सरकार को ऐसे लोगों को भी सहायता देनी चाहिये।

इसके अलावा हमारे क्षेत्र में बहुत से ताल हैं, जैसे नवइया, लेहड़ी, बरहा, सोनाई, बरांव आदि । इनका पानी दूर नालों में मिला दिया जाय तो जो बहुत से गांव इसमें पानी फैलने के कारण जलमग्न हो जाते हैं वे बच जायेंगे। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । तो मेरा निवेदन यह है कि आप बाढ़ का स्थायी हल सोचें जिससे बाढ़ रुक सके।

इस विवरण में हम देखते हैं कि इलाहाबाद जिला परिषद् का केवल लगभग साढ़े 6 लाख का नुकसान दिखाया गया है जबकि परिषद् की रिपोर्ट है कि 70 लाख के करीब उनका नुकसान हुआ है । लेकिन कोई भी सहायता जिला परिषद् को इसकी क्षतिपूर्ति के लिये नहीं दी गयी है।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह घर गिरने वालों को सहायता दी जाती है उसी तरह गांव के प्राइमरी स्कूल जो बरसात के कारण गिर जाते हैं उन्हें भी बनाने के लिये सरकार को सहायता दी जानी चाहिये । हमारे क्षेत्र में गंगा और टोंस का संगम होता है उससे मीलों पानी फैल जाता है। पिछली बार मैंने कहा था कि उस क्षेत्र के गांव इतने जलमग्न हो जाते हैं कि दो, तीन मील तक छोड़ कर आना पड़ता है। वे लोग अपने गांव छोड़ कर दूर ऊंचे पर बसने के लिये तैयार हैं। मैंने राज्य मंत्री, जलील अब्बासी साहब से भी निवेदन किया था कि हमको जमीन दिला दें तो हम गांव छोड़ कर बसने के लिये तैयार हैं लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोग गांव छोड़ कर बाहर जाने के लिये तैयार नहीं होते।

इसके अलावा सरकार जो पैसा सहायता के रूप में देती है उसमें से बहुत सा अधिकारियों की जेब में चला जाता है। लेकिन काम करने वाले तो अधिकारी ही हैं। यह उनके चरित्र पर निर्भर करता है । लेकिन नकद के रूप में ज्यादा न दे कर अगर लगान आदि के छूट के रूप में सहायता दें तो भ्रष्टाच र में कमी हो सकती है। वैसे हमारे इलाहाबाद जिले में अधिकारी सतर्क हैं और व प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन अभी मैं 11 तारीख तक दौरे पर था, बहुत ही कम गांवों में पैसा पहुंचा है। अधिकारियों से मालूम हुआ कि अभी पैसा प्रदेशीय सरकार से जिलों को मिला ही नहीं है तो हम कहां से ज्यादा पैसा दे सकते हैं । तो मेरा आग्रह यही है कि इलाहाबाद जिले पर विशेष ध्यान दिया जाय और अधिक पैसा भिजवाया जाय। इलाहाबाद का ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि राजस्व मंत्री जी ने अपना तीन बार प्रोग्राम वहां जाने का बनाया लेकिन कुछ ऐसी अड़चन पड़ गई है कि उनको उस जिले में जाने का अवसर नहीं मिल सका। पिछली बार भी सूचना भेजी थी कि मिर्जापुर से इलाहाबाद आ रहे हैं तो बहुत से कार्यकर्त्ता वहां पर इकट्ठा हुये थे लेकिन आपको फिर अड़चन पड़ गई लखनऊ में बाढ़ आने के कारण तो वहां से वापस लौट अ ना पड़ा। मेरा आग्रह है कि इलाहाबाद की स्थिति वहां खुद चल कर देखें। जो सूचना जिलाधिकारियों ने भेजी है और हानि बताई है वह बहुत कम है। वहां चलकर स्वयं जांच करें और इलाहाबाद को सहायता देने की कृपा करें।

श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, यह बाढ़ और सूखे का प्रकोप हमारे मुल्क में हर वर्ष बाधा की शक्ल में खड़े हैं। बाढ़ का मुकाबला करने के लिये मैं अपने प्रदेश की सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह केन्द्र से यह निवेदन करें कि बाढ़ पर नियंत्रण करना उत्तर प्रदेश की सरकार की क्षमता के बाहर है। अभी जो अनुमान सरकारी सूत्रों से क्षति के आये हैं वह 200 करोड़ से लेकर 285 करोड़ की क्षति इस बाढ़ से इस प्रदेश में हुई है। यह फिगर्स जो आई हैं वह भी सही नहीं हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 200 करोड़ की क्षति जो बाढ़ से हुई है क्या वह अपने बजट से पूरा कर सकेंगे ? उनका जवाब आयेगा "नहीं"। यह ऐसी बाढ़ की समस्या है कि जो केवल उत्तर प्रदेश या बिहार की ही नहीं है। यह तो पूरे, प्रदेश की आप देखें तो जहां उत्तर प्रदेश और बिहार बाढ़ से प्रभावित हुये हैं वहां आन्ध्र और

[श्री जयराम यादव]

महाराष्ट्र सूखे से प्रभावित हुये हैं। इसका परमानेन्ट साल्यूसन खोजने के लिये केन्द्रीय सरकार ऐसी योजना बनाये जिससे बाढ़ और सूखे पर काबू पाया जा सके। इसके बारे में में एक वक्तव्य पढ़ रहा था महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री का। उनका कहना है कि पूरे देश में एक कामन कैनाल सिस्टम लागू किया जाय। चार हजार करोड़ रुपया उनका अनुमानित व्यय था और यह योजना 25 वर्ष में पूरी होगी। राजस्व मन्त्री जी ने बताया कि 1954 से यह बाढ़ नियंत्रण शुरू हुआ है लेकिन 54 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी बाढ़ से क्षति हुई है इस पर विचार करना जरूरी है। हर वर्ष हमको बाढ़ से कितनी क्षति हुआ करती है, यह भारी समस्या है। जब चीन एक ग्रेट वाल बना सकता है तो यहां पर भी एक कामन कैनाल सिस्टम पर कैनाल बनाई जा सकती है जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार फाजिल पानी महाराष्ट्र और आन्ध्र की ओर हम भेज सकें और दूसरे प्रदेशों को भी दे सकें। यह ऐसी योजना है जो ज्यादा खर्चे की है लेकिन पूरी की जा सकती है और 25 वर्ष में इसको पूरा किया जा सकता है। इससे हर वर्ष जो क्षति होती है उससे बचाव हो सकता है। पिछले साल 70 में जो बाढ़ से क्षति हुई है उसके बारे में अनुमान यह है कि 150 करोड़ से लेकर 285 करोड़ रुपये की है। हर वर्ष इस तरह से क्षति होती है। उसका सामना करना या उसका मुकाबला करना राज्य सरकार के या उसके अधिकारियों की क्षमता के बाहर है। यह केन्द्रीय विषय हो जाय तो सहूलियत हो जाय। यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका केन्द्रीय में बाढ़ नियन्त्रण फैडरल सबजेक्ट माना गया है। यह कोई एक प्रदेश की समस्या नहीं है। यह पूरे प्रदेश की समस्या है। इसको केन्द्र को हाथ में लेना चाहिये और कोई परमानेन्ट साल्यूशन निकालना चाहिये। कुछ माननीय सदस्य उनसे मिले थे। सब ने यह सुझाव दिया कि बकुलाही नदी जिले की दो तहसीलों के 175 गांवों की फसल सड़ा देती है तो इस नदी को गहरा किया जाय। उसके किनारे बांध बांधा जाय। उसका अनुमानित व्यय 4 (चार) करोड़ रुपया बताया था। वह नदी जौनपुर जिले में मछलीशहर में सई नदी से जाकर मिलती है। सई में बकुलाई नदी जब मिलती है तो जौनपुर में जाकर उस का विकराल रूप हो जाता है। रायबरेली और जौनपुर में इन नदियों की बाढ़ एक अभिशाप बन गई हैं और उन पर अभी तक कोई स्थायी नियंत्रण की कार्यवाही नहीं हो सकी है। हमारे यहां सन 56 में एक केन्द्र से दल गया था लेकिन इस सुझाव के अनुसार कोई कार्यवाही, आज तक वहां नहीं हुई। हमारे यहां 2 मई, सन 69 को श्री के0 एल0 राव जी गये थे उनके सामने भी सुझाव दिया गया कि नदी को गहरा करके नियंत्रित किया जाय लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार दुअर नदी में पिछले साल 3 जुलाई को बाढ़ आई थी वहां पर 3 पुल हैं एक पी0 डब्ल्यू0 डी 0 का है और 2 जिला परिषद वह तीनों वैसे ही पड़े हुये हैं, उनको न बनाया गया और न उन की कोई मरम्मत ही की गई। सन 70 की बाढ़ में जो क्षति प्रतापगढ़ को हुई थी वह आज तक पूरी नहीं हुई है। वहां की समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हो सका है। इस वर्ष की बाढ़ की क्षति का क्या समाधान होगा? मुझे तो ऐसी आशा नहीं है।

लखनऊ में बाढ़ पर नियंत्रण पाने में जो सेना ने कामयाबी दिखाई है उससे मैं सुझाव दूंगा कि बाढ़ नियंत्रण का कार्य माल विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के हाथ से लेकर सेना के हाथ में देना चाहिये। जो भी राहत सरकार की तरफ से दी जाती है और जो सहायता का पैसा सरकार देती है वह तहसील के भ्रष्ट लोग आधे से ज्यादा अपने पास रख लेते हैं। पिछली बार भी गृह अनुदान का 50 रुपया दिया गया था हर व्यक्ति के लिये लेकिन केवल 25 रुपया ही उस व्यक्ति के हाथ में जाता था और बाकी 25 रुपया लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक हिस्सा बाट लेते थे। गृह अनुदान के लिये जो 25 हजार रुपया दिया गया था, वह नसबन्दी के केसेज बढ़ाने के लिये खर्च किया गया, कुन्डा तहसील में यह काय

किया गया। मैं फिर चाहूंगा कि माल विभाग के भ्रष्ट लोगों के बस का यह बाढ़ नियंत्रण का काम नहीं है। यह 50 रुपया किसी को देते हैं तो 25 ही देते हैं और 25 अपने पास रख लेते हैं। बाढ़ जैसी आपत्ति का मुकाबला करने के लिये स्थायी हल यही है कि यह कार्य सेना के सुपुर्द किया जाय। यह केवल 51 या 52 जिलों की समस्या नहीं है बल्कि यह पूरे प्रदेश की समस्या है। मैं चाहता हूं कि सरकार आपत्कालीन स्थिति की घोषणा करे, डेस्ट्रक्ट खोले जायं और जानवरों के लिये भूसे आदि का प्रबन्ध किया जाय। जानवरों के लिये चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर चारे का प्रबन्ध नहीं किया गया तो हमारे यहां जानवर भूख से मर जायंगे। चारे की और बीज की व्यवस्था होना चाहिये और जो सड़कें टूट गई हैं। प्रतापगढ़ कुण्डा सड़क जिस स्थान पर महल कटी थी, वहीं पर फिर कटी है, वह प्रति हर साल होती है लेकिन उसको हल करने का कोई इलाज नहीं किया जाता है। ऐसी सड़कों का स्थायी प्रबन्ध किया जाय कि वह न कटे। इस तरह के जो काम भी कराये जायं बाढ़ नियंत्रण के वे सेना के द्वारा ही कराये जायं।

श्री राम चरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बाढ़ के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इलाहाबाद जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में 51 जिले इस बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। ताज्जुब और दुख इस बात का है कि हर साल कभी बाढ़ से और कभी सूखे से यह सूबा ग्रस्त होता रहता है लेकिन इस सूखे या बाढ़ से बचने के लिये आज तक कोई स्थायी योजना इन दैवी आपदाओं से बचने के लिये नहीं बनाई गई। अगर सूखा तो लगान माफी और अगर बाढ़ आई तो लगान माफी और इस बाढ़ ने तो पूरे प्रदेश

(इस समय 4 बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

को इतना तबाह कर दिया कि वह दो रुपये, चार रुपये और 6 रुपये के लगान माफ कर देने से न तो किसान का कल्याण हो रहा है और न किसी भी उस व्यक्ति का जो बाढ़ से प्रभावित है, उस पर असर पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि जो सुझाव मैं मंत्री जी को देने जा रहा हूं उस पर वे विचार करें और समझें। जो इस प्रकार की अस्थायी सहायता दी जा रही है उससे अच्छा यह है कि इस पर गौर किया जाय कि यह बाढ़ प्रतिवर्ष आती क्यों है और उस बाढ़ से बचाने के लिये क्या स्थायी प्रबन्ध किया जा रहा है। ये नदियां सदियों से चली आ रही हैं। हर वर्ष नदियां उथली होती जा रही हैं जब कि इनको गहरा होना चाहिये। जब तक इनको गहरा नहीं किया जायेगा तब तक यह बाढ़ हमेशा परेशान करती रहेगी। या इनको गहरा करें या इनके तटों को ऊपर किया जाय। तभी बाढ़ से बचा जा सकता है। एक तरफ तो रूस और अमरिका चांद पर जाकर रहने की सोच रहे हैं और दूसरी तरफ हम जमीन पर ही बाढ़ आदि समस्याओं से तड़प रहे हैं।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जब बाढ़ इस तरह से आती है तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी रह जाते हैं जहां पर लोग पानी के लिये नहरों से पानी पाने के लिये तरसते रहते हैं। क्यों न ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि उन नदियों से पानी निकालने के लिये नहरों में जोड़ दिया जाय जिससे उन नदियों का पानी नहरों के द्वारा निकल जाया करे उन क्षेत्रों में जहां बाढ़ नहीं है या उन क्षेत्रों में जहां पानी की आवश्यकता है। आज भी ऐसे प्रदेश हैं जहां पर नहर है और धान की सिंचाई के लिये वहां पानी नहीं मिल रहा है। यहां का प्रशासन आंखें बन्द किये हुए और कान में तेल डाले हुए बैठा हुआ है। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि गंगा को निकालने के लिये नहरें और यमुना को निकालने के लिये नहरों में पानी छोड़ दिया जाय। जिससे अन्य प्रक्षेत्रों में जाकर उनका पानी सिंचाई के लिये उपलब्ध हो जाय और बाढ़ वाला पानी कम हो जाय। मान्यवर, लखनऊ शहर के बारे में बहुत कुछ कहा गया। इलाहाबाद के जिले में दोआबा का जो हिस्सा है वह गंगा और यमुना नदियों से बना हुआ है। यहां दोनों नदियां बहती हैं तो

[श्री राम चरण त्रिपाठी]

दोआबा की फसल को बरबाद कर देती है। इसके बारे में जिलाधीश ने रिपोर्ट दी थी कि 546 गांव इलाहाबाद में प्रभावित हुए और मकान गिरने की संख्या 517 ही बताई गई। मान्यवर, आप स्वयं समझें कि जहां जिले के 546 गांव प्रभावित हों वहां मकान गिरने की संख्या 517 दी जाय। इसके माने यह हैं कि या तो गांवों को ही घर मान लिया गया है या वहां के अधिकारी अपने घरों पर बैठ कर ही रिपोर्ट भेज रहे हैं जिससे सही-सही संख्या सरकार की जानकारी में या हम लोगों की जानकारी में नहीं आ रही है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। खरीफ की फसल गरीबों की फसल है। रबी की फसल में ज्यादा पैसा खर्च होता है। गरीब इस खरीफ की फसल से ही ज्यादा लाभ उठाने की सोचते हैं ज्वार, बाजरा, तिल्ली, अरहर और धान, यह गरीबों की फसल है। इसी से वे साल भर अपने परिवार की परवरिश करते हैं। और उसका खर्चा चलाते हैं। इस फसल में भी धान को छोड़ कर, वह भी वहां जहां धान के लिये ऊंचे स्थान हैं, अरहर, तिल्ली उड़द आदि सड़ गये। इस प्रकार से जो अच्छे अच्छे-गल्ले हैं और मोटिया किस्म के गल्ले होते हैं वे सड़ गये। जब कभी हम लोगों ने सरकार के सामने सुझाव रक्खे तब भी सरकार ने यह कभी मौका नहीं दिया कि वह उस बात को समझती और समझ कर उस पर कार्य रूप में परिणत करने की कृपा करती।

मान्यवर, मैंने एक बार सदन में कहा था कि धोता, सिराथू से ससुर खदेरी नदी पड़ती है। जब आप सिराथू गये थे तो आपने देखा था और कहा था कि सड़क का बनना जरूरी है। वहीं पर पुल भी है। पार साल तीन सौ, चार सौ गांव नदी से प्रभावित हुए हैं। इस बार जब बाढ़ आई तो मैंने कलेक्टर से कहा कि उस नदी पर पुल का इन्तजाम कर दें नहीं तो चार छः जानें जायेंगी। अभी तक चार छः दिन पहले नदी पर कोई इन्तजाम न होने से हम लोग घन्नाई से नदी को पार कर रहे थे तो वह उलट गई और आदमी मर गये। मान्यवर, जो जिलाधीश ने रिपोर्ट भेजी है उसमें लिखा है कि इलाहाबाद जिले में कोई आदमी बाढ़ से नहीं मरा है। मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन तीन आदमियों को मैंने स्वयं देखा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने तीन महीने पहले जो कहा था कि या तो नाव का इंतजाम हो या पुल पूरा बनाया जावे, वह नहीं किया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि 6 सितम्बर, को 3 आदमी इस नदी में डूब गये।

मान्यवर, एक बात जो इस बाढ़ के सिलसिले में बहुत कही गई वह लखनऊ के बारे में है जहां पर कि काफी प्रबन्ध किया गया था लेकिन उन गरीबों को जो कच्चे मकानों में रह रहे थे, छप्परों पर तैरते रहे थे। कुछ पार उतर गये और कुछ डूब गये। यहां पर तो पुलिस, मिलिटिरी और पी०ए०सी० लगी थी लेकिन देहाती क्षेत्रों में जहां नदी ने भयंकर रूप दिखलाया है वहां पर प्रबन्ध नहीं किया गया है। इसमें लिखा है कि दियासलाई बांटी गई, चना, आटा और गुड़ बांटा गया है लेकिन मेरी तहसील सिराथू में कुछ भी नहीं बांटा गया है। इसमें लिखा है कि 60 हजार का सामान बांटा गया है लेकिन इस तहसील में एक नये पैसे का भी सामान नहीं बांटा गया है। यह तहसील ऐसी है जो कि गंगा और जमुना दोनों के बीच में है। छोटी-छोटी नदियां अलग से हैं। मान्यवर, इन सब बातों को देखते हुये मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो हरिजन छात्र हैं, बैकवर्ड क्लास के छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनके सामने खाने की समस्या है, रहने की समस्या है। मैं चाहूंगा कि उनकी फीस माफ की जावे और 6 महीने तक उनसे कोई फीस न ली जाय क्योंकि वह विद्यार्थी तो रहने के लिये मकान भी नहीं पा रहे हैं। देहातों में धर्मशालायें तो होती नहीं हैं, न टेन्ट लगाये जाते हैं, न कोई सार्वजिनक स्थान होते हैं। मैं राजस्व मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा विभाग द्वारा जो शुल्क लिया जाता है उसको माफ करावें। एक प्रार्थना मैं यह करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी के सामने भी कहना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला कि प्रदेश में 54 में से 51 जिलों में बाढ़ आई हुई है। इस

समय हमारा यहां बैठना उचित नहीं है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि 14, 15 को सदन चलाकर दारुल शफा खाली करा दें ताकि जो लोग सड़कों पर रह हैं वह यहां पर रह सकें और जो पैसा हमको मिलना है वह इन लोगों को बांट दिया जाय। मान्यवर, यहां पर बैठने से कर्मचारी लगे हैं, अधिकारी लगे हैं। हम लोगों के क्षेत्रों में चर्चा है कि विधायक लोग लखनऊ में मजा कर रहे हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि 14, 15 को विधान सभा चला कर जो आवश्यक कार्य हो उसको पास करवा लिया जाय और उसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाय।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला बेहराबून)—

आप चले जाइये।

श्री राम चरण त्रिपाठी—

हमारे यहां रहने से क्षेत्र खाली है और वहां पर राहत पहुंचाने की आवश्यकता है। जो शरणार्थी डूबते उतराते घर आये हैं उनको रहने के लिये स्थान मिल जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे एक बार इलाहाबाद आयें और हम लोगों को बुलाकर पूर जिले की स्थिति को देखें और जो कुछ हो सकता है उसको करने की कृपा करें।

श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

मान्यवर, पूरा खीरी जिला बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित और त्रस्त हो गया है। शारदा नदी के उत्तर और दक्षिण के किनारों पर बाढ़ का भारी प्रकोप है। लखीमपुर जिले में इतनी अधिक विनाशलीलाय देखने में आई हैं कि जितनी कभी देखी नहीं गई और न जिसकी कभी कल्पना भी की गई। 128 मील लम्बी तहसील निघासन का हर मौजा और हर मजरा एक दूसरे से अलग-अलग हो गया। वहां केवल नाव से या पैदल ही पहुंचा जा सकता है।

जब 2 तारीख को मैं यहां से गया तो, 3, 4 दिनों तक मैं लखीमपुर में ही रुका रहा क्योंकि कोई ऐसा साधन ही नही था जिससे निघासन तक जा सकता। सड़क, रेल और नाव के सभी रास्ते रुक गये थे और हर तरफ परेशानी की हालत पैदा हो गई थी। रास्ते गांव और घर सभी पानी से डूबे हुये थे। हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। 30 तारीख को जो वक्तव्य में सरकार की ओर से कहा गया था कि 300 रु० गिरे हुये पक्के घरों के लिय, 200 रु० कच्चे घरों के लिये और झोपड़ियों के लिये अधिकारियों के विवेक पर निर्भर रहेगा, सहायता दी जायेगी। मैंने जिलाधीश से इसके संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। 5 तारीख को मैं अपने क्षेत्र में पहुंचा। तहसील निघासन के कई गांव जिनमें 100, 100 या 150, 150 मकान बने थे बाढ़ से कट गये और वहां पर नदी की मुख्य धारा बह रही है। लालबोझी, नौगवां, मुर्गहा, चौरी, जसनगर सोना आदि गांव बाढ़ से कट गये हैं और वहां के निवासी दूसरी जगहों पर भाग गय ह परन्तु अब जहां भाग गये ह वहां पर भी बाढ़ आ गई है। मुर्गहा के 140 परिवार जो दूसरी जगहों पर चले गये थ व फिर बाढ़ से ग्रसित हो गये हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी बहुत सी जगहों पर अभी तक नहीं पहुंचा गया है।

खीरी जिले की जिम्मेदारी श्री जगन्नाथ प्रसाद जी उप मंत्री माल विभाग को दी गई थी। वह वहां पर गये पर उन्होंने पूरा समय केवल अपने ही क्षेत्र में बिताया। इस कारण खीरी जिले के सभी प्रमुख अधिकारी उनके ही क्षेत्र में लगे रहे। सबसे ज्यादा सहायता का कार्य उन्हीं के क्षेत्र में हुआ है। पूरा जिला बाढ़ से घिरा है और उस तरफ कोई देखने वाला नहीं है।

एक गांव है लालबोझा वह पूरा का पूरा गांव नदी से कट गया है। वहां के सभी मकान और खेत नदी की तेज धार से कट गये हैं। जब बाढ़ उतरेगी और उस गांव के

[श्री करन सिंह]

लोग अपने गांव में जायेंगे तो उनको मालूम ही नहीं होगा कि उनका कौन सा घर कहां पर था या कौन सा खेत कहां पर था। सौनी-लालबोझी सोनी और मुगैहा गांव इस भीषण बाढ़ में सबसे अधिक प्रभावित हुये हैं। वहां पर न तो खेतों का पता है और न गांवों का ही। ऐसी स्थिति में अब वहां के निवासी कहां पर जायें? और क्या करें? ऐसे लोगों को केवल 25-25 रु० और 50-50 रु० प्रति परिवार सहायता दी गयी जिनके सिर पर छत नहीं बची है और जिनके परिवार में 25-25 आदमी हैं उससे क्या होगा? लोग हजारों की संख्या में भाग कर तहसील मुख्यालय में गए। किसी को पांच सेर आटा दिया जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है, और किसी को एसे ही भगा दिया जाता है।

बथुआ, राजपुर, गंगानगर, कीरतपुर, खैरटिया और जसनगर में कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। खैरटिया में 12-14 फीट पानी है, लोग पेड़ों पर बैठे हैं। सहायता कार्य बहुत ही असंतुलित और गलत तरीके से किया जा रहा है। दिया कम गया है और प्रचार बहुत ज्यादा है। आंकड़े तो बहुत छपे हैं, लेकिन जो नयी रिपोर्ट है उसको देखने से कुछ भी समझ में नहीं आता। ईसानगर, धौरहरा, निघासन में गलत प्रचार कर दिया कि सबके लिए पैकेट में मिठाइयां पूरी आ रही हैं। धौरहरा में जब हवाई जहाज से आटा गिराया गया तो 5 आदमी कुचल कर मर गए और 8 आदमी घायल हो गए।

अनेकों पुल टूट गये। सड़कें कट गयीं। कोई देखने वाला नहीं है। पी० डब्ल्यू० डी० बिल्कुल सोया हुआ है। शारदा नहर जो नई निकाली जा रही है, इसके दोनों किनारों के गांवों की दशा सबसे बुरी है। प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो गया है। यहां से हजरतगंज जैसी चौड़ी गहरी नहर और 15-20 फीट ऊंची मिट्टी किनारों पर डाल दी गयी है जिसकी वजह से पानी दोनों तरफ का रुक गया है। सारे घर गिर गए हैं, फसल सब चौपट हो गयी है। यह सही है कि इस दरम्यान काफी मेहनत हमारे यहां की गयी। सब लोगों ने और अधिकारियों ने काफी मेहनत की। परन्तु रिपोर्ट में जो कहा गया है कि दो बार फ्लड रिलीफ कमेटी (बाढ़ सहायता समिति) की मीटिंग हुई, मैंने समझा शायद मुझे ही न मालूम हुआ हो तो मैंने भाई छेदा लाल जी से और मोहम्मदी के एम० एल० ए० साहब से पूछा तो उन लोगों ने भी कहा कि कोई मीटिंग नहीं हुई। उन लोगों ने यह भी कहा कि सहायता नहीं के बराबर हुई है। लखीमपुर तहसील के भी तमाम गांव कट गए हैं, बेलहा बेर्झड़ा, कुंवरपुर और कुचलहा वगैरह ऐसे तमाम कटे गांव हैं जहां कोई आदमी नहीं पहुंचा है। निघासन अस्पताल में यूनिस्को की जीप है जो वहां दवा के सहायता कार्य में काम आ सकी थी पर काफी समय से जिला स्वास्थ्य अधिकारी की सवारी में है।

श्रीमन्, पहली रिपोर्ट में लखीमपुर जिला बिल्कुल छोड़ दिया गया था। जब कई बार मैंने बोलने की कोशिश की तो माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी ने एक विवरण मेरे पास अलग से भेज दिया था। इस नयी रिपोर्ट में भी लखीमपुर का जिक्र नहीं है। कुछ अलग से दिया हुआ है वह भी अधूरा और अस्पष्ट। यह सही है कि कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत की है। हमारे यहां निघासन में अमर बहादुर सिंह जी, अतिरिक्त परगनाधीश और जिला गन्ना अधिकारी ने बड़ी मेहनत की फिर भी सब जगह अभी नहीं पहुंच सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत तरीके से तहसील लखीमपुर और निघासन के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को देखने की कृपा करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने निघासन के आस-पास के क्षेत्रों को हवाई जहाज से देखनी कोशिश की इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

आटा भी गिराया गया?

श्री करन सिंह—

सच बात तो यह है कि आटा गिराया गया और साथ में कुछ लोगों का कफन भी। वहां पर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। आंकड़े बड़े भ्रामक हैं और गलत दिये गये हैं। धौरहरा में एयर ड्रापिंग हुआ और वहां पर 5 हत्याएं हो गयीं। इस घटना की जूडीशियल इनक्वायरी होनी चाहिए। उन गांवों का इस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है जो कि बाढ़ में कट गये हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। उनकी दशा बहुत बुरी हो गयी। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत से लोगों के मरने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। खैरटिया, बघुआ तथा जसनगर गांवों में कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। वहां पर अधिकारियों को तुरन्त भेजने की आवश्यकता है। पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र ऐसी सहायता पहुंचायी जाय जिससे वह जी सके।

श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं, कि आप ने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया है। आजमगढ़ जिले में 18 छोटी-छोटी नदियां हैं और दो बड़ी नदियां हैं घाघरा और टोन्स। घाघरा और टोन्स ने बड़ी भयावह स्थिति पैदा कर दी है। 5 अगस्त, 1971 को आजमगढ़ में बाढ़ में तेजी आयी और उसके बाद आज तक लगातार टोन्स नदी में बाढ़ ही बाढ़ है। आप को यह भी जानकारी होगी कि 5 सितम्बर को आजमगढ़ में लाल डिग्गी का बांध टूट गया। यह बांध उस मौके पर टूटा जब कि अधिकारी लोग सो रहे थे और वे बाढ़ की चिन्ता में तल्लीन नहीं थे। वहां पर रोडवेज कार्यालय, रोडवेज वर्कशाप, दीवानी, कलेक्टरी, कचहरी और सभी सरकारी कार्यालय पानी के अन्दर डूब गये। सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया है कि आजमगढ़ में घोसी और संगड़ी के अन्दर बाढ़ रही है। अहरोला से ले कर मऊ तक सारा क्षेत्र टोन्स नदी की बाढ़ से प्रभावित है। सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुये हैं, मगर उनका इस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। मैं सुनाबर, पिघरोपुर, ढकुआ, डिलीया, पनट्टी, जमीन, उझोली तथा सिकन्दरपुर गांवों में खुद घूमा हूं। इसी प्रकार मुलीमाबाद, देवकली, तारन, अतराती, मीरा, वलिदपुर, मढ़हा तथा मुहीउद्दीनपुर पानी के अन्दर हैं। मैं आप से नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं और विशेषकर माल मंत्री, श्री शर्माजी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें। 5 सितम्बर को मैं उनसे मऊ के डाकबंगले में मिला था और निवेदन किया था कि जिस तरीके से उन्होंने घोसी क्षेत्र का दौरा किया है उसी तरीके से हमारे मोहम्मदाबाद क्षेत्र का भी दौरा कर लें। टोन्स नदी के किनारे के सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। आजमगढ़ में जब बांध टूटा तो सारे अधिकारी और मालदार लोग बांध को बचाने में लगे हुए थे और गांवों की उपेक्षा की गयी। अधिकारियों को देहात की कोई चिन्ता न थी। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि सन् 1955 में मऊ कस्बे के अन्दर टोन्स नदी पर जो पुल था वह ध्वस्त हो गया था। सन् 1955 से लेकर आज 15 वर्ष हो रहे हैं। आज भी उसके मलवे वहां पड़े हुए हैं जिसके दबाव के कारण मऊ से लेकर आजमगढ़ तक नदी के किनारे के सैकड़ों गांव पानी में डूब गये हैं। पी० डब्लू० डी० के निकम्मेपन का और सबूत और क्या हो सकता है कि जो पुल सन् 1955 में टूट गया था वह आज तक नदी से साफ नहीं किया गया जिसके कारण सैकड़ों गांव पानी में डूब गये हैं। मऊ में जमालपुर में वहां के नागरिकों ने 20 हजार का सामान इकट्ठा करके स्वयं परिश्रम करके एक बांध बनाया था, उसकी ओर भी जिले के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, कोई सहायता नहीं दी। अगर नागरिकों ने उस बांध को बांधा नहीं होता तो मऊ का आधा हिस्सा आज पानी में डूब गया होता। हजारों मकान ध्वस्त हो गये होते। हस्त कर्घा उद्योग में लगे आज 5—6 लाख मजदूरों के सामने एक विकट समस्या पैदा हो गयी है, वे दाने दाने के लिये तरस रहे हैं। मुबारकपुर, खैराबाद, मऊनाथ भंजन, रसूलपुर, सरैया, निवादा, इब्राहीमपुर, मुहम्मदाबाद आदि कई गांव पानी में डूबे हैं। मगर सरकारी अधिकारी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजमगढ़ जिला एक टापू सा बन गया है। 5—6 मील तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जहां

[श्री श्याम लाल कनौजिया—]

हम अन्य छोटी-छोटी नदियों की बात करते हैं, वहीं हमको टोंस नदी की बाढ़ की ओर भी ध्यान देना होगा टोंस नदी में बाढ़ की विभीषिका इतनी जोरों पर है कि उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। सरकारी रिपोर्ट में आजमगढ़ जिले में 4,490 मकान गिरने की संख्या दी है, जब कि मोहम्मदाबाद तहसील ही में केवल 8 हजार मकान गिरे हैं। करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गई है। अधिकारी लोग बंगले में बैठ कर ही सारे आंकड़े तैयार करके भेज देते हैं जो बिलकुल गलत होते हैं। सरकार को वे गुमराह करते हैं। आजमगढ़ में जो बांध टूटा है मऊ में पुल टूटा बरसों से मलवा पड़ा हुआ है, इन सब बातों की जांच होना चाहिये। जिन अधिकारियों की गलती हो उनको दण्ड देना चाहिये। आजमगढ़ जिले को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करना चाहिये और अधिक सहायता दी जानी चाहिये। बाढ़ समाप्त होने पर जो गांव नदियों के किनारे बसे हैं उनको ऊंचा किया जाना चाहिये। सस्ते गल्ले की दूकाने खोलना चाहिये। गरीबों को मुफ्त भोजन दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। पशुओं के चारे के लिये भी प्रबन्ध होना चाहिये। संक्रामक रोग से बचने के लिये मुफ्त दवा का इन्तजाम होना चाहिये। यह सब राहत आजमगढ़ जिले में दी जानी चाहिये।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह राजस्व मन्त्री जी ने जो विवरण बाढ़ के बारे में प्रस्तुत किया है, उस संबंध में मैं आप से यह बात कहना चाहता हूं, आप देखें कि विवरण में 51 जिलों की चर्चा है और देवरिया का नम्बर एक पर है। गांवों की संख्या 2754 और प्रभावित जनसंख्या 11 लाख 77 हजार है। ऐसा ही बहुत लम्बा आंकड़ा है। गांवों की आबादी में घरों के गिरने की संख्या उस अनुपात में, हमारे जिले को सहायता नहीं मिली है। मुझे मालूम हुआ था कि रुपये की कमी थी, श्री सीताराम जी जब गये तो रुपया वहां दे आए। वहां पर 100 रुपये की सीमा बंधी हुई है। आप सोचें जहां 4 महीने से लोग लगातार बाढ़ से घिरे हैं, वहां पर इस सीमा से कैसे काम चल सकता है। 100 रुपये की धनराशि उसके लिए नहीं के बराबर है। उसको ढीला करना चाहिये। परसों डाक्टर सीताराम जी गये थे, तो मैंने कहा था कि 100 रुपये उसमें बहुत कम हैं। इस समय बाढ़ स्थिति तो हट रही है, किन्तु उसके बाद भी काफी समस्या पैदा होंगी, उन पर आपको ध्यान देना है। उन्हें मेडिकल एड दी जानी चाहिए, पानी पीने के कुयें जिनमें पानी भरा था, उसमें दवा छिड़कने का प्रबन्ध होना चाहिए, गांवों 'को ऊंचा करने की व्यवस्था करनी चाहिए, बंधे-बंधियों की मरम्मत करनी चाहिए और जो काम करने लायक हैं उनके लिये काम करने की योजना 15 दिन के अन्दर बनानी चाहिए। सस्ते गल्ले की भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। केवल मिट्टी का तेल और चने बंट रहे हैं। इतनी विकराल बाढ़ यह एक सामुहिक प्रश्न है। इतने व्यापक स्तर पर प्रदेश में कभी बाढ़ नहीं आई है। सब से बड़ी बाढ़ 1918 और उस के बाद 1932, 1937 में आई थी। रिपोर्ट आफ दी फ्लड कमेटी 1954 में तैयार हुई थी, 1918 और 1937 के बाढ़ के बाद जब अपनी सरकार बनी तो उस फ्लड कमेटी के अध्यक्ष तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर, श्री हुकुमसिंह विसेन थे, उस समय के सिंचाई मंत्री, कमलापति त्रिपाठी भी उसमें मेम्बर थे। 1948 में जो कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट सन् 1954 में आई जब माननीय चौ० चरण सिंह आये थे। उस रिपोर्ट में जितनी सिफारिशें की गई थीं, यदि उस पर ही गौर किया गया होता तो मुझे विश्वास है कि ऐसी भीषण बाढ़ की तबाही उत्तर प्रदेश के किसी जिले में न आई होगी। इस रिपोर्ट के पेज 5—6 पर दी गई सिफारिशों को आप देखें। उसमें सुझाव दिया गया है कि जब बाढ़ आए तो—

Public morale in riverine areas should be whipped up to continuous state of preparedness to fight floods.

उसका दूसरा निर्णय था—

A Natural Calamities Relief Fund should be started in each district.

इसमें यह भी कहा गया है कि---नदी के किनारे रहने वालों को तैरना सिखाया जाए और उसके लिए फण्ड दिया जाए। आस पास की जो नदियां हैं उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। मैं समझता हूं इन सिफारिशों के में से यदि 1/2 का भी कार्यान्वित किया जाता तो प्रदेश में बाढ़ से इतनी दुर्दशा न होती। इसके फ्लड रिलीफ सब कमेटी ने सुझाव दिया है---

The Flood Relief Sub-committee had suggested that Government should float a Flood Insurance Fund on the lines of the War Risk Insurance Scheme.

श्री उपाध्यक्ष---

इसको हिन्दी में आप कर दीजिए। आपने इसे अवश्य पढ़ा होगा, आप इसी चीज को हिन्दी में कह दें।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

1954 में जो रिपोर्ट निकली थी, सन् 1952 में सिंचाई मन्त्री कमलापति त्रिपाठी जी थे, और तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर, श्री हुकुम सिंह विसेन उसके अध्यक्ष थे। 1952 के बाद माननीय चौ० चरण सिंह अध्यक्ष हुए। उसकी रिपोर्ट 1954 में हुई। उसमें 18--19 सिफारिशें हैं। 1918 में बहुत लम्बी बाढ़ आयी। फिर 1927 मे एक बार बाढ़ आयी। उसके बाद प्रदेश के शासन ने बाढ़ की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए एक कमेटी कांस्टीट्यूट की। मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो उस कमेटी में बैठकर उन्होंने सिफारिशें लिखी थीं, अगर उन्होंने अपनी सिफारिशों को ही कार्यान्वित किया होता तो जो व्यापक स्तर पर विनाश हुआ है, वह नहीं होता। मैं दो तीन सिफारिशों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक तो वार रिस्क इंश्योरेंस स्कीम की तरह फ्लड इन्श्योरेंस फंड बनाना चाहिए जिसके पास एक हल हो उससे साल में एक रुपया लिया जाय। उस कोष से सहायता होती रहे। फ्लड विक्टिम्स को। केन्द्र देगा या नहीं देगा, इससे बड़ी कठिनाई हो जाती है। फ्लड कंट्रोल बना हुआ है। सारी बाढ़ की व्यवस्था की जिम्मेदारी राजस्व विभाग पर है। राजस्व विभाग के पास इतने काम हैं। मैं गया था 5 तारीख को अपने क्षेत्र में, देवरिया से नौ मील दूर एक गांव में, पैदल चला गया। छोटी गंडक के किनारे, एक स्त्री और दो बच्चे दीवाल के गिरने से मर गये। लेखपाल को, तहसीलदार को कलेक्टर को पता नहीं। जब मैंने रिपोर्ट दी तब मालूम हुआ। उन्हें पता ही नहीं। रेवेन्यू रेकार्ड लेखपाल तैयार करे, खसरा खतौनी लेखपाल तैयार करे, बाढ़ का काम भी वह करे। इसलिए राजस्व विभाग द्वारा सहायता कार्य की व्यवस्था दोषपूर्ण है। उसमें, मूल परिवर्तन होना चाहिए। इस रिपोर्ट में है कि सहायता कार्यों के लिए एक नये ढंग से योजना बनानी चाहिए। जो फेमीन रिलीफ बोर्ड है उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए। स्वयं माननीय त्रिपाठी जी ने, जो मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं उस कमेटी में बैठ कर निश्चय किया है। बड़ी गंडक की बड़ी चर्चा है देवरिया में। पेज 137 पर इसमें लिखा हुआ है बड़ी गंडक का कोसी प्राजेक्ट की तरह प्राजेक्ट बना बंधा बांधना चाहिए। 20--25 वर्ष हो गये कोसी प्राजेक्ट की तरह व्यवस्था आयी नहीं। फ्लड कंट्रोल की और फ्लड रिलीफ की व्यवस्था भिन्न होनी चाहिए जैसी कि रिपोर्ट में सिफारिश है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह रिपोर्ट अंग्रेजी में है। जब तक अंग्रेजी में रिपोर्ट लिखी जायगी तब तक बाढ़ कैसे रुकेगी और खास तौर पर आज के दिन, आज 14 सितम्बर, है..

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, वायरलेस में भी अंग्रेजी प्रयोग होती है इसलिए बाढ़.....

श्री उप अध्यक्ष—

आज 14 सितम्बर है, हिन्दी दिवस है, संविधान सभा ने आज के दिन हिन्दी को राष्ट्र भाषा और देवनागरी लिपि को स्वीकार किया था। जो सुझाव आप दे रहे हैं उसको लिख कर भेज दीजिये। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूं।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय त्रिपाठी जी ने आप को समझाया पांच मिनट में। मंत्री जी को भी समझायें।

श्री दीपनारायन मणि त्रिपाठी—

राजस्व मंत्री जी कृपा करके उन्हीं की बनायी हुई जो रिपोर्ट है उसको कार्यान्वित कर दें, तो इस प्रदेश का बड़ा कल्याण हो जायगा। मान्यवर, कोसी प्रोजेक्ट की तरह गंडक प्रयोजना बननी चाहिये लेकिन वह नहीं किया गया। हमारी भूलों की वजह से यह कठिनाई उत्पन्न आज हुई है। माल विभाग की ओर से जो रिलीफ की व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बनाई हुई रिपोर्ट को ही वह ठीक से कार्यान्वित करने की व्यवस्था करें तो जनता को राहत मिलेगी और भविष्य में कोई बाढ़ आयेगी अथवा सूखा पड़ेगा तो उसमें भी सहूलियत होगी।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की समस्या समस्त सूबे की समस्या उपाध्यक्ष महोदय है लेकिन सुबह केवल लखनऊ की बात सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां बड़ा तूफान आया। मैं मुख्य मन्त्री का ध्यान उन क्षेत्रों की ओर खींचना चाहता हूं जिसमें घाघरा, राप्ती, गंडक आदि नदियां भीषण प्रकोप दिखाती हैं, 100 मील लम्बाई तथा 10,15 मील चौड़ाई में बाढ़ है। घाघरा जैसी आदि नदियों की बाढ़ के कारण रबी की फसल तो बरबाद हुई ही अब खरीफ की फसल उगाने का मौका भी किसान को नहीं मिलेगा और बस्ती जिले में तो इस बाढ़ से कई लाख किसान प्रभावित हैं। उनका जन जीवन साल भर तक कैसे चलेगा? यह एक विषम परिस्थिति हमारे जिले के लिये पैदा हो गयी है। मेरे जिले में आज सड़कों के अभाव से और बाढ़ के प्रकोप से आने जाने का कोई साधन नहीं रह गया है। सहायता कार्य ऐसी स्थिति में कैसे हो सकता है जब समस्या यह है कि कैसे उन तक पहुंचा जाय? नाव की कमी है हालां कि समस्त अधिकारी जुटे हुए हैं और उनके कार्य में कोई दोष नहीं है। तन मन धन से हर एक अधिकारी सहायता कार्य में जुटा हुआ है लेकिन उफनती हुई नदियों तथा नालों को पार करना दुर्लभ हो गया है। लखनऊ से गोरखपुर तक जो सड़क जाती है तो हरैया के पास 15 मील लम्बाई तथा 3 मील चौड़ाई में पानी बह रहा है जिससे सारा रास्ता बन्द है। वहां के रहने वाले कच्चे मकानों में रहते हैं और आसपास हजारों गांव उस क्षेत्र में बसे हुए हैं। सारे मकान धराशायी हो गये हैं। किस प्रकार उनका जन जीवन खतरे में पड़ा हुआ है उसका अनुमान लगाना लखनऊ के नक्शे को देख कर बड़ा कठिन है। यहां तो केवल रोजी व रोजगार का सवाल है जो अमीनाबाद तथा हजरतगंज तक कुछ समय के लिए सीमित है लेकिन वहां साल भर के लिये हर व्यक्ति की रोजी रोटी का सवाल है क्योंकि सारे खेत बरबाद हो गये हैं, सड़कें कट गयी हैं, पुल टूट गये हैं, वहां तक पहुंचने के लिये कोई साधन नहीं रह गये हैं पर मुख्य मंत्री जी कृपा कर के स्वयं जाकर वहां की स्थिति को देखेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी बस्ती जिले की दशा को जानते हैं। उनको मालूम है कि बस्ती जिले में नदियों के ऊपर नदियां बहती हैं। ये सभी नदियां पहाड़ से आती हैं। वहां पर यदि एक घंटे तक पानी बरसता रहा तो बहुत सारा पानी वहां पर भर जाता है। गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बनारस व फैजाबाद डिवीजन के जितने जिले हैं उनकी हालत

को देखते हुये यह समझ में नहीं आता है कि वहां के लोग किस तरह से साल भर तक कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इन जिलों में चारों तरफ से नदियों में बाढ़ का प्रकोप फैला हुआ है। इससे वहां के हजारों आदमी बेरोजगार हो गये हैं, हजारों लोग भूमिहीन हो गये हैं वे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। उनकी सारी खेती बरबाद हो गई है। मजदूरों को उनकी मजदूरी कैसे देंगे। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आपने पहले एक स्कीम एप्रोच रोड बनाने की बनाई थी उसे आप तत्काल चालू करें जिससे बाढ़ की चपेट में आने वाले लोगों की और उनकी खेती और घर की रक्षा हो सके, वे लोग बाढ़ के आने पर दूसरे गांवों में भाग सकें।

दूसरी बात यह है कि जिन गांवों में रबी की फसल नष्ट हो गई है उन गांवों को राशन देने की सरकार व्यवस्था करे, मुफ्त व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी लगान माफ होनी चाहिए, बच्चों की फीस जहां कहीं वे पढ़ते हों, चाहे वे यूनिवर्सिटी में हों, कालेज में हो, अथवा प्राइमरी में हों उनकी फीस माफ होनी चाहिए। गल्ले और चारे की समस्या बड़ी जटिल हो गई है। इन गांवों में मवेशियों के लिये चारा नहीं रह गया है। इसके लिये भी आप को व्यवस्था करनी होगी। इसके लिये आप को चाहे बाहर से या आपको जंगल से इन्तजाम करना चाहिये। हजारों लोगों के मकान गिर गये हैं। घाघरा के किनारे बने हुए मकान पक्के नहीं होते हैं। इसकी जानकारी मेरे साथियों को भी होगी। उनके सारे मकान धरासायी हो गये हैं। लोग दूसरे गांवों में पड़े हुये हैं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि जो आप 100 रुपये की सहायता मकान बनाने के लिये दे रहे हैं वह कम है। इतने कम पैसों में मकान नहीं बन सकता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि कम से कम 500 रुपये की सहायता दी जानी चाहिये। जो सड़क और पुल टूट गये हैं उनको बनाने का आदेश अतिशीघ्र की जानी चाहिए जिससे आने-जाने के साधन ठीक हो सकें।

श्रीमन्, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि आज भी आप नहीं पहुंच सकते हैं। उनके लिये नावों का इन्तजाम होना चाहिए। कहीं पर कोई घटना हो गई और अतिशीघ्र वहां पहुंचने की आवश्यकता हुई तो उसके लिये व्यवस्था होनी चाहिए। गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और फैजाबाद, बनारस आदि जिले हैं उनमें आप इस तरह की व्यवस्था कर दें। मुझे इस सम्बन्ध में एक कहानी याद आती है। इसी हाउस में मेरे साथी पहले यह कहा करते थे कि ये पूर्वी जिलों के लोग बाढ़ को लेकर कायरता की बात कहा करते हैं। किन्तु जब सन् 1960 में लखनऊ में बाढ़ आई तो मैंने उन साथियों के मुंह से ही यह कहते सुना कि बाढ़ से बड़ी तकलीफ होती है। उसके बाद जब पश्चिम में बाढ़ आई तो उनके यही शब्द थे कि बाढ़ से तकलीफ होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सुख और दुख किसको नहीं होता है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि जो कुछ सहायता आप कर रहे हैं वह कम है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं कि सन् 1952 से लेकर आज तक आपने इसके लिये कोई उचित कदम नहीं उठाये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आप के सिर पर लखनऊ में बाढ़ आई है उसी तरह से बल्कि उससे भी ज्यादा गोरखपुर, बस्ती और फैजाबाद डिवीजन में बाढ़ आई है जहां कि 10 मील तक आने जाने के साधन नहीं हैं। कितने ही गांव ऐसे हैं जो कि बीच में पड़े हुये हैं। इन शब्दों के साथ मैं बस्ती जिले के बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस जिले की ओर विशेष ध्यान दें।

श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो बाढ़ के प्रकोप पर बोलने का मुझे अवसर दिया। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में बाढ का बड़ा प्रकोप रहा जिस में विशेष रूप से गोंडा जिलें में इतना बड़ा प्रकोप रहा कि सरजू घाघरा और रापती से बाढ़ का स्वरूप निरन्तर बना रहा। अभी 11 तारीख से जबसे उधर की बारिश बन्द हुई है वहां इतना पानी घाघरा और सरयू में आ गया है कि लोगों को बचाना और निकालना मुश्किल पड़ गया है। वहां पर नावों की कमी है, हर गांव के लोगों तक पहुंचना मुश्किल है। सिर्फ एक मात्र बोट वहां पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में है।

[श्री श्रीराम सिंह]

मान्यवर, गोंडा जिले में पश्चिम व दक्षिण हिस्से में घाघरा व सरजू नदी तथा उत्तरी भाग में राप्ती का भीषण प्रकोप रहा है । इस गोंडा तहसील में कटरा क्षेत्र में टेढ़ी नदी, चवहा नाला व बिसुही नदी का भीषण प्रकोप रहा और नदियां अपना भीषण रूप धारण करके पूरे जिले को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है । जो आंकड़े सरकारी आते हैं इसमें न जाकर के मैंने स्वयं देखा है कि एक एक गांव में 80-80 मकान गिर गये हैं। न वहां मकई है, न धान है, बिल्कुल शून्य है पूरा जिला फसल से । मान्यवर, वहां पर जो राहत कार्य इस समय चल रहा है जसमें गरीबों के लिए सिर्फ एक किलो चना, एक किलो नमक, एक माचिस मुश्किल से पहुंच रही है । तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तकावी बांटते हैं लेकिन तकावी भूमिहीनों को नहीं देते हैं । भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों के लिये कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिये । खेतिहर मजदूरों के लिये न तो किसान के यहां से उन्हें कोई मजदूरी मिलती है न सरकार के यहां मिलती है । मान्यवर, जिस प्रकार जिसके पास जमीन है उसको तकावी दी जाती है, उसी प्रकार उनको भी अनुदान रूप में कुछ सहायता दी जाय जिससे वह अपने जानवरों का भरण-पोषण कर सकें । मान्यवर, शिक्षा में विद्यार्थियों को जो कि रिपोर्ट के अनुसार हमारे जिले में 10 हजार हैं उन सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाय । मेरा सुझाव यह है कि सहायता कार्य में स्थानीय विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी जाय । दूसरा मेरा सुझाव यह है कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में फ्लड पोस्ट बनवाये जायं जहां पर गांव के लोग अपने जानवर तथा गल्ला लेकर उन्हें बचा सकें । मान्यवर, तीसरा सुझाव यह है कि गांवों में भूमिहीन मजदूरों के लिये कोई सुविधा नहीं है जिससे वे अपना तथा जानवरों का भरण-पोषण कर सकें । एक तरफ जमीन वालों को तकावी दी जाती है दूसरी तरफ भूमिहीन मजदूरों को महीने में एक किलो चना, एक किलो नमक भूमिहीन मजदूरों को तकावी की भांति खाने तथा चारे व मकान बनाने के लिये अनुदान दिया जाय । चौथा सुझाव यह है कि जिन गांवों में बाढ़ है उनको पटाई और ऊंचा करा दी जाय । पांचवां सुझाव यह है कि तहसील तरबगंज में जो बांध बना है उसी से मिला कर गोंडा जिले में 12 मील और बढ़ा दिया जाय ।

मान्यवर, इस हाउस में या बाहर जहां देखो नेता या अधिकारी खेतिहर मजदूर भूमिहीनों की बात करते हैं, लेकिन खेतिहर मजदूर और भूमिहीनों की इस समय जो दशा है मैं स्वयं एक हफ्ते से बाढ़ क्षेत्र का दौरा करके आया हूं । वहां पर न उनको कोई कर्जा देने वाला है, न मजदूरी पर रखने वाला है । एक किलो चना दिया जाता है तो उसके बच्चे खड़े खड़े उसको खा जाते हैं । राजस्व मंत्री ने 11 तारीख को हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम लगाया था। हम दिन भर इन्तजार करते रह गये, फिर पता चला कि मंत्री जी नहीं जा सकते हैं ।]

मान्यवर, 11 तारीख से घाघरा बगैरा से इतना जल हो गया है यदि लखनऊ में गोमती द्वारा इतना जल आ जाता तो दिल्ली से सेना बुलानी पड़ती । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गोंडा की इतनी भयावह स्थिति है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है । वहां सैकड़ों लाशें बहती हुई मिलती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप गोंडा तथा तरबगंज तहसील में तात्कालिक सहायता पहुंचायें जिससे आदमी अपनी जानें बचा सकें । खेतिहर मजदूरों के लिये ऐसी व्यवस्था करें कि तकावी के साथ-साथ उनको अनुदान भी मिले । इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बाढ़ की चर्चा पहले भी हुई थी, दो बार हुई, आज हो रही है और कल भी होगी । श्रीमन्, बाढ़ से पूरा प्रदेश प्रभावित है और मैं इतना कहने का साहस कर रहा हूं कि बाढ़ के मामले में सरकार जितनी जागरूक इस समय रही उतनी कभी नहीं रही । मुख्य मंत्री जी ने बाढ़ क्षेत्र

का दौरा करने के लिये मंत्रियों को पूरे अधिकार दे कर भेजा है कि वे मौके पर फौरन डिसीजन लें। जिस तरह से बाढ़ में कार्य हुआ है वह सराहनीय है। लखनऊ के बारे में तमाम चर्चा हुई।

श्रीमन्, जी हमारे बस्ती जिले में सरजू, घाघरा, कुआनों आदि नदियां हैं जिनसे पूरा जिला तबाह हो गया है। श्रीमन्, बड़ा अफसोस यह है कि हमारे यहां धान की फसल बहुत अच्छी थी। बाढ़ से बहुत नुक्सान हुआ। इसके अलावा अतिवृष्टि से भी बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है। धान नीचे से उग आया है और ऊपर से काला हो गया है। किसान धान को नीचे से निकाल रहा है। तमाम धान जम गया है। मैं देख रहा हूं कि रबी की फसल के लिये धान के बीज की समस्या पैदा हो गई है और बोने के लिये बीज नहीं है।

श्रीमन्, थोड़ा सा चना, दियासलाई या मिट्टी के तेल बांटने से काम चलने वाला नहीं है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि प्रदेश की बाढ़ को रोकने के लिये हर जिले में जहां बाढ़ आई है फ्लड डिवीजन कायम किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कल 5 मिनट बोलेंगे। अब हम आगे चलते हैं।

## नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

एक सूचना माननीय नित्यानन्द स्वामी की है कि देहरादून शहर में पुलिस द्वारा मकान जबरदस्ती खाली कराये जाने के संबंध में। इसको स्वीकार नहीं किया है लेकिन कार्यवाही के लिये जैसा कि उनका आग्रह था मुख्य मंत्री को भेज दिया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मान्यवर, आग्रह वक्तव्य के लिये था। वक्तव्य हो गया तो कार्यवाही हो जायेगी। आप तो श्रीमन्, बड़े उदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

इसको कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं। दूसरा माननीय सुखपाल पांडये तथा राम करन सिंह जी का है कि टी० बी० चिकित्सालय, बस्ती में एक महिला के साथ डाक्टर द्वारा बलात्कार किया गया बताया है। इसको भी मुख्य मंत्री जी के पास कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं।

श्री सुखपाल पांडेय---

जिन लोगों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है उनको सस्पेंड भी नहीं किया गया। वह महिला टी० बी० के अस्पताल में 3 महीने से भर्ती थी उसको डाक्टर ने अपने कमरे में बुलाकर बलात्कार किया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप वक्तव्य चाहते थे। अगर यह बात सही है जो आपने लिखा है तो उस पर अगर कोई कार्यवाही सरकार कर देती है तो उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। आपको भी हो जाना चाहिये। आप वक्तव्य चाहते हैं या कार्यवाही चाहते हैं ?

श्री सुखपाल पांडेय---

मैं वक्तव्य और कार्यवाही दोनों चाहता हूं। इस प्रकार के एक भ्रष्टाचारी अधिकारी के मामले को इसलिये दबाया जा रहा है कि उसका बाप थानेदार है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कार्यवाही नहीं चाहते हैं, वक्तव्य चाहते हैं तो मैंने इसको अस्वीकार किया ।

तीसरा सवाल श्री गोविन्द सिंह नेगी का है बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का बन्द किया जाना तथा वहां पुलिस तथा पी० ए० सी० का बुलाया जाना । इसको मैंने 17 तारीख को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

चौथा सवाल श्री शिव कुमार पांडेय तथा सुखपाल जी का, सुल्तानपुर जनपद में बाढ़ के प्रकोप के बारे में है । बाढ़ पर इस समय बहस चल रही है, इसलिये इसको मैंने अस्वीकार किया है ।

पांचवा सवाल श्री सुरेंद्र विक्रम का, शाहजहांपुर के एस०एस० डिग्री कालेज के अध्यापकों का बकाया वेतन के बारे में है । आज की स्थिति में जब बाढ़ वगैरा के आवश्यक प्रश्न हमारे सामने हैं इसको मैंने अस्वीकार किया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, इसको कार्यवाही के लिये सरकार के पास भेज दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको हम बाद में देख लेंगे ।

इसके आगे श्री कल्पनाथ सिंह और श्री सुरेंद्र विक्रम का गोरखपुर विश्वविद्यालय की इमारत का कई स्थान पर फट जाने के बारे में है । यह सवाल ऐसा है कि इसके बारे में अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न किया जा सकता है। वह आप कर लें ।

एक श्री चन्द्रभान शर्मा का लाल प्रसाद इंटर कालेज के प्रिंसिपल पर हमला तथा उसके फलस्वरूप अध्यापकों द्वारा हड़ताल किये जाने के बारे में है । यह मैंने 17 तारीख को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री सी० पी० एन० सिंह का, लखनऊ में भैंसाकुंड के निकट एक व्यक्ति द्वारा बांध को स्वयं तोड़ दिये जाने के संबंध में है । इसके ऊपर वे बाढ़ के संबंध में बोलते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कर चुके हैं । अतः यह अस्वीकार किया गया ।

इसके आगे एक श्री चन्द्रभान शर्मा, श्री वीरेंद्र वर्मा और श्री सुखपाल पांडेय का है । यह मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस की अकर्मण्यता के बारे में है । इसको भी अस्वीकार किया गया है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, पुलिस का दरोगा शादीशुदा जवान लड़की को उठा कर दूसरे जिले में ले गया और वहां दूसरे नाम से रहा और उसके साथ बलात्कार किया । यह एक बहुत ही संगीन मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या इसको कार्यवाही के लिये भेज दिया जाय ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

इससे ज्यादा गम्भीर और क्या हो सकता है । पब्लिक का आदमी करे तो उसके बारे में आप स्वीकार कर लें और अगर पुलिस का सब इंसपेक्टर बलात्कार करे तो उसको स्वीकार न किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आपका आग्रह हो तो इसको पुलिस मंत्री जी के पास कार्यवाही के लिये भेज दिया जायगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

इस लड़की के साथ दो जवानों ने बलात्कार किया । इस पर तो वक्तव्य अवश्य होना चाहिये ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

मैं समझता हूं इसको आपने पढ़ा ही नहीं । मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, तीन मामले मुजफ्फरनगर पुलिस के मैंने दिये । पहला मामला पुलिस सब-इन्सपेक्टर ने एक विवाहिता नौजवान लड़की को उठाया और उठा कर दूसरे जिले मे ले गया और फर्जी दरोगा के नाम से रहा और शराब पी कर लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर वह जबरदस्ती लड़की को पकड़ना चाहता था लेकिन वह भाग गई । दूसरा मामला यह कि दो नौजवान लड़के 11 वीं पास लड़की को उठा कर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया और 8 दिन तक अपने पास रखा ।

श्री उपाध्यक्ष---

कई घटनाओं को मिलाकर आपने दिया है।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

यह आपका कायदा है । एक ही जिले से संबंधित है, एक ही विभाग से संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष---

कार्यवाही के लिये भेज दूं ?

श्री वीरेंद्र वर्मा---

आप इस पर क्या कार्यवाही करेंगे, पुलिस की इतनी ज्यादती ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं भी वर्मा जी को सपोर्ट करना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि अगर डाक्टर अपनी चरित्रहीनता दिखाये, मंत्री सरकारी धन का दुरुपयोग करे और पुलिस कानून तोड़े और खुद बलात्कार करे तो ये सब अक्षम्य अपराध हैं और कई ऐसे आकरेत्सेज हों एक ही विभाग से संबंधित तो उनको एक ही समझना चाहिये, टेक्निकलिटी के आधार पर न्याय का गला घोट दिया जाय यह उचित नहीं है । एक ही डिपार्टमेंट से संबंधित है, एक ही चेन में वह चीजें हैं इसलिये मैं समझता हूं कि वर्मा जी जो कह रहे हैं वह ठीक है, जनहित में है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

शायद आपने पढ़ने का भी कष्ट नहीं किया है । चन्द्रभान जी का चूंकि आपने एक स्वीकार कर लिया इसलिये आपने दूसरा अस्वीकार कर दिया । यह मेरा लिखा हुआ है तीनों प्रश्न मैंने दिये हैं । इससे ज्यादा और क्या होगा अगर पुलिस का दरोगा बलात्कार करे, एक ही जिले का है, एक ही विभाग का है । इन्तहा दर्जे की पराकाष्ठा पर यह पहुंच चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जैसा कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा कि मंत्री और सरकारी अफसर और पुलिस, तो मंत्री को तो मैं अलग करूंगा क्योंकि मंत्री के बारे में तो वक्तव्य ही से काम चल जाता है लेकिन पुलिस का अधिकारी कोई गलती करे तो आप मंत्री को पकड़ते हैं क्योंकि वह उसके लिये जिम्मेदार है । लेकिन एक घटना के बारे में कर दीजिये ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

मान्यवर, मैंने यह इसलिये लिखकर दिया चूंकि एक ही विभाग से संबंधित था और एक ही जिले से संबंधित था ।

श्री उपाध्यक्ष---

तीन घटनाओं को आप बताते हैं । उनमें से कौन सब से महत्वपूर्ण घटना मानते हैं ?

श्री वीरेंद्र वर्मा---

अपराध एक ही जिले का है । एक ही एस०पी० और एक डी० एस०पी० के क्षेत्र का मामला है । एक दरोगा का है और दूसरे पुलिस वाले गिरफ्तार कर के उनको मारा पीटा गया और बन्द कर दिया गया और 11वीं पास लड़की के साथ बलात्कार हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आप सोच लें क्योंकि इस तरह से कड़ी बना कर कई घटनाओं को····

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

जो वीरेंद्र वर्मा जी ने और जो आपने कहा है उससे मैं यह समझा हूं कि पुलिस के कर्मचारियों के चरित्र की तरफ वह ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और जो घटनायें ह वह उसके दृष्टांत हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप मदद कर दें वर्मा जी की ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

ठीक लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब मुझे पढ़ना पड़ेगा सबको ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, यहां पर आपके सचिव साहब बैठे हुये हैं, मेरे से बहुत पुराने हैं, मैं तो सन् 52 से ही हूं । और सुबह इस बात को समझकर मैं आपके पास गया, स्पीकर साहब के पास गया और सचिव के पास गया । चन्द्रभान जी शर्मा का आपने स्वीकार कर लिया है इसलिये इसको नामंजूर कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इसको कल फिर से लिखकर दे दें ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)---

मेरा निवेदन भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बोल चुके हैं ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह---

एक साधारण आदमी जिसने बन्धा को नहीं बनने दिया और जिसके कारण इतना पानी बह गया उसके विषय में आप जरूर स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसीलिये आपको समय दिया गया । इसीलिये आपने सदन का ध्यान आकृष्ट कर दिया । अब उसमें क्या कार्यवाही होगी, यह सरकार करेगी। इसके बाद मोहनलाल जी कपूर ने मेरठ में कोयले के संकट के लिये दिया है । इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

आप इसको कार्यवाही के लिये मंत्री जी के पास भेज दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

भेज दिया जायगा । इसके बाद रामधारी जी शास्त्री का देवरिया में दीप की पिटाई के बारे में है जिससे उसकी मृत्यु हो गई । आप उसको वक्तव्य के लिये दे दें तो उसको मैं स्वीकार कर लूंगा ।

एक गिरिजा शंकर जी तिवारी का है उसको अस्वीकार किया गया है । यह प्रश्न बाढ़ के संबंध में बहस के दौरान उठाया जा सकता है। इस कारण इसको अस्वीकार किया गया है।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
14 सितम्बर, 1971 ।

# नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 402 पर)

## आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सक संघ, उत्तर प्रदेश की मांगें

(1) यह संघ शासन से अनुरोध करता है कि राजकीय आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के कर्त्तव्य एवं दायित्व इस प्रकार हैं कि उनका चिकित्सालय के समीप रहना परमावश्यक होता है जिससे कि जनता अहर्निश उनकी सेवाओं से लाभान्वित हो सके । अतः उनको भी एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के समान निःशुल्क आवास या उसके एवज में 10 प्रतिशत वेतन का किराया भत्ता देने की कृपा की जावे ।

(2) यह संघ शासन का ध्यान आयुर्वेद एवं यूनानी के जिलास्तरीय प्रशासन की ओर आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर कई विभागों का उत्तरदायित्व होने के कारण वे अपेक्षित समय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को नहीं दे पाते और न रुचि ही लेते हैं । परिणाम स्वरूप कर्मचारियों का दक्षता अवरोध, स्थाईकरण, पदोन्नति, पेंशन, यात्रा भत्ता, कन्टैन्जेंसी एवं रोगी भोजनादि संबंधी आवश्यक कार्यों में अनावश्यक बिलम्ब हो जाता है । इसके कारण चिकित्सालय के संचालन एवं उसकी लोक प्रियता में ह्रास हो जाता है । अतः संघ शासन से यह मांग करता है कि जिला स्तर पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी की नियुक्ति की जाये ।

(3) यह संघ लोक प्रिय सरकार से अनुरोध करता है कि समान कार्य के लिये समान वेतन का सिद्धान्त चिकित्सा के प्रत्येक क्षेत्र में भी लागू कर राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के समक्ष चिकित्साधिकारियों को एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की भांति समस्त पदों को राज पत्रित घोषित करते हुए उन्हीं के समान 300 रु० से 900 रु० का वेतन-क्रम प्रदान किया जाये क्योंकि हमारी शैक्षिक योग्यता, कार्य एवं उत्तर दायित्व भी एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के ही समान हैं तथा हमारे यहां भी अन्तरंग रुग्ण व्यवस्था है ।

(4) संघ शासन से अनुरोध करता है कि स्टेट मेडिकल सर्विस (आयुर्वेद व यूनानी) 250 रु० से 750 रु० के वेतन-मान वाले राजपत्रित चिकित्साधिकारियों के 50 प्रतिशत पदों की पूर्ति बिना प्रतियोगितात्मक परीक्षा के विभागीय ज्येष्ठता (सीनियारिटी) के आधार पर पदोन्नति करके की जाय । इससे विभागीय वैद्य व हकीमों का मनोबल भी बढ़ेगा और उनके दीर्घकालीन अनुभवों से इन पदों की गरिमा भी ।

(5) संघ सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध करता है कि क्लास डी० एलोपैथिक चिकित्सालयों में नियुक्त आयुर्वेद एवं यूनानी के स्नातकों को वे सभी अधिकार एवं सुविधायें दी जायें जो कि एलोपैथिक चिकित्सा स्नातकों को वहां सुलभ है तथा दो वर्ष के परीक्षणकाल के बाद उन्हें भी स्थायी करने की कृपा की जाय ।

(6) संघ सरकार से निवेदन करता है कि वर्तमान समय में कच्ची औषधियों के मूल्य अत्यधिक बढ़ गये हैं । अतः बहिरंग चिकित्सालयों के लिये 300 रु० तथा अन्तरंग विभागीय चिकित्सालयों के लिये प्रति शैय्या 500 रु० अतिरिक्त वार्षिक अनुदान स्वीकृत करने की कृपा की जाय ।

(7) संघ शासन से अनुरोध करता है कि प्रत्येक अंतरंग विभागीय चिकित्सालयों के लिये कैन्टेन्जेंसी मद से 500 रु० एवं बहिरंग विभागीय चिकित्सालयों में 250 रु० वार्षिक की धन-राशि स्वीकृत की जाय ।

(8) यह संघ शासन से प्रार्थना करता है कि आयुर्वेद एवं यूनानी के चिकित्साधिकारियों को भी मेडिकोलीगल (न्याय वैद्यकीय) अधिकार प्रदान किये जायं ।

(9) यह संघ शासन से अनुरोध करता है कि राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा-अधिकारियों को भी नसबन्दी के अधिकार प्रदान किये जायं तथा आवश्यक होने पर हम लोगों को तत्संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाय । हम उसके लिये तैयार हैं ।

(10) संघ शासन से अनुरोध करता है कि लाटरी एवं लैवी से प्राप्त धन सरकारी कोष में जाता है उसके व्यय के निर्णय के लिये प्रांतीय स्तर पर जो संगठन है उसमें आयुर्वेद एवं यूनानी का प्रतिनिधि नहीं है । फलतः उक्त निधि आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों के उपयोग में नहीं आती । अतः शासन से आग्रह निवेदन है कि उक्त समिति में प्रांतीय स्तर पर निदेशक आयुर्वेद व यूनानी सेवा को या उसके प्रतिनिधि तथा जिला स्तर पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सदस्य बनाये जायं जिससे हमारे उक्त निधि का धन सानुपातिक ढंग से आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों के विकास में लगाया जा सके ।

(11) संघ शासन से अनुरोध करता है कि नगर में जो भी आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के चिकित्सालय स्थापित किये जायं वे प्रथम स्तर के तथा समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धांत पर ही आधारित होकर वहां के चिकित्साधिकारियों एवं वितरक को वही वेतन स्तर पर सुविधायें प्रदान की जायं जो नगर के अन्य चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारियों एवं वितरकों को उपलब्ध हैं क्योंकि उनके कार्य व समय में पूर्ण समानता है ।

(12) यह संघ शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश में जहां कहीं भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय जनता की सफलता पूर्वक सेवा कर रहे हैं उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कारण स्थानान्तरित न किये जायं ।

(13) यह संघ शासन का ध्यान नव-स्थापित एवं भविष्य में स्थापित होने वाले चिकित्सालयों की ओर आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करता है कि चिकित्सालय हेतु उपयुक्त भवन एवं कर्मचारियों के निवास हेतु भवन निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाय जिससे अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों की सेवा सुचारु रूप से हो । यदि निवास व भवन तुरन्त उपलब्ध न हों तो उन्हें उसके लिये आवश्यक धन उपलब्ध कराने की कृपा करके ही चिकित्सालय स्थापित किये जायं ।

---

प्रतिलिपि

## नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 68 का उत्तर पीछे पृष्ठ 405 पर)

### सूची

| नाम | जिला परिषद् |
|---|---|
| 1—श्री राज कुमार सेठ | मथुरा |
| 2—श्री कुंवेन्द्रपाल सिंह | एटा |
| 3—श्री गोपी मोहन सिन्हा | मुरादाबाद |
| 4—श्री राममूर्ति | पीलीभीत |
| 5—श्री राजेंद्र बहादुर सिंह | इलाहाबाद |
| 6—श्री बृज बहादुर खरे | फैजाबाद |
| 7—श्री वीरेंद्र नाथ मिश्र | हरदोई |
| 8—श्री गजानन सिंह | वाराणसी |
| 9—श्री हरी मंगल मिश्र | खीरी |

---

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नथी "ग"

### केन्द्रों और उप-केन्द्रों का नाम जिनका भवन निर्माण होना प्रस्तावित है

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 408 पर)

केंद्र

1---सिकन्दरपुर सरोसी
2--अचल गंज
3---विधिया
4---पुरवा
5---हिलौली
6---बीघापुर
7---सुमेरपुर
8---असोहा
9---मियागंज
10---औरास
11---फतहपुर--84
12---बांगर मऊ
13---गंज मुरादाबाद
14---ऊंचगांव किला
15--चर थानी
16---बनगांव
17---पुकरा बुजुर्ग
18---ऊंचगांव साहनी
19---सगौली
20---अकोहरी
21--पंसारिया
22--मवई
23---सन्दाना
24---बारा
25---इन्देमऊ
26---कटरा दीवान खेड़ा
27---करवाईपुर
28---शुक्ला खेड़ा
29---ऊंच गांव
30---सहिला
31---बिहार
32---पाटन
33--कांथा
34---रायपुर
35---चितौली
36---कालू खेड़ा
37---सरवन
38---न्योतनी
39--सराय मलखादीन
40---सामदपुर
41---लालपुर
42---सनदाना
43--जैतीपुर
44---मकूर
45---कटेहरू
46---माखी
47---रसूलाबाद
48---टीयर
49---पाठकपुर
50---जमालनगर
51---पूरा चांद
52---गागन
53---रामपुर
54---बरीखंडा
55---जमालुद्दीनपुर
56---देव गांव
57---असिया
58---गोहली
59---हयासपुर
60---नौसारी
61---ऊगू
62---सैता
63---नेवल
64---अतरघनी
65---गोरिया कलां
66---कुरसठ
67---अमीरपुर गंभीरपुर
68---बैक
69---मतसिया
70---हरईया
71---रूरीसादीपुर

उप केंद्र

1---उन्नाव बाहर
2---शुक्ला गंज
3---करोवन
4---रऊ करना
5---सिकन्दरपुर करन
6---हड़हा
7---कटहर
8---मसवासी
9---कौरारी कलां
10---रुपऊ
11---नैवरना
12---पंडरी कलां
13---तारैरा

# नत्थी "घ"

(देखिये पीछे पृष्ठ संख्या 428 पर)

## उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971

1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने तथा उनसे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

### विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1971 कहलायेगा।

1951 ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 की धारा 100-क का संधोधन

2—1951 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जिस आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 100—क में, उपधारा (2) में शब्द कोष्ठक तथा अंक "उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "इकतीस दिसम्बर, 1971 को या इसके पूर्व" रख दिये जायें।

धारा 100-ख को संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 100-ख में, उपधारा (2) में शब्द कोष्ठक तथा अंक "उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "इकतीस दिसम्बर, 1971 को या इसके पूर्व" रख दिये जायें।

धारा 161 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 161 में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (ग) बढ़ा दिया जाय:—

"(ग) राज्य सरकार से, अपनी भूमि का,"

धारा 240 ज का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 240-ज की उपधारा (3) में, उपधारा के प्रारम्भ में आये हुए शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज" के स्थान पर शब्द "सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय" रख दिये जायं।

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के कुछ प्राविधानों को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां हो रही हैं, जिसके कारण इन प्राविधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

### (1) धारा 100-क व 100-ख का संशोधन

वर्ष 1968 में कतिपय वक्फो, न्यासों व निबन्धों की वार्षिक वृत्ति के पुनः अवधारण और उन्हें विशेष सहायता देने के लिये राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 17, 1968 द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 में नई धारा 100-क व 100-ख जोड़ी गई थी। इस प्राविधान को बाद में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4,1969 के माध्यम से विधान मंडल द्वारा अधिनियमित भी किया गया था। उक्त धाराओं की उपधारा (2) में वार्षिक वृत्ति व विशेष सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की मियाद एक वर्ष रखी गई थी जो अगस्त 30, 1970 को समाप्त हो चुकी है। इन धाराओं को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने और फार्म छपवाने में 10 महीने का समय लग गया। वक्फ बोर्ड को भी जिलों में जांच कराने में काफी समय लगा। इन कारणों से मुत्वल्लियों को प्रार्थना-पत्र दाखिल करने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका। इस अवधि को बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 1971 किया जाना आवश्यक समझा गया और इस कारण से अधिनियम की धारा 100-क और धारा 100-ख में संशोधन किया जा रहा है।

### (2) धारा 161 का संशोधन

इसमें यह प्राविधान है कि कोई भूमिधर या सीरदार किसी अन्य भूमिधर या सीरदार अथवा गांव सभा में निहित भूमि से अपनी जोत का तबादला कर सकता है। इस धारा के अन्तर्गत खातेदार की भूमि व शासन की भूमि में तबादले का प्राविधान नहीं है। इस कमी को पूरा करने हेतु अधिनियम की धारा 161 में संशोधन किया जा रहा है।

### (3) धारा 240-ज का संशोधन

इस धारा की उपधारा (3) में प्राविधान है कि उपधारा (2) में संदर्भित प्रश्न को जिला जज तय करेंगे। परन्तु उपधारा (2) में वर्ष 1961 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 द्वारा यह संशोधन किया गया था कि स्वत्व के मामले को सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय को संदर्भित किया जायगा। इसी प्रकार का संशोधन उसी समय उपधारा (3) में किया जाना चाहिये था। इस असंगति को दूर करने हेतु अब धारा 240-ज (3) में संशोधन किया जा रहा है।

उपरोक्त संशोधनों हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971 पुरःस्थापित किया गया है।

उदित नारायण शर्मा,
राजस्व मंत्री।

## नत्थी "ङ"

(देखिए पीछे पृष्ठ 429 पर)

## प्रदेश के बाढ़ की स्थिति पर राजस्व मंत्री जी का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

अगस्त के अन्तिम दिनों में जब इस सदन में बाढ़ के बारे में चर्चा हुई थी तब उस समय तक की स्थिति मैंने बता दी थी। मुझे यह आशा थी कि जब यह सदन दुबारा बैठेगा तब तक हम लोग अतिवृष्टि तथा बाढ़ से छुटकारा पा चुके होंगे और इस स्थिति में होंगे कि शान्तिपूर्वक वातावरण में इस बात पर विचारकर सकें कि भविष्य में बाढ़ का प्रकोप कम हो इसके लिये क्या दीर्घ-कालीन योजनायें बनाई जा सकती हैं। मुझे खेद है कि उसके बाद सितम्बर के प्रारम्भ से ही वर्षा का दूसरा दौर प्रारम्भ हो गया जिसक कारण एक बार फिर नदियों में बाढ़ आ गई। जो क्षेत्र पहले बाढ़ का मुकाबला कर चुके थे उन्हें भी फिर इस विपत्ति का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ कुछ शहरी क्षेत्रों जैसे लखनऊ, आजमगढ़ तथा जौनपुर में भी नदी का प्रकोप इतना अधिक बढ़ा कि राज्य सरकार को न केवल अपने सभी साधन सहायता कार्य में लगा देने पड़े बल्कि व्यापक रूप से सेना की सहायता भी प्राप्त करनी पड़ी।

2---आप सब लोग इस समय अपने-अपने क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करके आ रहे हैं और इस कारण आपको जानकारी मेरी जानकारी से कहीं अधिक है क्योंकि जहां एक ओर आप को अपने क्षेत्रों के बारे में व्यक्तिगत अनुभव है वहां दूसरी ओर मेरी जानकारी दूसरों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है। इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे बाढ़ घटती जा रही है और मौसम साफ होता जा रहा है, अनेकों मकानों के गिरने की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं और क्षति के जो आंकड़े किसी एक तिथि तक संकलित किये जाते हैं उनमें बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन होता जा रहा है। हम कितना भी प्रयत्न करें, ये आंकड़े पूर्णतया शुद्ध नहीं हो सकते। फिर भी मैंने यह प्रयत्न किया है कि सितम्बर के पहले सप्ताह तक असामयिक वृष्टि, अतिवृष्टि एवं बाढ़ से जो हानि हुई है। अथवा जो भी सहायता कार्य राज्य सरकार की ओर से किया गया है उसका एक विस्तृत जिलेवार विवरण बना कर आपके सामने रख दिया जाय। इस प्रकार के विवरण को एक पुस्तक† के रूप में प्रकाशित कराकर आपको उपलब्ध करा दिया गया है और मेरा यह निवेदन है कि उस विवरण को भी मेरे इस वक्तव्य का ही भाग मान लिया जाय।

3---जिस समय तक की सूचना उक्त विवरण में संकलित है उसके बाद भी कुछ स्थानों पर बाढ़ की स्थिति में बजाय सुधार होने के प्रतिकूल दिशा में परिवर्तन हुआ है। इन स्थानों में विशेष उल्लेखनीय जिले लखनऊ, नैनीताल, खीरी, आजमगढ़, जौनपुर, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, सीतापुर हरदोई एवं उन्नाव हैं।

4---लखनऊ की स्थिति के बारे में आपको विदित ही है। गोमती नदी का जल स्तर धीरे-धीरे 27 अगस्त को ही बढ़ना प्रारम्भ हुआ था पर उसमें अधिक तेजी 4 सितम्बर के बाद आई और 9 सितम्बर, 1971 को यह 369.05 पर पहुंच गया जो 1960 के उच्चतम जल-स्तर से केवल 2.35 फीट कम था। शहर में बटलर बांध को 8 सितम्बर, 1971 को कई स्थानों पर खतरा पैदा हो गया था जिसे सेना तथा सिविल के हजारों आदमियों को लगा कर और

---

[ ] पहल दिए गए वक्तव्य का पाट तथा पढ़ा हुआ माना गया तथा संलग्न अन्य विवरण (2) तथा (3) इस नवीनतम वक्तव्य के भाग मान गये।

†छापी नहीं गई।

विशेष प्रयत्न करके दूर किया जा सका। यद्यपि बांध में कोई दरार नहीं पड़ने पाई पर शहीद स्मारक की तरफ से आये पानी के बहाव के कारण वजीर हसन रोड, तिलक मार्ग, अशोक मार्ग, बटलर पैलेस कालोनी आदि स्थानों की आबादी भी जलमग्न हो गई थी और उस पार न्यू-हैदराबाद, पेपर मिल कालोनी, बादशाहनगर और कुछ हिस्सा महानगर का व डालीगंज भी जलमग्न हो गया। अब तक गोमती की बाढ़ से नगर के 91 मोहल्ले बुरी तरह प्रभावित हैं। देहाती क्षेत्रों में प्रभावित ग्रामों की संख्या 110 हैं। कुल प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 3,14,372 है जिसमें से 79,179 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर हटाना पड़ा है। केवल शहरी क्षेत्रों में ही 34,350 व्यक्तियों को 30 शिविरों में रक्खा गया है। शिविरों में रक्खे गये व्यक्तियों को सरकार की ओर से भोजन देने की व्यवस्था की गई है और 12 सितम्बर, 1971 तक 909 बोरी आटा, 71 बोरी चना, 71 बोरा आलू, 46 मन नमक, 100 टीन मिट्टी का तेल, 19 दर्जन माचिस इन व्यक्तियों में वितरित किया जा चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कितने दिनों को भोजन आदि की व्यवस्था करना पड़े। सहायता कार्य में 195 देशी नावें, 2 मोटर बोट, 10 सेना की मोटर बोटें और 25 ट्रकें प्रयोग में लाई जा रही हैं।

5—नैनीताल जिले में गत 10 सितम्बर को बाजपुर के निकट कोसी नदी के बांध में दरार पड़ गई जो 12 सितम्बर को 1,000 फीट से भी अधिक हो गई थी। उस बांध को सुरक्षित करने के लिये 700 स्थानीय व्यक्ति, 200 पी० ए० सी० के जवान और 200 सेना के सैनिक दिन रात कार्य कर रहे हैं। सौभाग्यवश यह दरार ऐसे स्थान पर हुई है जिसके चारों ओर ऊंची भूमि है, अतः इसका प्रभाव निकटवर्ती रामपुर जिले के किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है।

6—खीरी जिले की स्थिति भी अभी तक गंभीर है। शारदा तथा घाघरा के बीच में स्थिति क्षेत्र की दशा बहुत ही खराब है। वहां घिरे हुए लोगों को भोजन सामग्री हवाई जहाज द्वारा गिराने का प्रबन्ध किया गया था। 3 स्थानों पर 12 सितम्बर को भोजन सामग्री के बोरे हवाई जहाज से गिराये गये पर काफी चेतावनी दिये जाने के बाद भी पीड़ित लोगों ने उस क्षेत्र को खाली नहीं किया था जहां ये बोरे गिराये गये थे और इसके कारण धौरहरा ग्राम में 5 व्यक्तियों की मृत्यु बोरों से दब जाने के कारण 12 सितम्बर को हो गई। फलस्वरूप हवाई जहाज से भोजन सामग्री पहुंचाने का कार्य त्याग देने का निश्चय किया गया है और यह आदेश दिया गया है कि देशी नावों के द्वारा सामग्री पहुंचाई जावे।

7—आजमगढ़ शहर की भी स्थिति टोंस नदी का बांध टूट जाने के फलस्वरूप काफी शोचनीय हो गई थी। स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। टोंस नदी का पानी घट रहा है। लाल डिग्गी बांध में जो खतरा उपस्थित था वह दूर हो चुका है और सहायता कार्य तीव्रता के साथ चालू है। शहर का बहुत बड़ा भाग अभी तक जलप्लावित है और जल निकालने के लिये काफी मात्रा में पंपिंग सेट जिलाधिकारी के पास भेजे जा रहे हैं।

8—जौनपुर शहर में गोमती का जल-स्तर अभी घटना नहीं शुरू हुआ है। सई का जल-स्तर भी स्थिर है। लगभग पूरा शहर ही प्रभावित है और बड़े पैमाने पर सहायता एवं सुरक्षा का कार्य चालू है।

9—इधर गंगा नदी का जल-स्तर भी बढ़ना प्रारम्भ हो गया है और इलाहाबाद में यह खतरा के बिन्दु पर पहुंच चुका है। शहर के निचले भाग जलमग्न हो चुके हैं। सहायता कार्य तत्परता के साथ प्रारम्भ कर दिया गया है। 300 नावें सुरक्षा कार्य में लगी हुई हैं और जिले में 30 फ्लड-पोस्ट काय कर रहे हैं। वाराणसी तथा बलिया जिले भी फिर बाढ़ से प्रभावित हो गये हैं। बलिया में खतरा विशेष रूप से बढ़ गया है क्योंकि वहां गंगा तथा घाघरा दोनों नदियां अब तक के पुराने सर्वोच्च जल-स्तर को पार कर चुकी हैं।

10---घाघरा नदी का जलस्तर भी गोरखपुर में खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था। राप्ती नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा था। गोरखपुर में भी सहायता कार्य तत्परता के साथ किया जा रहा है।

11---पीलीभीत तथा शाहजहांपुर जिलों की नदियों में भी नानक सागर डाम से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है।

12---इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बाढ़ के कारण जो भयावह स्थिति प्रदेश में उत्पन्न हो गई है उससे निपटने में अभी हमें काफी समय और लगेगा। लोगों की सहायता करने का अथक प्रयत्न पूरे ही साधनों के साथ किया जा रहा है और सहायता कार्य में शिथिलता न आने पावे, इसका पूरा प्रयत्न सरकार ने कर दिया है। प्रदेश के बाढ़ग्रस्त जिलों को सभी मंत्रियों में बांट दिया गया है और मंत्रीगण उनके लिये नियत जिलों का दौरा कर रहे हैं और सहायता कार्य के सिलसिले में जैसा भी आवश्यक होता है, आदेश शासन की ओर से मौके पर ही दे देते हैं। जिलाधिकारियों को बता दिया गया है कि बाढ़ के सिलसिले में जो भी आदेश राज्य सरकार के मंत्री जिले में दे उन्हें शासन का ही आदेश माना जाय तथा धन के अभाव में कोई भी सहायता कार्य न रोका जाय। जिलाधिकारी अपने विवेक के अनुसार जिस परिस्थिति में जो भी आवश्यक व्यय हो उसे कर सकते हैं और बाद को शासन की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। राज्य स्तर पर भी एक उच्च स्तरीय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कर दी गई है। यह समिति रोज बैठती है और जो भी आवश्यक विषय होते हैं उन पर विचार करने के बाद तत्काल निर्णय लेती है।

13---अब तक सहायता कार्य के लिये 6 करोड़ 35 लाख रुपये जिलाधिकारियों को आवंटित किया जा चुका है। 75 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगे जिसमें राज्य आकस्मिकता निधि से निकाला गया 2 करोड़ रुपया शामिल है और इस कार्य के निमित्त सदन के सम्मुख शीघ्र ही प्रस्तुत की जायंगी। जो रुपया जिलाधिकारियों को दिया गया है वह मुख्यतया अहेतुक सहायता, गृह निर्माण अनुदान, आपातकालीन तकावी, भूसे के लिये तकावी, बीज के लिये तकावी, गृह निर्माण के लिये ऋण आदि प्रयोजनों के लिये हैं। बीज तथा खाद की व्यवस्था कृषि विभाग द्वारा की जा रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा स्थानीय निकायों की सम्पत्ति को हुई क्षति के निवारण के लिये भी 2.0 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आवश्यक यातायात के साधनों एवं नहरों आदि की मरम्मत करके सुव्यवस्थित किया जा सके।

14---इस समय प्रदेश के 51 जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। कुल प्रभावित ग्रामों की संख्या 35,000 से ऊपर है और लगभग प्रदेश की एक चौथाई जनसंख्या बाढ़ से पीड़ित है। कुल प्रभावित क्षेत्रफल 1 करोड़ 25 लाख एकड़ के लगभग है जिसमें से बोया हुआ क्षेत्रफल 60 लाख एकड़ के करीब है। अब तक 5 1/2 लाख घर या तो पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं या काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 450 से अधिक मनुष्य मकान गिरने से या पानी में बहने से अपने जीवन को खो चुके हैं और मरे हुए पशुओं की संख्या भी 3 हजार के लगभग पहुच चुकी है। इन आंकड़ों से ही स्थिति की भयकरता का संकेत मिलता है और प्रभावित जनता को सहायता के लिए जो कार्य शासन को करना है उसका भी कुछ अनुमान इन आंकड़ों से ही लगाया जा सकता है।

15---बाढ़ से जो हानि हुई है उसका मोटे तौर पर हमारा अब तक का अनुमान 129 करोड़ रुपये का है पर आशंका यह है कि पानी उतर जाने के बाद जब पुनः मूल्यांकन किया जायगा तो यह अनुमान 200 करोड़ रुपये से भी आगे निकल जायगा। हमने यह देखते हुए कि जितना सहायता कार्य आवश्यक है अथवा जितनी धनराशि सरकारी एवं स्थानीय निकायों की

सम्पत्ति को पुनः उपयोगी बनाने के लिये आवश्यक है, भारत सरकार से 75 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के लिये निवेदन किया है। हमें पूर्ण आशा है कि भारत सरकार इस प्रदेश की दयनीय स्थिति को देखते हुए उदारतापूर्वक हमारी सहायता करेगी ताकि पीड़ितों की सहायता के कार्य पर धनाभाव के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पावे।

16—मुझे आपको यह भी बताना है कि मुख्य मंत्री जी ने जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था कि जीवन बीमा निगम बाढ़ से हुई हानि को देखते हुए सहायता कार्य के लिए राज्य सरकार को 5 करोड़ रुपये की धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत करे। जीवन बीमा निगम ने एक करोड़ रुपये का ऋण देने का अपना निर्णय राज्य सरकार को सूचित कर दिया है। हमें आशा है कि इस धनराशि में और वृद्धि की जायगी।

17—बाढ़ के कारण कुछ जिलों में भूसे की समस्या पैदा हो गई है। इसके लिये राज्य सरकार ने प्रारम्भ में ही बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के निकट वन विभाग के जंगलों में पशुओं के चराने की अनमति दे दी थी तथा कृषि विभाग के फार्मों पर जो भी भूसा उपलब्ध था उसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भेजे जाने की व्यवस्था कर दी थी। दिल्ली तथा हरियाना से भूसा मंगाकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बिना मुनाफे के बेचने के लिये, प्रबन्ध कर दिया गया है और भूसे की सप्लाई के लिये ठेकेदार भी नियुक्त कर दिया गया है। यह सब होते हुए भी भूसा ले जाने में पर्याप्त संख्या में वैगन न मिलने के कारण कुछ कठिनाई अनुभव की जा रही थी। रेलवे विभाग ने वैगन उपलब्ध कराने तथा प्राथमिकता के साथ उनके संचरण के लिये आश्वासन दिया था। हाल ही में दिल्ली से एक भूसा स्पेशल चलाने का प्रबन्ध किया गया है ताकि बाराबंकी, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर आदि जिलों की भूसे की आवश्यकता की पूर्ति शीघ्रता से की जा सके। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थियों से जुलाई, 1971 से मार्च, 1972 तक की फीस न वसूल किये जाने के आदेश राज्य सरकार ने दे दिये हैं और यह बता दिया गया है कि इस अवधि को स्कूलों और कालेजों की फीस बाढ़ तथा बाढ़ग्रस्त से प्रभावित विद्यार्थियों की राज्य सरकार द्वारा दी जायगी।

18—आप लोग अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा करके आ रहे हैं और अपने क्षेत्र के बारे में मुझसे अधिक जानकारी रखते हैं। मैं आभारी हूंगा यदि आप अपने क्षेत्र के बारे में अथवा पूरे प्रदेश के बारे में सहायता कार्य को और अधिक सुचारु रूप से चलाने के निमित्त अपने सुझाव दें ताकि हम सहायता कार्य को अधिक प्रभावशाली रूप से चलाते रहें।]

## लखनऊ नगर की बाढ़

गोमती के कैचमेन्ट क्षेत्र में लगातार अत्यधिक वर्षा होने के कारण गोमती का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। वैसे तो अगस्त के प्रारम्भ में भी जलस्तर बढ़ा था परन्तु उसे बाढ़ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इधर 27 अगस्त, 1971 से जल स्तर पुनः बढ़ना प्रारम्भ हो गया और बढ़ते-बढ़ते 5-9-1971 को गऊ घाट पम्पिंग स्टेशन पर खतरे के बिन्दु 362.50 फुट पर पहुंच गया इस पर सभी सुरक्षा एवम् सहायता कार्यों को प्रारम्भ कर दिया गया। 5 सितम्बर के बाद निरन्तर जलस्तर बढ़ता गया और 8 सितम्बर को 368.95 फुट पर आने के बाद लगभग पूरा दिन स्थिर रहा परन्तु 9 सितम्बर को पुनः थोड़ा-थाड़ा बढ़ने लगा और 369.05 फुट तक पहुंचा जो वर्ष 1960 की भीषण बाढ़ से केवल 2.35 फुट कम है। कुछ घण्टे 369.05 फुट के अधिकतम बिन्दु पर रहने के बाद 10 सितम्बर को सुबह घट कर पुनः 368.95 फुट पर कई घन्टे तक स्थिर रहा। उस दिन मध्य रात्रि के करीब कुछ घटा और तब से मन्द गति से गोमती का जलस्तर घट रहा है। आशा है घटने की यह प्रवृत्ति कायम रहेगी और कुछ दिनों में गोमती अपने पेटे में पहुंच जायगी।

## बाढ़ सहायता कार्य

2—गोमती में हल्की बाढ़ के समय से ही प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। परन्तु जैसे ही जल स्तर खतरे के बिन्दु (362.50) फुट पर पहुंचा सहायता कार्य पूरे वेग से प्रारम्भ कर दिये गये। खतरे के बिन्दु पर 58 मुहल्ले प्रभावित थे और उनमें फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। जैसे-जैसे जलस्तर बढ़ता गया और मुहल्ले बाढ़ की चपेट में आते गये, और उनमें लोगों को हटाने का कार्य बढ़ता गया। अधिकतम जल स्तर बिन्दु पर पहुंचते-पहुंचते 91 मुहल्ले बाढ़ से प्रभावित हो गये और 12 सितम्बर तक 55,318 बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित क्षेत्र से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस समय 30 शरणार्थी शिविर चल रहे हैं जिनमें 27,269 व्यक्ति रह रहे हैं।

3—जैसे-जसे बाढ़ बढ़ती गई वैसे-वैसे सुरक्षा नावों की संख्या में भी वृद्धि की गई। बाढ़ के भीषण काल में 10 सेना की मोटर बोट, 2 अन्य मोटर बोट, 128 देशी नावें व 225 ट्रकें काम कर रही थीं। जल स्तर उतरने पर भी यह व्यवस्था अभी कायम है और आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग किया जा सकता है।

4—30 शरणार्थी शिविरों में से 4 का प्रबन्ध सेना द्वारा किया जा रहा है और अन्य शिविरों का प्रबन्ध सिविल अधिकारियों के हाथ में है। जिन 4 शिविरों का प्रबन्ध फौज के अफसरों के हाथ में है उनमें भी भोजन, तेल, माचिस आदि की व्यवस्था प्रशासन व नगरमहापालिका व सहायता संस्थाओं की ओर से हो रही है।

## बांधों की सुरक्षा

लखनऊ नगर में वर्तमान बाढ़ के दौरान सब से बड़ा मोर्चा बांधों की सुरक्षा पर रहा है। 7 सितम्बर तक बांधों की सुरक्षा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हो रही थी और उक्त तिथि को जब सेना की सहायता प्राप्त हुई तो फौज व सिविल प्राधिकारियों ने मिल कर बांधों की रक्षा का कार्य किया। हार्डिज ब्रिज व बीरबल साहनी मार्ग पर पुलिया और कुकरेल बांध पर अधिकांश कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किया और बटलर बांध पर अधिकांश कार्य सेना ने किया इस कार्य में लगभग 6 हजार फौज के जवानों और पुलिस होम गार्ड्स, पी० आर० डी० के जवानों तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियरों व कर्मचारियों ने रात-दिन एक कर के जी तोड़ मेहनत की है। यह उनके अनर्थक परिश्रम का फल था कि मुख्य बांध टूटने नहीं पाय। बटलर बांध पर नदी का वेग अत्यधिक रहा। 9 सितम्बर को गोमती का पानी जो शहीद स्मारक के पास के रास्ते से निकल कर स्टेडियम से मोतीमहल होता हुआ चिड़िया झील में आकर बड़ी तेज धारा में बहने लगा और तिलक मार्ग के पास बटलर बांध को काटने लगा। बांध को बचाने के लिये बालू से भरी दो सार्वजनिक निर्माण विभाग की ट्रकें डाल दी गई और तिलक मार्ग का एक हिस्सा जो उठा हुआ था उसे बारूद से उड़ा दिया गया। उसके नतीजे में पानी की धारा शाह नजफ होती हुई सिकन्दर बाग की दीवार को तोड़ कर अशोक मार्ग गोखले मार्ग, वजीर हसन रोड, बटलर पैलेस कालोनी की ओर हो गयी जिससे इन क्षेत्रों में 10—12 फुट तक पानी भर गया। इस समय भी बटलर बांध के दोनों ओर नदी का पानी बह रहा है। पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि मुख्य बांध पानी के थपेड़े से बचा रहे। नगर के पूर्वी भाग में कुकरेल बांध पर सीपेज के कारण पानी महानगर के कुछ क्षेत्रों में, बादशाहनगर और पेपर-मिल कालोनी में भर गया है। बीरबल साहनी मार्ग पर निशातगंज के पीछे एक पुलिया के नीचे मिट्टी गल जाने के कारण पानी नये हैदराबाद, पुराना हैदराबाद, निशातगंज व बालदा रोड कालोनी में भर गया। डालीगंज के निचले भागों में और चौक के निकट कई नीचे के भागों में भी पानी भरा है। इन क्षेत्रों के निवासियों को स्वभावतः बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की पूरी व्यवस्था रही है और यह

कहा जा सकता है कि हर इच्छुक व्यक्ति को बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुख्य बांधों की सुरक्षा का कार्य अब भी जारी है। 13 मार्च से फौज के जवानों के स्थान पर 2,400 पुलिस व होमगार्ड्स के जवानों को लगाया गया है और यहां से सेना हटा दी गई है। उनकी मोटर बोट चलती रहेगी और वह 4 कम्प्स भी चला रहे हैं। बाढ़काल में बांध की सुरक्षा पर लगभग 1 लाख बालू के बोरों का प्रबन्ध किया गया था। अब भी बालू के बोरों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूर्ण आशा है कि जो व्यवस्था की गई है उससे मुख्य बांधों को कोई क्षति नहीं पहुंच पायेगी।

## स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था

6—नगर में बाढ़ के कारण गंदगी का फैलना स्वाभाविक है। नगर महापालिका का सफाई स्टाफ और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सफाई एवं स्वास्थ्य कार्यों की देख-रेख कर रहा है। इस कार्य के लिये 6 सूत्री योजना बनाई गई है जिसे बाढ़ के समय के बाद लागू किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित इलाके में सभी मकानों में गैमक्सीन का छिड़काव किया जायगा। इस कार्य के लिये सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र को 10 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में 5—10 हजार तक जनसंख्या रहेगी और जिसमें 8 या 9 मोहल्ले रहेंगे। एक इकाई में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य डाक्टर, एक चीफ सेनेटरी इंसपेक्टर तथा एक सेनटरी इंसपेक्टर और एक मलेरिया इंस्पेक्टर रहेंगे। चिकित्सा विभाग के और फौज के 100 छिड़काव करने वाले रहेंगे। दूसरा कार्य होगा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गंदगी को हटाने का। इसके लिए 1200 मेहतर काम में लाये जायेंगे। नगर-महापालिका इस कार्य के लिए 15 दिनों के लिये 25 ट्रक किराये पर लेने की व्यवस्था करेगी। योजना का तीसरा मुख्य अंग होगा पीने के पानी का प्रबन्ध करना। पानी की स्वच्छता के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग रोजाना पानी के नमूने लेकर इसका परीक्षण करेगा नालों व नालियों की मरम्मत व सफाई योजना का चौथा अंग होगा। छूत की बीमारियों की रोकथाम इस स्वास्थ्य योजना का पांचवां अंग होगा। नगर महापालिका के अस्पतालों के अलावा कालरा, टायफायड और चेचक के टीकों को लगाने की व्यवस्था सभी अस्पतालों और नव-निर्मित कैम्पों में भी होगी। दवाइयों का प्रबन्ध प्रदेशीय स्वास्थ्य विभाग करेगा। स्वास्थ्य योजना का छठा अंग होगा समुचित इलाज की व्यवस्था करना। इस कार्य के लिये 5 मोबाइल दवाखाने रखे जायंगे जिसमें एक डाक्टर रहेगा जो दवाइयों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा और मौके पर ही इलाज हेतु दवाई देने का प्रबन्ध करेगा। बलरामपुर, सिविल, टुरिया-गंज, महानगर और रामकृष्ण अस्पतालों में 10-10 बेडस इलाज कार्य के लिये रखे गये हैं। इन-के अतिरिक्त मेडिकल कालेज को भी चौक के बाढ़ पीड़ितों के लिये एक अलग वाड की सुविधा प्रदान करने के लिये कहा जा रहा है।

## बिजली की व्यवस्था

7—भीषण बाढ़ के समय भी पूर्ण प्रयत्न किया गया है कि बिजली की व्यवस्था नगर के सभी क्षेत्रों में कायम रहे। कुछ थोड़े से क्षेत्रों को छोड़कर यह कहा जा सकता है कि नगर में बाढ़ की भीषणता के बावजूद बिजली की व्यवस्था संतोषप्रद ढंग से कायम रखी गई है। नदी व बांधों पर खतरे के स्थानों व कुछ बाढ़ शिविरों में फ्लडलाइट की व्यवस्था भी की गई है। बीरबल साहनी मार्ग पर जहां फौज कार्य कर रही थी वहां भी 8 फ्लड लाइट लगाई गई। बांध पर निशातगंज पुल से चिड़िया झील तक बिजली के मेन 1.5 किलो मीटर बढ़ा कर 200 वाट के वल्बों की व्यवस्था की गई है। बटलर बांध की सड़कों की बिजली बुझ गई थी तो डिस्ट्री-ब्यूशन मेन में तबदीली कर के शीघ्र बिजली का प्रबन्ध कर दिया गया। गोमती के पार के इलाके व गऊ घाट पंपिंग स्टेशन की 11 सितम्बर को खतरा हो गया था जिसे बड़ी तत्पर्ता से कार्य करके दूर किया गया। नगर के सभी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई को बरकरार रखने

और आवश्यकतानुसार बढ़ाने हेतु कानपुर से भी बिजली के इन्जीनियरों व कर्मचारियों को बुलाया गया और सभी ने जी तोड़ कर मेहनत कर के नगर की बिजली व्यवस्था को संतोषप्रद ढंग से कायम रखा है ?

## पीने के पानी की व्यवस्था

8—बाढ़ के दिनों में नगर में पीने के पानी की व्यवस्था को कायम रखने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लखनऊ वाटर वर्क्स का सब से बड़ा श्रोत गाय घाट पंपिंग स्टेशन है। 5 सितम्बर को ही पम्प हाउस में पानी भरने के कारण खतरा पैदा हो गया था। एक नया पंपिंग सेट लगा कर स्थिति को बिगड़ने से बचाया गया। 6 सितम्बर को नदी का जल स्तर ऊंचा होने के कारण स्थिति अधिक बिगड़ गई। स्थिति तो बिगड़ी हुई थी ही और 7 सितम्बर की सुबह बिजली की सप्लाई भी पंपिंग स्टेशन पर दो घंटे के लिये बन्द हो गई। स्थिति इतनी गम्भीर थी कि यदि इस पर काबू न पाया गया होता तो लखनऊ नगर को महीनों तक पानी की सप्लाई रुक जाती। रात दिन मेहनत कर के पंपिग स्टेशन के पानी को निकाल कर और जो जेनेरेटिंग स्वायत्त शासन के इंजीनियरिंग विभाग और एम० आई० एस० से उधार ले कर पम्पिंग सेट को खराब होने से बचाया गया। हनुमान सेतू पर वाटर मेन से गोमती के उस पार के इलाकों में पानी की सप्लाई होती है। 6 सितम्बर को सुबह 4 बजे हनुमान सेतू के इम्बैंकमेण्ट के धंसने के कारण यह वाटर मेन बहने लगा वाटर वर्कस के स्टाफ ने तुरन्त ही पहुंचकर स्थिति को गम्भीर होने से बचाया। समय पर कार्य करने के फलस्वरूप ही नगर में पानी की सप्लाई की निरन्तरता को बनाये रखना संभव हो सका है।

## बाढ़ कार्यों का संचालन

9—बाढ़ का मुकाबला क र हेतु सुरक्षा एवं राहत कार्यों को सुनियोजित ढंग से चलाने हेतु प्रदेशीय स्तर पर बाढ़ समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्य सरकार के सभी सचिव एवं विभागाध्यक्ष हैं। इस समिति की बैठक प्रत्येक दिन होती रहती है जिसमें विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जाती है और आवश्यक कार्यों को सुनियोजित ढंग से संचालित करने के विषय पर निर्णय लिये जाते हैं जिन्हें तुरन्त कार्यान्वित किया जाता है। यह समिति उस समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर पूर्णतया काबू नहीं पा लिया जाता और स्थिति सामान्य नहीं हो जाती।